

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]
[Fourth Session]

5th Lok Sabha



[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]



लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 37, गुरुवार, 4 मई, 1972/14 वैशाख, 1894 (शक)

No. 37, Tuesday May 4, 1972/Vaisakha 14, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
681 दक्षिण वियतनाम के महावाणिज्य दूत द्वारा भारत की नीति की आलोचना	Criticism of India's action by Consul General of South Vietnam	1—2
682 कोयला उत्पादन में कमी	Reduction in Coal Production	2—6
684 दक्षिण पूर्व एशिया का तटस्थीकरण	Neutralisation of South East Asia	6—8
685 भारतीय दूतावासों में भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती का मनाया जाना	Celebration of Indian Independence Silver Jubilee in India Embassies	8—10
686 गैरसरकारी क्षेत्र में और अधिक संख्या में छोटे इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of more Mini Steel Plants in Private Sector	10—12
687 बिहार और महाराष्ट्र में सोने की खोज के लिये सर्वेक्षण	Survey for Gold in Bihar and Maharashtra	12—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
S. Q. Nos.			
689	बड़े पत्तनों के विषय में समझौता वार्ता संबंधी व्यवस्था	Negotiation machinery of Major Ports	13-14
691	मैसर्स हिन्दलकों द्वारा तीसरी प्रोपरजी मशीन चलाने के लिये अनुमति मांगना	Permission sought by M/s HINDALCO for Commissioning Third Properzi Machine	14-16
692	पश्चिम जर्मनी में इस्पात का निर्माण करने की भारती प्रक्रिया	Bharati Process of Steel Manufacture in West Germany	16-17
693	मूल्य वृद्धि होने पर श्रमिकों के वेतनों में स्वतः वृद्धि	Automatic increase in Workers' Wages with Price Rise	18
ता० प्र० संख्या	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
S: Q. Nos.			
683.	मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Madhya Pradesh	19-20
688.	वर्ष 1972 में औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप श्रम दिनों की हानि	Man days Lost by Strikes and Lock-outs in Industrial Sector in 1972	20
690	सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण	Transfer of Ownership of Property	20-21
694	रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शाप के गिरने के बारे में प्रतिवेदन	Report on Collapse of Steel Melting Shop at Rourkela Steel Plant	21
695	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय अधिकारी	Indian Officers in UNO	21-22
696	कोयला खान मजदूरों की मजूरियां तथा बकाया	Coal Mines Workers Wages and Dues	22-23
697	नई दिल्ली स्थित सरकारी कैंटीनों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees in Government Canteens, New Delhi	23
698	कोयला खान भविष्य निधि संगठन में घोटाला	Fraud in Coal Mines Provident Fund	23
699	दार्जिलिंग जलपाईगुडी और कूच बिहार में खनिजों के निक्षेप	Deposits of Minerals in Darjeeling Jalpalguri and Cooch Behar	24
700	मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के अधिकारियों का स्थानांतरण	Transfer of Officers to Alloy Steels Plant, Durgapur	24

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
आ० ता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.		
4978 राजस्थान में भूमि के भीतर के खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Underground Minerals in Rajasthan	24—25
4979 राजस्थान में खनिज उत्पादों का उपयोग	Utilisation of Mineral products in Rajasthan	25—26
4980 विदेश मंत्रालय में आर्थिक विभाग का खोलना	Opening of Economic Wing in Ministry of External Affairs	26—27
4981 बोकारो इस्पात कारखाने और सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखानों को कच्चे लोहे की सप्लाई	Supply of Pig Iron to Bokaro Steel Plant and other Steel Plants in Public Sector	27
4982 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उद्योग मानने सम्बन्धी घोषणा को वापस लेना	Withdrawal of Declaration of EPFO as an Industry	27
4983 तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये निर्धारित की गई भूमि	Land earmarked for Rehabilitation of Tibetan Refugees	28
4984 उड़ीसा में ताम्बा संयंत्र की स्थापना	Setting up of Copper Plant in Orissa	28
4985 टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Tinsplate Co. of India Limited, Jamshedpur	28
4987 रूस से इस्पात का आयात	Import of Steel from USSR	28—29
4988 छरों के लिये डोनि मलाई लौह अयस्क	Donimalai Iron Ore for Pellets	29
4989 विजय नगर और विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों में हानि	Loss in Vijayanagar and Visakhapatnam Steel Plant	29—30
4990 विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन	Techno Economic Feasibility Reports on Visakhapatnam Steel Project	30
4991 विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of Feasibility Study Report for Visakhapatnam Steel Project by Engineers India Ltd.	30—31
4992 बिहार में लघु उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात का नियतन	Allotment of Iron and Steel for Small Scale Industries in Bihar	31

अंता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.			
4994	बंगला देश में महात्मा गांधी का स्मारक	Memorial of Mahatma Gandhi in Bangla Desh	31
4995	1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीयों की शत्रु सम्पत्ति घोषित की गई सम्पत्ति को उन्हें वापिस दिलाना	Restoration of Property to Indians Declared as Enemy Property in 1965 during Indo Pak Conflict	31-32
4998	कान्टीनेन्टल शैल्फ से समुद्री सीमाओं की हदें	Limits of Territorial Waters from Continental Shelf	32
4999	रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव	Proposal to Ban Rickshaw Pulling	32-33
5000	उद्योगों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Industries	33-34
5001	सामग्रियों का क्रय	Purchase of Stores	34
5002	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय विमान का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाने का मान्यता	Issue Regarding Hijacking of Indian Plane to Pakistan in UNO	34-35
5003	श्रीलंका के एक नौसैनिक जहाज का कच्चा टीपू द्वीप के निकट बलपूर्वक घाना	Cruising of Nabal Ship of Ceylon near Kachuhativu Island	35
5004	सीमांत क्षेत्रों में नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां	Activities of Naga/Mizo Rebels on Border Areas	35-36
5006	विशाखापत्तनम पत्तन के गोदी मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Dock Workers at Visakha Patnam Port	36
5008	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	36-37
5009	इस्पात के उत्पादन और अनुमानित खपत के लक्ष्य	Target for production and estimate consumption of Steel	37
5010	विदेशों में भारतीय दूतों के कार्य की समीक्षा	Review of performance of Indian Envoys in foreign countries	37-38
5011	इस्पात की मांग और उत्पादन	Demand and production of Steel	38-39
5012	मध्य प्रदेश में खनिजों तथा गैर-खनिजों का उत्पादन	Production of Minerals and Non-minerals in Madhya Pradesh	39

अज्ञा० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. No.			
5013	कोयला खान उद्योग में श्रमिक सम्बन्ध	Labour relations in Coal Mining Industry	39
5014	भारत स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की स्थिति का पुनर्विलोकन	Review of situation on East Pakistan Displaced persons in India	39—40
5015	पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कोयला खानों को अपने हाथ में लेना	Taking over of closed coal mines in West Bengal	40
5016	इस्पात का समान मूल्य	Uniform price of steel	40
5017	इशियाई संयुक्त सुरक्षा प्रणाली का समर्थन	Support to Asian Collective Security System	40— 41
5018	दण्डकारण्य में रह रहे शरणार्थियों का बंगला देश वापस जाना	Leaving of Dandakaranya Refugees for Bangla Desh	41
5919	आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in Andhra Pradesh	41
5020	मौसमी कारखानों (सीजनल फैक्ट्रीज) के श्रमिकों का बीमा	Insurance for Labour in Seasonal Factories	42
5021	मध्य प्रदेश के सरगुजा और सिधी जिलों के कोयला खान कर्मचारियों के लिये पेय जल की व्यवस्था	Drinking Water for coal field workers in Sarguja and Sidhi Districts of Madhya Pradesh	42
5022	मध्य प्रदेश में आदिवासी बेरोजगारी बीमा योजना	Adivasi Unemployment Insurance Scheme in Madhya Pradesh	42
5023	मध्य प्रदेश में ताम्र निक्षेपों का विदोहन	Exploitation of Deposits of Copper in Madhya Pradesh	42— 43
5024	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, गोरखपुर के नाम से पटना में एक और संघ का पंजीयन	Registration of another Union in Pat a in the name of N. E. Railway Majdoor Union Gorakhpur	43
5025	प्रत्येक उद्योग में उत्पादन परिषदों का गठन	Setting up of Production Council in Each Industry	43
5026	अलौह धातुओं की मांग	Requirements of Non-Ferrous Metals	44
5027	राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा	Review of working of Minimum Wages Act for Agricultural Labourers in States	44—45
5028	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अध्यक्ष	Chairman of EPF Organisation	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5029	अहमदाबाद की राजनगर मिल न० 1 का बन्द होना	Closure of Rajnagar Mill No. 1 Ahmedabad	45—46
5030	श्रमिकों को ऋण	Loans to Labourers	45
5031	व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दरनगर में मजदूर संघ	Unions in Beas-Sutlej Link Project Sundernagar	46
5032	खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये मशीनों के क्रयदेश	Machine Orders for Khetri Copper Project	46—47
5033	खेतड़ी तांबा परियोजना के विदेशी सलाहकारों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Foreign Consultants of Khetri Copper Project	47—48
5034	सोने की खोज के लिये सर्वेक्षण	Survey for Gold	48
5035	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees Provident Fund Organisation	48 49
5036	कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें	Meetings of Central Board of Trustees on Employees Provident Fund	49
5037	पुनर्वास विभाग के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये मुकदमों	Cases filed by Employees against Department of Rehabilitation	49
5038	बै बलीला लोह अयस्क परियोजना के कर्मचारियों के लिये मकान	Residential Accommodation for Employes of Baliadila Iron Ore Project	50
5039	भिलाई इस्पात कारखाने से स्क्रैप की चोरी	Theft of Scrap in Bhilai Steel Plant	50
5040	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलों द्वारा किया गया बोनस	Bonus paid by Textile Mills in Madhya Pradesh	50
5041	मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plants in Madhya Pradesh	50
5042	मध्य प्रदेश के शरणार्थी शिविरों में बंगला देश के शरणार्थियों की मृत्यु	Death of Bangladesh Refugees in Camps in Madhya Pradesh	50—51
5043	भारतीय राजनयिकों द्वारा विदेशी महिलाओं से शादी करना	Indian Diplomats Marrying Foreign Ladies	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
5044	दुर्गापुर इस्पात परियोजना के उत्पादों की बिक्री	Sale of Products of Durgapur Steel Project	51
5045	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इंजीनियर स्नातकों की नियुक्ति	Recruitment of Engineer Graduates in Durgapur Steel Plant	51—52
5046	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्मिक प्रबन्धक की नियुक्ति	Appointment of Personnel Manager of Durgapur Steel Plant	52—53
5047	बंगला देश में दूसरे शांति निकेतन के निर्माण के लिये बंगला देश को सहायता	Help to Bangladesh for Building another Shantiniketan in Bangla Desh	53
5048	पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार में हड़तालें	strikes in West Bengal, Madhya Pradesh and Bihar	53
5049	खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from Employees of Khetri Copper Project	54
5050	खेतड़ी तांबा परियोजना में हरिजनों के लिये रक्षित पदों का भरा जाना	Filling up of Posts of Harijans in Copper Projects	54
5052	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यंत्रीकरण	Automation in Public Sector Undertakings	55
5053	अभ्रमक के आंतरिक व्यापार और खनन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mining and Internal Trade of Mica	55—56
5055	ब्रिटेन के भूतपूर्व मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल का भारत, बंगला देश और पाकिस्तान का दौरा	Mission of an Ex-Minister of Britain to Visit India, Bangla Desh and Pakistan	56
5056	नेपाल के प्रधान मंत्री का भारत का दौरा	Visit of Prime Minister of Nepal to India	56—57
5057	दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में प्लटों की नीलामी	Auction of Plots in Refugee Colonies of Delhi	57
5058	भारत के साथ बात चीत के लिये बंगला देश की ओर से पत्र	Communication from Bangla Desh for Talks with India	57
5059	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का विकास	Expansion of Durgapur Alloy Steels Plant, Durgapur	57

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.			
5060	सिंगरौली कोयला खानों के कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Workers of Singrauli Coal Mines	58
5061	दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में अलाटियों द्वारा भूमि के किराए का भुगतान	Payment of Ground Rent by Allottees in West Pakistan Displaced Persons Colonies in Delhi	58—59
5062	मलन्गेटाली लौह अयस्क निक्षेप, उड़ीसा का विकास	Development of Malangtoli Iron Ore Deposit, Orissa	59
5063	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की राखा तांबा परियोजना में बिहार के स्थानीय लोगों की भर्ती	Recruitment of Biharis In Rakha Copper Project of Hindustan Copper Limited	59
5064	साप्ताहिक 'दि कोलफील्ड टाइम्स' में प्रकाशित "प्रोविडेंट थंड आर फंड फार आफ्फिसियल्स" लेख	Article Provident Fund or Fund for Officials Published in the Weekly 'The Coalfield Times'	59—60
5065	पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि में राशि न जमा करने वाले नियोजक	Employees in Default for Deposit of EPF in West Bengal	60—61
5066	खेतड़ी तांबा परियोजना में मजदूर संघ	Labour Union in Khetri Copper Project	61
5067	बिहार में अन्नक खानों में ठेकेदारों को ठेका दिया जाना	Engagement of Contractors in MICA Mines in Bihar	61—62
	अम्बरनाथ में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में	Re. Police firing at Ambarnath	62
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	63—44
	नियम 377 के अधीन मामला	Matters under Rule 377	64
	(एक) उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में किसानों से गेहूं की खरीद संबंधी अनियमितताएं	Irregularities in purchase of wheat from farmers in U. P- Delhi and Haryana	64
	(दो) कृषि जोत की अधिकतम सीमा	Ceiling on agricultural holdings	65
	अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	65

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines	65
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	65—66
श्री जी विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	66—68
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	68—69
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya	69—70
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry	70
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	70—71
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	71—72
श्री शाहनवाज खाँ	Shri Shahnawaz Khan	72—74
श्री सी० डी० गौतम	Shri C. D. Gautam	74—76
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	75
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	75—76
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	76
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्	Shri S. Mohan Kumaramangalam	76—82
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals	82
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	82—84
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta	84—85
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	86—87
श्री एम० बी० राणा	Shri M. B. Rana	87—88
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivasamy	88—89
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	89—91
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	91—92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	92—93
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	93—95
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	95—96
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	96—97
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	97
श्री घामनकर	Shri Dhamankar	98

(४)

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 मई, 1972/14 वैशाख, 1894 (शक)
Thursday, May 4, 1972/Vaisakha 14, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at One Minute past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिण वियतनाम के महावाणिज्य दूत द्वारा भारत की
नीति की आलोचना

*681. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित दक्षिण वियतनाम के महा वाणिज्य दूत ने वियतनाम के बारे में भारत की नीति को पक्षपातपूर्ण बताया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की आलोचना की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस सम्मेलन की रिपोर्ट देखी हैं। बताया जाता है कि दक्षिण वियतनाम के प्रधान कौंसल ने 8 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में यह प्रेस सम्मेलन करवाया था और वहां उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए थे।

(ग) भारत सरकार ऐसे निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है। हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम में जबर्दस्त अमरीकी बमबारी के विरोध और वियतनामी जनता की बिना विदेशी हस्तक्षेप के, अपने भाग्य निर्णय की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के समर्थन की अपनी सुपरिचित नीति को फिर दोहराया है। हम इसी सिद्धान्त को मानते हैं और इसी नीति

का हमने हमेशा अनुसरण किया है और इसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार किसी भी तरह किसी एक पक्ष का समर्थन करती है।

श्री जी० के० चन्द्रप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दक्षिण वियतनाम सरकार भारत के प्रति नित्यप्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाती जा रही है क्योंकि हाल ही में आई. सी. सी. की अध्यक्षता के बारे में वहां की सरकार ने भारत का विरोध किया था तथा भारतीय प्रतिनिधियों को निकालने की भी धमकी दी थी, क्या सरकार अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने के बारे में अधिक दृढ़ रवैया अपनाएगी ? मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि अब सायगोन को खतरा है तथा अब उनका उस रोग पर नियंत्रण नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह है कि क्या महा वाणिज्य दूत ने ऐसा वक्तव्य दिया था..... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने का प्रश्न एक प्रथक मामला है...

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा की जा चुकी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को इसी सत्र में कई बार उठाया जा चुका है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस बात को देखते हुए कि सायगौन सरकार शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाती जा रही है तथा उसने आई. सी. सी. में भारत के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है क्या सरकार का विचार है कि आई. सी. सी. के मुख्य कार्यालय को सायगोन से हटाकर हनोई लाया जाये ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मदन को ज्ञात है कि आई सी. सी. में भारतीय प्रतिनिधियों के बीमा की अवधि 6 महीने के लिये बढ़ा दी गई है। अतः इस समय आई. सी. सी. के मुख्यालय को स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह घटना परसों की है कि उन्होंने भारत को आई. सी. सी. की अध्यक्षता से हटाने की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कोयला उत्पादन में कमी

*682. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में कोयले के उत्पादन में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हाँ।

(ख) उत्पादन में ह्रास का मुख्य कारण रेल परिवहन की अपर्याप्तता है।

(ग) वैगन आपूर्ति को वर्धित करने के लिए भी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में पहले ही कुछ सुधार देखा गया है। परिवहन स्थिति में सुधार होने से विद्यमान अनुयोजित क्षमता को उपयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोकारो इस्पात संयंत्र और कोयले पर आधारित अनेक तापीय विद्युत स्टेशनों और उर्वरक संयंत्रों के चालू हो जाने से निकट भविष्य में कोयले की मात्रा पर्याप्त मात्रा तक बढ़ जाएगी। सरकार ने 214 कोककर कोयला खानों के प्रबन्धकों के उसके राष्ट्रीयकरण होने तक, ग्रहण किया है, जिससे कि उत्पादन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके और इस्पात और अन्य धातुकर्मीय उद्योगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए समिति कोककर कोयले का सुनियोजित समुयोजन सुनिश्चित हो सके राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिगरेनी कोयला खान कम्पनी निकट भविष्य में वर्धित मांग की पूर्ति के अपने खानों से उत्पादन के वर्धित करने के लिए भी कदम उठा रही है।

Shri Jagannath Mishra : The production of coal in 1969-70 was 75.74 million tonnes. In 1970-71 it declined to 72.8 million tonnes. The production of coal further declined to 69 million tonnes in 1971-72. May I know whether regular decline in coal production is not a matter of serious concern? I also want to know the steps proposed to be taken by the Government to check this decline in coal production.

Shri Shahnawaj Khan : I have already mentioned in the reply that this problem is not connected with the production. Production can at any time be increased if we so desire. Actually it is a problem of transportation of coal from the coal mines to the places where coal is required.

Shri Jagannath Mishra : Whatever be the reasons, I have pointed out the facts in my question. The difficulties mentioned by the hon. Minister regarding Railway transport may be partially true...

Mr. Speaker : Let the hon. Member put question. There should be no speech.

Shri Jagannath Mishra : Sir, I am explaining the situation in Bihar. I want to draw the attention of the hon. Minister to the acute shortage of coal in Bihar. May I know whether Government have formulated any scheme to meet the demand of coal in Bihar?

Shri Shahnawaj Khan : As I have stated, there was inadequate supply of Railway wagons. But I am glad to know that Railway Department is trying to supply adequate wagons and the situation has improved much now. We were supplied with 7645 wagons in April, 1971 and now the number of wagons has been increased to 843 in this month. Thus, Railways have been supplying us more than one thousand wagons. I hope with the favourable attempts of the Railway, the problem of coal would be solved very soon.

Mr. Speaker : Questions as well as answers should be as brief as possible.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा ज्ञात हुआ कि यह समस्या कोयले के उत्पादन की नहीं है बल्कि परिवहन की है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मामले में मेरे विचार से निर्धारित लक्ष्य से 20 लाख टन कोयले का कम उत्पादन हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोयले के उत्पादन में यह कमी जान बूझकर की गई? क्या उन्हें इस बात का अनु-

मान था कि माल डिब्बों की कमी होगी ? अथवा कोयले के उत्पादन में कमी होने के कोई अन्य कारण है ?

श्री शाहनवाज खां : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने 1969 — 70 में 366 लाख टन कोकिंग कोयले का उत्पादन किया तथा वर्ष 1970 — 71 में 362 लाख टन का उत्पादन किया । इस प्रकार इसमें कोई विशेष कमी नहीं हुई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा यह प्रश्न नहीं है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि लगभग 130 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जा सका जबकि लगभग 150 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था क्या यह कभी माल डिब्बों की कमी के कारण जान बूझकर की गई अथवा कमी के कोई और कारण थे ।

श्री शाहनवाज खां : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को रेल परिवहन की कमी उसी प्रकार महसूस हो रही है जैसे अन्य क्षेत्रों के उद्योगों को हो रही है हममें जानबूझकर कमी करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ।

श्री शाहनवाज खां : कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि उसे कोयला खानों के मुहानों से हटाना होता है । यदि कोयला खानों पर अधिक कोयला इकट्ठा हो जाये तो वहां आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है । इस लिए, वहां कोयले को रखने के लिये स्थान की कमी की समस्या खड़ी हो जाती है । माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

श्री बसंतराव पुरुषोत्तम साठे : क्या इस का अर्थ हम यह समझे कि तीन वर्ष पहले जब कोयले का अधिक उत्पादन होता था तब हमारे पास अधिक माल डिब्बे थे तथा अब माल डिब्बों थ तथा अब माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले का उत्पादन भी घट गया है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य जानते हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्र में गम्भीर रूप से कानून और व्यवस्था भंग होने के कारण बहुत अधिक चोरियां हुई जिससे अनेक माल डिब्बे बेकार हो गये । इसके कारण, ये सभी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई । इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि इस्पात कारखानों में मरम्मत होने के कारण उन्होंने कम कोयला लेना आरम्भ कर दिया क्योंकि उन्हें उस किस्म का कोयला नहीं चाहिये था ।

श्री बसंत राव पुरुषोत्तम साठे : बिजली उद्योग अधिक कोयले की मांग कर रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने सारा मामला उलझा दिया है ।

Shri R. P. Yadav : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that they can increase the coal production if they so desire. I am unable to understand that who prevents them from increasing coal production. Decline in coal production may be attributed to anything but I want to know from the Government whether they are making certain attempts to supply coal to the people at fair prices ?

Shri Shahnawaj Khan : I have already stated that there is no shortage of coal. The problem is of carrying coal to the consumers. I have also submitted that this problem has arisen out of inadequate wagon supply. But Railway are trying their level best to increase wagon supply as soon as possible.

श्री समर गुह : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री ने कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में पूर्वी क्षेत्र में अव्यवस्था का जो कारण बताया है वह संगत नहीं है। क्या रानीगंज आसनसोल भारिया क्षेत्र में जहां बहुत अधिक कोयला निकाला जाता है, भारी मात्रा में कोयला जमा हो गया है जिसके कारण कोयला खान मालिकों ने धीमी गति से कोयला निकालने की पद्धति अपनाई है? यदि यह बात सच है तो क्या इसके कारण विशेषकर आसनसोल क्षेत्र में श्रमिकों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया है? अंत में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या खान मंत्रालय और रेल मंत्रालय कोयले की शीघ्र ढुलाई के बारे में एक अन्त विभागीय समिति बनायेंगे जो कोयले की ढुलाई के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाए?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य के यह कहने से कि कोयला खानों में भारी मात्रा में कोयला जमा है यह सिद्ध होता है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। इससे मेरे वक्तव्य की भी पुष्टि होती है। रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय परस्पर पूरा सम्पर्क बनाये हुए है तथा वे कोयले की ढुलाई की समस्या का समाधान खोजने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : महोदय मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। यदि उन्हें सूचना चाहिये तो पृथक बात है। मैं आपसे सहायता चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिदिन आपको सहायता नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : मैंने प्रश्न काल में सदस्यों को प्रश्न पूछने के प्राप्त विशेषाधिकारों के अन्तर्गत ही स्पष्ट प्रश्न किये हैं। यदि मंत्री महोदय सूचना चाहते हैं तो वह बात मानी जा सकती है अन्यथा उन्हें उत्तर देना ही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि माननीय सदस्य का कहना है कि कोयला खानों में भारी कोयला जमा है। सिद्ध करता है कि कोयले की कमी नहीं है। इसमें सभी बातें आ जाती हैं।

श्री समर गुह : परिवहन के बारे में क्या उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री समर गुह : मैंने रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक अन्तर्विभागीय समिति के बारे में भी प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर भी दे दिया है।

श्री शाहनवाज खां : रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय में निकट का सम्पर्क है। हमने इस समस्या को सुलझाने के बारे में कई बैठकें की हैं। मैंने यह भी निवेदन किया है कि गत वर्ष के मार्च महीने की तुलना में इस मार्च में हमें 1000 अधिक माल डिब्बे दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तथा अवसर आजाद हिन्द फौज के बारे में प्रश्न करते रहते हैं किन्तु अब वह आजाद हिन्द फौज के जनरल से भी प्रश्न करते जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : In part (a) of the original reply hon. Minister has admitted the fact of decline in coal production. But answering the supplementary questions

he has stated that there is no shortage of coal and that coal accumulated on the pitheads of coal mines. There are contradictory statements. May I know whether Government have received any reports regarding the closure of several coal mines in Madhya Pradesh during one week as a result of which 25,000 workers have been rendered jobless? May I also know the reason for closure of those mines?

Shri Shahnawaj Khan : The reason for closure of those mines is the large accumulation of coal exploited from mines at the pitheads. Since the coal has not been lifted from the mines. There is no need to exploit more coal.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कोयले के व्यापार में अविश्वसनीय चोर बाजारी विद्यमान है तथा खान मालिक माल डिब्बों की कोई कठिनाई अनुभव किये बिना अत्यधिक मूल्य पर कोयला बेच रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि उनको माल डिब्बे किस प्रकार मिल जाते हैं? दूसरे मंत्री महोदय ने बताया है कि माल डिब्बों की सप्लाई में सुधार हो रहा है। कोयले की सप्लाई में कमी का कारण परिवहन की कठिनाई बताया गया है।

अब चूंकि परिवहन की स्थिति संतोषजनक है तो क्या आप कोयले की दुर्भाई के लिये प्राप्त माल डिब्बों की वर्तमान संख्या से आप संतुष्ट हैं तथा उस सम्बन्ध में आलोचना करना असंगत है? क्या आपने इस बात का अनुमान लगाया है कि इस समय प्राप्त माल डिब्बों से कोयले का कितना उत्पादन होगा?

श्री शाहनवाज खाँ : वर्तमान अनुमानों के अनुसार यदि रेलवे विभाग प्रतिदिन 8,600 माल डिब्बे देता रहा तो कि देश में कोयले की कमी नहीं होगी। इस वर्ष के आरम्भ में रेलवे विभाग से प्रतिदिन लगभग 7,262 माल डिब्बे मिलते रहे किन्तु मार्च, 1972 में उन्होंने 8,342 माल डिब्बे सप्लाई किये हैं। इस प्रकार स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तथापि अभी 400-500 माल डिब्बे की कमी है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि व्यापारियों को किस प्रकार माल डिब्बे मिल जाते हैं तथा वे बहुत अधिक दामों पर कोयला बेचते हैं, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो माल डिब्बे अलाट करता नहीं हूँ।

दक्षिण पूर्व एशिया का तटस्थीकरण

* 684. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड ने दक्षिण पूर्व एशिया को बड़ी शक्तियों की राजनीति से मुक्त करके उसे तटस्थ बनाने का समर्थन किया है;

(ख) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अभी हाल में भेंट की थी और हिन्द महासागर को प्रभावमुक्त क्षेत्र बनाने पर चर्चा की थी; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई करार हुए थे, और यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार का यह विचार है कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र बड़े राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। थाईलैंड की सरकार भी एशियाई देशों को नवम्बर 1971 की उस घोषणा के पक्षधरो में से है जिसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का बाहरी शक्तियों के हर तरह के हस्तक्षेप से मुक्त एक शांत, स्वतंत्र और तटस्थ और क्षेत्र के रूप में मान्यता और सम्मान दिलाने के लिए प्रारम्भ में कितने प्रयास की आवश्यकता होगी उसके लिए वे दृढ़ संकल्प हैं।

(ख) और (ग) मार्च के अंत में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें इस विषय पर तथा आपसी हित के दूसरे विषयों पर भी विचार विनिमय हुआ था। दोनों में से किसी भी पक्ष ने न तो कोई औपचारिक करार करने की कोशिश की थी और न कोई ऐसा करना चाहता था।

Shri Shrikishan Modi : May I know whether China has granted substantial amount of loan to Mauritius and they are establishing political relations? Will it affect India and if so, to what extent?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में इसका मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है.....चीन अन्य देशों को उपकरण सप्लाई करता है।

Shri Shrikishan Modi : Will the hon. Minister inter into direct negotiations with a view to arrest danger to islands in the Indian ocean from big powers?

श्री स्वर्ण सिंह : तटस्थ देशों के लुसाका सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी और इस पर सहमति हुई थी कि हिन्द महासागर में बड़ी नौ सैनिक शक्तियों द्वारा नौ सैनिक अड्डे बनाने को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये इस क्षेत्र के देशों और समुद्रवर्ती देशों को एक दूसरे के साथ परामर्श करना चाहिये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ बातचीत की है और यदि नहीं तो क्या वह उनके साथ अब परामर्श करेंगे?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि यह मामला इस क्षेत्र के सभी देशों के लिये महत्वपूर्ण है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड इसी कोटि में आते हैं। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इस महीने के अन्त में भारत आयेंगे और मुझे विश्वास है कि इस मामले पर भी बातचीत की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या यह निष्कर्ष निकालना ठीक होगा कि एशियाई सुरक्षा व्यवस्था में थाईलैंड को छोड़कर किसी अन्य देश ने रुचि नहीं दिखाई है और क्या सरकार एशियाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये चीन के साथ बातचीत करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का एशियाई सुरक्षा के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु मैंने कहा है कि एशियाई देशों ने सयुक्त रूप से लोषणा की है। इस ग्रुप में थाईलैंड भी है और अन्य देश भी हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि केवल थाईलैंड ही इसके पक्ष में है।

श्री पी० बेंकटासुब्रया : थाईलैंड हिन्द महासागर को तटस्थ रखने के पक्ष में है। क्या दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जिसमें थाईलैंड भी शामिल है, फिर भी बना रहेगा या कोई ऐसा संकेत मिला है कि इस उद्देश्य के लिये समस्त स्थिति पर फिर विचार किया जाये जिसके लिये थाईलैंड और भारत ने बातचीत की थी?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन का सदस्य है परन्तु हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते कि उनके संगठन का अस्तित्व अभी है या नहीं है। हम इन संगठनों के हमेशा विरुद्ध रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है।

“सियारो” और “सेंटों” के सदस्य देशों को यह निर्णय करना है कि क्या ये पुरानी संधियां अब भी मान्य हैं या नहीं। मैं “सियारों” के सदस्य देशों के साथ इस मामले पर बातचीत करने के पक्ष में नहीं हूँ।

**भारतीय दूतावासों में भारत की स्वतन्त्रता की रजत
जयन्ती का मनाया जाना**

*685. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को भारत की स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाने के बारे में निदेश भेज दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें ये निदेश भी दिये गये हैं कि भारत के महान् बापू जी के आदर्शों और जीवन पर पोस्टरों, लेखों आदि द्वारा प्रकाश डाला जाये ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या रजत जयन्ती के अवसर पर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें संसद सदस्य शामिल नहीं होंगे विदेश भेजा जायेगा और क्या यह विशिष्ट समारोह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में सिंगापुर में मनाया जायेगा?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ये दोनों सुभाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने हमारे दूतावासों को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त या निदेश जारी किये हैं कि उन्हें स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिये किस प्रकार के कार्यक्रम बनाने चाहिये ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ? हम यह नहीं चाहते कि वे अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन करें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। भारत सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है जो स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ मनाने के लिये इस समस्त मामले पर विचार करेगी और इस अवसर को उचित ढंग से मनाने के कार्यक्रम निर्धारित करेगी। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है जो हमारे दूतावासों को भेजा गया है। अंग्रेजी, फ्रेंच स्पेनिश, रूसी और अरबी में एक विशेष पुस्तक प्रकाशित की जायेगी जो हमारे दूतावासों द्वारा विदेशों में बांटी जायेगी। एक फिल्म भी बनाने का विचार है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की प्रगति दिखाई जायेगी और यह फिल्म विदेशों में टेलिविजन केन्द्रों और सिनेमाघरों में दिखाई जायेगी। इसी प्रकार विदेशी पत्रकारों और सिनेमा, रेडियो और टेलिविजन विशेषज्ञों को यहां आमंत्रित करने का विचार है जो यहाँ स्वयं अपनी फिल्में बना सकेंगे और उन्हें अपने देशों में दिखायेंगे।

रजत जयन्ती मनाने के लिये विदेशों में ‘इण्डिया डेज’ और ‘इण्डिया वीक्स’ का आयोजन करने के लिये भी भारतीय मिशनों को सहायता देने और प्रदर्शनियां तथा ‘फिल्म शो’ आयोजित करने के लिये सामग्री भेजने का भी विचार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने उन वस्तुओं का उल्लेख किया है जो यहां से सप्लाई की जायेंगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे दूतावास 'काक टेल' पार्टियां कर देने से संतुष्ट हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब बापू जी को याद करना है तब आप 'काक टेल' पार्टी कैसे कर सकते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस आशय के अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि भविष्य में भी वह समारोहों को किस प्रकार मनायें। हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर वे अपनी योजनायें बनायेंगे और वे अपनी योजनायें हमें भेजेंगे।

श्री के० जी० देशमुख : मैंने अपने कुछ दूतावास देखे हैं। मैंने विदेशों में अपने दूतावासों के कार्यालयों में बापू जी का कोई चित्र नहीं देखा है। क्या मन्त्री महोदय उन्हें अनुदेश देंगे कि वे अपने कार्यालयों में हमारे राष्ट्रपिता, बापूजी के चित्र लगायें ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे यह सुनकर दुःख हुआ है कि विदेश स्थित कुछ भारतीय दूतावासों में बापू जी के चित्र नहीं लगे हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि विदेश स्थित सभी दूतावासों को बापू जी के चित्र उपलब्ध हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस अवसर के लिये विशेष धन-राशि दी गई है और यदि हां, तो कितनी और कितनी राशि विदेशी मुद्रा के रूप में दी गई है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अभी योजना बनाई जा रही है। विदेशों में स्थित हमारे दूतावास भी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। वे उनके आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देंगे। उनकी योजनाएं प्राप्त होने पर रजत जयन्ती समारोह मनाने के लिए हम धन की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ? क्या खर्च के बारे में उनका कोई अनुमान नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी। हमारे दूतावासों को पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा तात्पर्य यह था कि कुछ भी धन न खर्च किया जाये।

Shri Ram Chandra Vikal : The hon'able Minister has stated that instructions will be issued to our Embassies. I want to know as to when the guidelines will be sent ?

Shri Surendra Pal Singh : As soon as possible.

श्री पीलू मोदी : उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के बारे में मेरा बहुत खराब अनुभव रहा है। सामान्यतः वे कोई निर्णय नहीं कर पाती अतः मैं पूछना चाहता हूं कि इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्य कौन कौन हैं ? मेरा एक सुभाव यह है कि जिन देशों में हम रजत जयन्ति मनाना चाहते हैं वहां के प्रमुख दैनिक पत्रों के विशेष अंक प्रकाशित किये जायें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस सुभाव का ध्यान रखा जायेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या सिगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक बनाने की कोई योजना है जिसे अंग्रेजों ने हटा दिया था ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को दर्शाने वाला कोई वृत्त चित्र तैयार किया गया है.....

श्री पीलु मोदी : जिसका अन्त भारत-रूस संधी के साथ हुआ है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : भारत-रूस सन्धि और बंगला देश का उदय ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई फिल्म तैयार की गई है जिसमें यह दिखाया गया हो कि भारतीयों ने ब्रिटिश शक्ति का कैसे मुकाबला किया और अब वह अमरीकी साम्राज्यवाद का कैसे मुकाबला कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ । एक फिल्म बनाने का हमारा विचार है जिसमें स्वतंत्रता आन्दोलन से आज तक के भारतीय दृश्य दिखाये जायेंगे ।

श्री राम सहाय पांडे : विश्व के विभिन्न देशों में हमारी स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है । क्या सरकार का विचार कुछ महत्वपूर्ण देशों को श्री पीलु मोदी जैसे कुछ संसद सदस्यों सहित सांस्कृतिक दल भेजने का है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गैर सरकारी क्षेत्र में और अधिक संख्या में छोटे इस्पात कारखानों की स्थापना

*686. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी क्षेत्र में और अधिक संख्या में छोटे इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम) : (क) पारस्परिक प्रक्रिया अथवा लगातार ढलाई की प्रक्रिया द्वारा विद्युत भट्टियों में, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र की हों अथवा निजी क्षेत्र की, इस्पात के स्क्रैप से इस्पात पिण्ड अथवा बिलेट के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता को स्वीकृति देने के प्रश्न पर सरकार स्क्रैप की उपलब्धि को ध्यान में रख कर विचार कर रही है ।

(ख) फरवरी 1970 में वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा के पश्चात् ऐसी इकाइयों के लिए 19 आशय पत्र । सी० ओ० बी० लाइसेंस/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या इन संयंत्रों से देश में इस्पात की कमी की पूर्ति हो सकेगी ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : स्थापित हो जाने पर इन संयंत्रों का योगदान बहुत थोड़ा सा ही होगा । मुख्य योगदान तो स्वीकृत इस्पात संयंत्रों का ही होगा ।

श्री आर० बालकृष्णन पिल्ले : क्या कालीकट में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कहाँ से इसमें आता है ?

श्री आर० बालकृष्णन पिल्ले : यह प्रश्न छोटे इस्पात कारखानों के बारे में है ।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि विद्युत भट्टी द्वारा लगातार ढलाई करने वाले संयंत्र के लिए एक लाइसेंस 'स्टील कामलेक्स लिमिटेड' को दिया गया है जिस कम्पनी में केरल राज्य सरकार की शेयर पूंजी भी है ।

परन्तु जहाँ तक समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रश्न है केरल सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री के० सूर्य नारायण : क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कोठागुडम में एक छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदित किया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब अपने केरल के संबंध में उत्तर दे दिया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको अवश्य उत्तर देना होगा ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है । मुझे इस का पता नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ ।

श्रीमती टी लक्ष्मीकान्तम्मा : महोदय प्रश्न का सम्बन्ध मेरे चुनाव क्षेत्र से है । हाल में छोटे इस्पात संयंत्र दल ने कोठागुडम में छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर रिपोर्ट देने के विचार से कोठागुडम का दौरा किया था । उस दल ने वहाँ पर सरकारी क्षेत्र में छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है । इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य का यह कथन ठीक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल की यात्रा का संबंध कोठागुडम में इस्पात संयंत्र की स्थापना से था ।

श्री जी० विश्वानाथन : छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंसों के बारे में हम समझते हैं कि उनमें से अधिकतर राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में निजी क्षेत्र को दिए गए हैं । इन लाइसेंसों के लिए निजी क्षेत्र को ही क्यों बरीयता दी गई है ?

श्री पीलू मोदी : हमेशा ही ऐसा होता है ।

श्री जी० विश्वानाथन : मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन नहीं है और क्या सरकार का यह मत है कि निजी क्षेत्र को लाइसेंस देकर समाजवाद शीघ्रता से लाया जा सकता है ?

श्री पीलू मोदी : क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है ।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य का यह आक्षेप गलत है ।

श्री जी० विश्वानाथन् : यह आक्षेप नहीं है ?

श्री एस० मोहन कुमारा मंगलम् : मैं फिर यह कहता हूँ कि माननीय सदस्य का यह आक्षेप गलत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई है । इसके विपरीत छह 'आशय पत्र' राज्य सरकारों के उपक्रमों को जारी किए गए हैं और किसी भी राज्य सरकार के उपक्रम को लाइसेंस से इनकार नहीं किया गया है । दो लाइसेंस संयुक्त क्षेत्र में दिए गए हैं और केवल शेष ही निजी क्षेत्र में दिए गये हैं ।

श्री जी० विश्वानाथन् : निजी क्षेत्र में कितने लाइसेंस दिये गये..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी आप बहुत बाधा डाल रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : माननीय मंत्री ने पहले तो यह कहा कि यह "आक्षेप" है । आपने "आक्षेप" शब्द सुना । इस ओर से माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह सत्य है । तब फिर से उन्होंने कहा कि यह "आक्षेप" है । क्या इन बातों का कोई 'खुलासा' नहीं होगा ?

श्री मती टी० लक्ष्मीकान्तम्भा : आप श्री पीलू मोदी को निरन्तर बोलने की अनुमति दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनसे भगड़ा मोल न लें ।

बिहार और महाराष्ट्र में सोने की खोज के लिए सर्वेक्षण

*687 कुमारी कमला कुमारी : क्या इस्पात और खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और महाराष्ट्र में सोने की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा स्वर्ण के लिए बिहार के सिधभूम जिले के कुन्डरकोवा सोना नदी, सौसल में किए गए प्रारम्भिक अन्वेषण अप्रोत्साहनीय रहे हैं । लावा क्षेत्र (बिहार) का व्यघन द्वारा विस्तृत पूर्वोक्षण 1971 में सम्पूरित हो चुका है और अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है । बिहार के सिधभूम जिले के मंसरी खण्ड में व्यघन द्वारा समन्वेषण प्रगति पर है ।

भीवापुर पोनी क्षेत्रों में स्वर्ण के लिए प्रारम्भिक अन्वेषणों से यह ज्ञात हुआ है कि

कोलारी, मोखावारदी और पुलार क्षेत्रों, महाराष्ट्र में स्वर्ण युक्त क्वार्टज की पट्टियाँ विद्यमान हैं। विस्तृत अन्वेषणों ने मोखावारदी और पुलार में आर्थिक महत्व की क्वार्टज की किसी पट्टी को दर्शित नहीं किया है। प्राप्त नमूनों के व्यघन और विश्लेषणात्मक परिणामों से प्राप्त परिणाम, कोलारी में एक मीटर मोटी, 125 मीटर लम्बी क्वार्टज की पट्टी में 6.9 ग्राम प्रति टन स्वर्ण की विद्यमानता को दर्शित करते हैं। और अधिक व्यघन प्रगती पर है।

Kumari Kamla Kumari : In view of the fact that traces of Gold have been found in Swaran Rekha River of Bihar, does he not consider it necessary to conduct a Survey there ?

Shri Shah Nawaz Khan : We had carried out surveys in Lawa and Singhbhum areas. Geological Survey of India had carried out exploration work there. But unfortunately, the results have not been promising.

Kumari Kamla Kumari : Has it been conducted at Ranchi or not ? Traces of Gold have been found in Swaran Rekha River. Therefore, we hope that Gold may be found there.

Shri Shah Nawaz Khan : Explorations were also carried out at Kunderkocha at Sona River but the findings have been discouraging.

Shri M. Ram Gopal Reddy : When the name of the place is 'Swaran' it must be available there.

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : नागपुर के निकट विदर्भ में विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसरों ने अनुसंधान के दौरान यह पता लगाया कि...

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी नहीं दे सकते। प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र का सदस्य होने के नाते आपको असम्बद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। सीधा प्रश्न पूछें।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : उन्होंने नागपुर के निकट सोना मिलने का पता लगाया था। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में जानकारी चाहता हूँ।

श्री शाहनवाज खां : वह अधिक नहीं है।

बड़े पत्तनों के विषय में समझौता वार्ता संबंधी व्यवस्था

689. **श्री पम्पन गौडा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े बड़े पत्तनों के विषय में समझौता वार्ता संबंधी व्यवस्था बनाने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं। मामला अभी तक विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पम्पन गौडा : क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में इस बारे में कोई निर्णय करने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जहां तक गोदी और बन्दरगाहों के लिए समझौता वार्ता सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न है, एक अवस्था तक इस प्रस्ताव ने पर्याप्त प्रगति की थी परन्तु बाद में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई और अब नौवहन और परिवहन मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के सचिव इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है अथवा नहीं, क्या ऐसा व्यवहार्य भी होगा अथवा नहीं। इसकी जांच की जा रही है ?

मैसर्स हिन्दलको द्वारा तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाने के लिए अनुमति मांगना

***691. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दलको ने वर्तमान दो मशीनों के अतिरिक्त एक तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन किया था और यदि हां, तो क्या उसे अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह फर्म गत दो वर्षों से अनधिकृत रूप से तीसरी मशीन चला रही है और उसके उत्पादन के आंकड़े नहीं दिखा रही हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह जांच करने का है कि हिन्दलको द्वारा अनधिकृत रूप से अधिक निर्माण की गई 'प्रोपरजी' शलाकाओं की चोरबाजारी के कारण कितने उत्पादन शुल्क की हानि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान ऐलुमिनियम निगम लिमिटेड ने प्रोपरजी रीडर छड़ों की अपनी विद्यमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में 6,000 टन प्रतिवर्ष के विस्तारण के लिए औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदित किया है।

(ख) और (ग) सरकार किसी तीसरी मशीन के अप्राधिकृत संचालन से भिन्न नहीं है। तथापि, सरकार इस मामले की जांच करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि 1970-71 में इस कम्पनी को कच्चे माल के लिए तदर्थ लाइसेंस दिया गया था जिससे कि वह ई० सी० ग्रेड की "प्रोपरजी रीडर" छड़ों के अपने उत्पादन में 15,000 मीट्रिक टन की वृद्धि कर सके ? क्या यह पता लगा था कि कच्चे माल की इस अतिरिक्त सप्लाई के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ा था ? 1970-71 के तदर्थ लाइसेंस पर आए अतिरिक्त कच्चे माल के आधार पर किए जा रहे अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो रहा है ? अतिरिक्त उत्पादन आंकड़ों में दिखाया नहीं जा रहा, क्या यह सच नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : यह आंकड़ों में दिखाया गया है। उन्हें 22,000 मीट्रिक टन के उत्पादन की अनुमति थी। उनका वास्तविक उत्पादन 1969 में 20,800 मीट्रिक टन था, 1970 में 23,000 मीट्रिक टन का और 1971 में 24,000 मीट्रिक टन था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आंकड़े बहुत भ्रामक हैं। इस संयंत्र की मूल क्षमता 21,000 मीट्रिक टन थी। माननीय मन्त्री ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है। क्या बाद में उन्हें अपने उत्पादन को 40,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कच्चे माल का तदर्थ नियतन

किया गया है और जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, वास्तव में उन्होंने बड़ा हुआ उत्पादन नहीं दिखाया है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि क्या वे अनधिकृत रूप से तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाते रहे हैं और उम मशीन का सारा उत्पादन अनधिकृत उपभोक्ताओं को काले बाजार में बेचा जा रहा है? क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है अथवा वह इसकी जांच करेंगे?

श्री शाहनवाज खाँ : हमें तीसरी मशीन के लगाने की कोई जानकारी नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, इस बात का पता लगाने के लिए कि यह वक्तव्य सत्य है अथवा नहीं सरकार मामले की जांच करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि यह कम्पनी और इसकी अन्य सहयोगी कम्पनियां अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल एक कम्पनी से संबंधित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा तात्पर्य हिंडलको और उससे संबंधित कम्पनियों से है, मेरा दूसरा प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : वे केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उसी प्रश्न का भाग (ख) है। मैं सभा में सात दिन तक अनुपस्थित रहा अतएव मुझे इसकी अनुमति दी जाये।

मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इन तथ्य से अवगत हैं कि ऐल्यूमिनियम और इसके उत्पादों की बाजार में भारी मात्रा में चोरबाजारी हो रही है और यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शाहनवाज खाँ : मैं माननीय सःस्य को बताना चाहता हूँ कि इस फर्म को पहले ऐल्यूमिनियम के 60,000 मीट्रिक टन धातु पिंड का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। सरकार ने इस समय 80,000 मीट्रिक टन क्षमता की मंजूरी दी है और अन्त में उन्हें 1,20,000 मीट्रिक टन ऐल्यूमिनियम के धातु पिंड का उत्पादन करने की क्षमता की मंजूरी दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐल्यूमिनियम में भारी मात्रा में हो रही चोरबाजारी के बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे इसकी जांच करेंगे।

Kumari Kamla Kumari : The hon. Minister has not categorically stated as to when the third machine was installed and the production through it...

An Hon. Member : He says that he does not know.

Shri Shahnawaz Khan : The Lady member is not fair to me. I had stated that I had no knowledge whether the third machine was installed or not.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न की सूचना तीन सप्ताह पूर्व दी गई थी और उनका उत्तर है कि तीसरी मशीन लगाये जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि वस्तुस्थिति जानने के

लिए तीन सप्ताह पर्याप्त नहीं है तो इन प्रश्नों को पूछने का क्या लाभ है ?

श्री शाहनवाज खां : यह जानने का दायित्व, कि क्या अतिरिक्त मशीनें लगाई गई हैं अथवा नहीं, तकनीकी विभाग के महानिदेशक पर है। हमने यह मामला महानिदेशक को सौंपा था और हमें यह उत्तर मिला कि उन्हें तीसरी मशीन लगाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे इसकी जांच करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे न इसकी पुष्टि करते हैं और न इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : माननीय सदस्य यह देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। यह तथ्य है। हम जानते हैं कि यह सभा इस विषय पर सही सूचना चाहती है और हमारा उत्तर है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होगी। हम इसको सभा के समक्ष रखेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वे मशीन को दिला देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे उनसे इस बारे में पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने गत चुनावों में बिड़ला बन्धुओं से भारी मात्रा में धन लिया है। यही दुख की बात है।

पश्चिम जर्मनी में इस्पात का निर्माण करने की 'भारती' प्रक्रिया

*692. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात निर्माण की 'भारती' प्रक्रिया जिसे इस देश में अलाभकर और असम्भव माना गया था, पश्चिम जर्मनी के प्रसिद्ध इस्पात निर्माताओं द्वारा अर्जित की जा रही और अपनाई जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) : (क) अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी विदेशी निर्माता ने इस्पात बनाने के लिए 'भारती प्रक्रिया' को अर्जित करके अपना लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : सरकार ने हमारे देश में भारती प्रक्रिया का परीक्षण करने हेतु क्या प्रयास किये हैं तथा क्या ऐसा परीक्षण किया गया है और यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि मैंने हाल ही में इस प्रश्न का उत्तर सभा में दिया था कि इस प्रक्रिया की व्यवहारिता का प्रश्न जून 1971 में एक

विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया था जिसके जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डा० सलटेकर अध्यक्ष हैं और इसके निम्नलिखित चार सदस्य हैं :—

बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के धातुकर्म समूह के निदेशक डा० ब्रह्मप्रकाश, हैदराबाद स्थित प्रतिरक्षा धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डा० ताहामन्कर, हैदराबाद विश्व-विद्यालय में धातुकर्म विभाग के अध्यक्ष प्रो० टी० आर० अनन्तरामन और सी० ई० डी० बी०, एस० एस० एल० के उप मुख्य इंजीनियर श्री के० सी० मोहन समिति ने संपूर्ण मामले की जांच करके यह रिपोर्ट दी थी कि इस प्रक्रिया को आगे चलाना व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि इसको चलाने में कतिपय कठिनाइयां हैं, इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त हमने इसे देश के कई प्रमुख धातु कर्मविदों के पास भेजा था और उनकी राय प्राप्त होने के उपरान्त हमने अंत में यह निर्णय किया है कि इस प्रक्रिया को आगे जांच करना लाभप्रद नहीं होगा ।

श्री० पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या समिति ने पश्चिम जर्मनी की कोपर्स एण्ड डेमग द्वारा तैयार रिपोर्ट की व्यवहार्यता की जांच की है ? क्या सरकार हमारे विशेषज्ञों के रिपोर्ट से संतुष्ट है और क्या इसके क्रांतिकारी स्वरूप तथा इससे प्राप्त होने वाले अत्यधिक लाभ को देखते हुए सरकार इसका प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण करना अथवा छोटे संयंत्र परीक्षण करना वांछनीय समझती है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : समिति को जो मामला सौंपा गया था, वह यह था कि क्या सरकार को इस प्रक्रिया का प्रयोगशाला में परीक्षण अथवा अन्य परीक्षण करना चाहिए । समिति के परामर्श पर जिसमें धातु कर्म के विशेषज्ञ तथा देश के अन्य धातुकर्मविद् थे, सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस पर आगे कार्यवाही करना लाभप्रद नहीं होगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस्पात का निर्माण करने की डा० भारती की क्रांतिकारी प्रक्रिया अमरीका और पश्चिम जर्मनी में ध्यान आकर्षित कर रही है । इस तथ्य को देखते हुए कि पश्चिम जर्मनी की प्रमुख कर्म कोपर्स ने कहा है कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य है तो क्यों नहीं सरकार एक बार और इसका अध्ययन करती तथा इसका परीक्षण करने के लिए मार्गदर्शी संयंत्र बनाती ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सरकार यह समझती है कि इस प्रकार के तकनीकी मामले में हमारे देश में तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श पर निर्भर करना उचित होगा जो कि देश में श्रेष्ठ विशेषज्ञ माने गये हैं, हमें यह विश्वास है कि ये विशेषज्ञ अपनी राय देते समय अपनी नैतिक मान्यताओं और अपनी तकनीकी ज्ञान से प्रभावित हुए होंगे । हम यह उचित नहीं समझते हैं कि भारत में उच्च तकनीकी विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों के परामर्श को माना जाये ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : चूंकि न केवल भारत अपितु विदेशों में भी इस मामले में रुचि दिखाई गयी है तो इस पर विचार करने के लिए क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाती है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : सरकार को भारतीय धातुकर्म विशेषज्ञों की प्रतिष्ठा और क्षमता पर पूर्ण विश्वास है ।

Automatic Increase in Workers Wages with Price Rise

*693. Shri M. C. Daga . Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government propose to evolve any formula on the basis of which the wages of labourers working in the industries could be increased automatically along with rise in prices and if so, the main features thereof; and

(b) whether the financial condition of the labourers has become pitiable as a result of the rising prices ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धियों से उत्पन्न किसी कठिनाई से श्रमिकों को सुरक्षण देने के लिए, कई उद्योगों में जीवन निर्वाह मूल्य से सम्बद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते की प्रणाली या तो मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों अथवा द्विपक्षीय समझौतों द्वारा पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है। संबंधित पक्ष इस प्रयोजन के लिए, अन्य उद्योगों/प्रतिष्ठानों में इस प्रणाली को प्रारम्भ करने तथा परस्पर स्वीकार्य फार्मूले को प्रस्तुत करने के लिए बातचीत कर सकते हैं।

Shri M. C. Daga : Part (b) of the question has not been replied to. Regarding the condition of labourers, nothing has been said. The prices have increased. They want to leave the labourers to their fate? If the wages of the labourers are not increased along with the rising prices, and they resort to strike to get their wages increased from the managements and proprietors, then will they consider the strike as legal?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जहां तक इसमें मंहगाई को जोड़ने और मंहगाई भत्ता देकर इसको निष्प्रभावित करने का संबंध है, यह तरीका अपनाया जाता है। 19 उद्योगों में मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और इसके आधार पर लगभग 90 से 100 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि को निष्प्रभावित किया गया है। तीन मामलों में यथा लोहा तथा इस्पात उद्योग, बैंकिंग उद्योग तथा जीवन बीमा निगम में द्विपक्षीय समझौते द्वारा इस को लागू किया गया है। अन्य उद्योगों के मामलों में, जैसा कि उत्तर से सुस्पष्ट हो जाता है, इस समस्या को सुलभाने का कार्य मालिकों अथवा प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों पर निर्भर है और जहाँ भी इन मामलों को उठाया जाता है? वहाँ प्रश्न हड़तालों की वैधता का नहीं होता? इन मामलों को समझौतों अथवा अन्य उपायों द्वारा सुलभाया जा सकता है।

Shri M. C. Daga : If the management and proprietors are not prepared for mutual agreements with labourers, because it is not essential that the management or proprietors should agree to mutual agreements with labourers, then the labourers can resort to strike or not?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक काल्पनिक प्रश्न है। और जैसा कि मैंने कहा है, 19 बड़े उद्योगों में मजदूरी बोर्ड का पंचाट लागू है, और कुछ बड़े उद्योगों के मामलों में भी द्विपक्षीय समझौता हुआ है। यदि कोई विशेष मामला है तो मैं उत्तर दे सकता हूँ, परन्तु ऐसे काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : श्रमिकों में यह भावना व्याप्त हो गई है कि केवल हड़ताल करने पर ही सरकार उनकी मांगों पर विचार कर सकती है, क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इसको किस प्रकार सुलभाया जा सकता है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सोचना ठीक नहीं है कि केवल हड़ताल से ही इन मामलों को सुलझाया जा सकता है। कभी-कभी कतिपय प्रबंधक अथवा मालिक ठीक समय पर कार्यवाही करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि काम रोक देने से अथवा हड़ताल किये बिना उनकी उचित मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यह गैर सरकारी उपक्रमों के बारे में है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उन्हें क्या कहना है? सरकार इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं करती है?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन निर्वाह संचकांक संकलित करने की प्रणाली दोषपूर्ण है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय स्तर पर भी इस बात को बार-बार उठाया गया है। मूल्य सूचकांक में वास्तविक वृद्धि वस्तुतः बाजार में प्रचलित मूल्यों को नहीं दर्शाती है। अतएव इस संबंध में जीवन निर्वाह व्यय को वस्तुतः निष्प्रभावित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य तो यह सुझाव दे रहे हैं कि वर्तमान मूल्य सूचकांक व्यवस्था अपर्याप्त है.....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह दोषपूर्ण है।

श्री आर० के० खाडिलकर : कि यह सही मूल्य प्रवृत्ति को नहीं दर्शाती है यह इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उन्हें पता है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण 20 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है और यदि हाँ तो क्या वे यह मामला अन्य मंत्रालयों के पास उठायेंगे कि वे बड़े पैमाने पर श्रमिक अशांति होने से पहले प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करें?

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे विचार में उन्हें यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के पास उठाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : When there is price-rise, considerable time is taken to pay dearness allowance accordingly to the labourers. The labourers have to spend more money instantaneously when the prices increase. I want to know whether the hon. Minister is going to make such arrangements as to pay dearness allowance to labourers instantaneously when there is increase in price?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह हमेशा संभव नहीं होता कि यदि कहीं मूल्यों में वृद्धि होती है तो तत्काल ही स्वतः महंगाई भत्ता दिया जाये। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Mineral Deposits in Madhya Pradesh

*683. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

- (a) whether mineral deposits have recently been discovered in Madhya Pradesh on a large scale;
- (b) if so, whether any survey of these mineral deposits has been made; and
- (c) if so, the outcome thereof and the possibilities of their commercial exploitation ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam) : (a) to (c) : As a result of Geological investigations carried out by the Geological Survey of India in recent years, 21 million tonnes of copper or with 1.16% copper has been indicated so far in Malanj-khand, Balaghat district. Gross reserves of about 200 million tonnes of SMS grade and 1500 million tonnes of flux grade limestone in Jabalpur, Rewa, Satna and Bilaspur districts and gross insitu reserves of 20 million tonnes of bauxite with more than 45% alumina content in Amarkantak bauxite deposit have been proved.

Depending on results of exploratory mining and beneficiation tests, feasibility study will be made for exploitation of the copper ore deposit at Malanjkhanda. The exploratory mining work in consultation with Hindustan Copper Limited is in progress. As regards limestone deposits in Madhya Pradesh, apart from several plants in private sector at Keymore, Satna, Jamul etc., the Cement Corporation of India has started Mandhar Cement Plant in 1970 and developed a mine in Raipur district. Regarding Amarkantak bauxite deposit, the Bharat Aluminium Company have already commenced mining activities.

वर्ष 1972 में औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और ताला बंदियों के परिणामस्वरूप श्रम दिनों की हानि

*688. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1972 में औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और तालाबंदियों के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रम दिनों की हानि हुई; और

(ख) हड़तालों के मुख्य कारण क्या थे तथा उस स्थान पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार, जनवरी और फरवरी, 1972 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण खोये गए कुल श्रमिकों दिनों की संख्या 9.6 लाख के लगभग थी। सूचित किया गया कि वेतन और भत्ता, बोनस, आरोपित अनुशासनहीनता और हिंसा और कार्मिक मामलों से संबंधित विवादों का होना कार्य रूकवाने के मुख्य कारण हैं। जैसा कि वर्तमान साविधिकतंत्र और स्वैच्छिक प्रबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक है, औद्योगिक सम्पर्कतंत्र का निरन्तर प्रयास है कि प्रारम्भिक बहुस, समझौते और न्यायनिर्णय या विवाचन द्वारा कार्य रूकने को कम किया जाए।

सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण

*690. श्री बेकारिया : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उस सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण करने का निश्चय किया है जो अब दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है और पहले निष्क्रान्त सम्पत्ति परि-रक्षक के अधीन थी; और

(ख) यदि हां, तो सम्पत्ति का मूल्य वसूल करने की शर्त और तरीका क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : कुछ अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियां गन्दी-बस्ती सफाई योजनाओं के प्रयोजन के लिए दिल्ली नगर-सुधार-मंडल (जो अब दिल्ली विकास प्राधिकरण कहलाता है) और दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गई है। स्थानीय निकाय को इन सम्पत्तियों के मूल्य के रूप में तीन वर्ष के किराए के बराबर रकम अदा करनी होगी।

रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्टील मैल्टिंग शाप के गिरने के बारे में प्रतिवेदन

* 694. श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ऐसे कितने व्यक्तियों को सजा दी है जिन्हें रूरकेला इस्पात संयंत्र की 'स्टील मैल्टिंग शाप' के गिरने की जांच करने हेतु नियुक्त लुम्बा समिति के प्रतिवेदन में इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, और

(ख) इस्पात संयंत्र में ऐसी अन्य भावी दुर्घटना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ऐहति-याती उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) स्वेच्छा से कार्य मुक्त हुए अथवा पद त्याग दिये हुए कर्मचारियों को छोड़कर अन्य 10 कर्मचारियों के विरुद्ध हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा कार्यवाही की गई है।

(ख) भविष्य में दुर्घटना की रोकथाम के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने ने निम्नलिखित उपाय किये हैं—

- (i) स्टील मैल्टिंग शाप के स्तम्भों को सशक्त कर दिया गया है।
- (ii) गैस क्लीनिंग संयंत्र को पुनः चालू किया गया है।
- (iii) अब छूत की सफाई ठेकेदार के स्थान पर सिविल साधारण विभाग द्वारा की जाती है।
- (iv) नई निरीक्षण प्रणाली में अब यह सुनिश्चित किया गया है कि छूत का निरीक्षण समय-समय पर कारखाने के हरेक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- (v) भवनों और ढांचों की मरम्मत करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया जा रहा है जो नियमित रूप से भवनों, ढांचों आदि की हालत का निरीक्षण करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय अधिकारी

* 695. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवाओं में भारतीय अधिकारियों के कार्य करने की अकि-तम अवधि की कोई सीमा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चालू प्रक्रिया के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र में अथवा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के किसी संगठन में नियुक्त भारतीय अधिकारीगण 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं। पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किन्हीं अत्यन्त अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर नौकरी में वृद्धि मंजूर नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान मजदूरों की मजूरियां तथा राशि बकाया

* 696. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर 1971 के 'स्टेट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर गया है कि कोयला खान मालिकों ने अपने मजदूरों को मजूरियां नहीं दी हैं और उन्हें देय बकाया राशियों का भुगतान भी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में उन कोयला खान मालिकों के नाम क्या हैं जहाँ कोयला खान मजदूरों को उनकी वैध देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार का ध्यान एक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जो 19 सितम्बर, 1971 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ, यह समाचार, दूसरी बातों के साथ-साथ, यह व्यक्त करता है कि यदि कोयला खान मालिक अपने श्रमिकों को मजूरी भुगतान नहीं करते और उन्हें उनकी वैध देय राशियों से वंचित करते हैं, तो सरकार गंभीर कार्यवाही करेगी।

(ख) आधुनिकतम सूचना का पता लगाया जा रहा है।

(ग) श्रमिकों की देय राशि के भुगतान न करने के इस पहलू की जांच करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था। उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं—

- (1) पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रत्येक राज्य में राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों की देय राशियों की वसूली पर कार्यवाही करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार से परामर्श कर के इस पर कार्यवाही की जा रही है।
- (2) दावा आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटारे के लिए धनबाद और कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों को मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरणों के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है।

- (3) मुख्यालय से अनुमति लिए बिना रजिस्टर न रखने के लिए मालिकों का अभियोजन करने हेतु क्षेत्रीय श्रमायुक्तों को शक्तियां दी गई हैं;
- (4) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तंत्र को गलत अभिलेख रखने वाली कोयला खानों का महीने में एक बार निरीक्षण करने और सभी वसूली और अभियोजना के मामलों की सक्रिय रूप से पैरवी करने का निर्देश दिया गया है।

Strike by Employees in Government Canteens, New Delhi

*697. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the employees working in Government canteens in New Delhi have demanded from Government that they should also be treated as Government employees and their service conditions should be improved;

(b) whether they observed one day's token strike also in support of their demands; and

(c) if so, the steps taken by Government to safeguard their interests ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) ; (a) & (b) : Yes, Sir.

(b) Government is already considering the demand of the employees to give further dearness relief.

कोयला खान भविष्य निधि संगठन में घोटाला

* 698. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री व्यालार रवि :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घनबाद स्थित कोयला खान भविष्य निधि संगठन के हिसाब जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के लाखों कोयला खनिक हैं, सात करोड़ रुपये के घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो घोटाले का ब्योरा क्या है और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार श्रमिकों की गाढ़े पसीने की कमाई उन्हें वापस दिलाने के लिए कोई तरीके निकालेगी ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न सूचना दी है :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और कूच बिहार में खनिजों के निक्षेप

*699. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तांबा, जस्ता तथा अन्य धातुओं और खनिजों का पता लगाने के लिए हाल ही में दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और कूचबिहार के जिलों में भूगर्भीय सर्वेक्षण किया था क्योंकि इन क्षेत्रों में इनके उपलब्ध होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस भूगर्भीय सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) से (ग) : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, दार्जिलिंग जिले के कारुबधान क्षेत्र में क्वार्टजाइट के रूप में सीसा-जस्ता-ताम्र खनिजों के कुछ प्राप्ति स्थल पाए गए हैं। इन प्राप्ति स्थलों का बृहद् मापमान पर मानचित्रण, प्रतिचयन और व्यवहन द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की दस-वर्षीय योजना (1969-79) जो प्रगति पर है, की प्रथम प्रावस्था (1969-74) में दार्जिलिंग और जलपाईगुडी जिलों के 1250 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और प्रारम्भिक खनिज अन्वेषण और जलपाईगुडी और दार्जिलिंग जिलों में डोलोमाइट और ग्रेफाइट के लिए विस्तृत अन्वेषण सम्मिलित है।

मिश्रित इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के अधिकारियों का स्थानान्तरण

* 700. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' के कलकत्ता संस्करण में 2 टीप आफिसियल्स रैंकिंग डी० एस० पी० यूनिट फ्रम विदिम शीर्षक' के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र को स्थानान्तरित दोनों अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : सरकार को इस समाचार की जानकारी है। सरकार को ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कारखाने का कोई अधिकारी कारखाने के हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते

राजस्थान में भूमि के भीतर के खनिजों का सर्वेक्षण

4978. श्री विश्वनाथ भुंभुन वाला : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में भूमि के भीतर के खनिजों का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर संसाधनों को करने के बारे खोज में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का खनिजबार ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) 1968—70 वर्षों के दौरान राजस्थान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ताम्र-सीसा-जस्ता निक्षेपों, फास्फो-राइट, पाइराइट्स, जिप्सम, लिग्नाइट, फ्लोरस्फार, बेराइट्स, चूना-पत्थर और सेल-खड़ी इत्यादि के लिए खनिज अन्वेषण किए गए ।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा खेतड़ी और कोलिहान ताम्र निक्षेपों का समुपयोजन किया जाना है । मण्डोकीपाल में फ्लोरस्फार और भामरकोटरा में फास्फोराइट खनित किए जा रहे हैं । सालादी पूरा पाइराइट के समन्वेषण-सह-खनन और परिष्करण के लिए प्रायोजना रिपोर्ट को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है बलारिया (जावर पट्टी) में सीमा-जस्ता खानों के विकास और उदयपुर जिले में फास्फोराइट निक्षेपों के समुपयोजन तथा परिष्करण के लिए प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

राजस्थान में खनिज उत्पादनों का उपयोग

4979. श्री विश्वनाथ भुंभुनवाला : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के खनिज उत्पादन, जिन्हें उर्वरक के लिए उपयोग में लाया जाता है, अन्य राज्यों की सरकारी परियोजनाओं में प्रयोग के लिए इस समय राज्य से बाहर भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन खनिजों तथा अन्य खनिजों की कुल मात्रा क्या है जिनका उत्पादन राजस्थान में किया जाता है परन्तु परिष्करण के लिए हर वर्ष राज्य से बाहर भेजा जाता है; और

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य के सरकारी क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाई है जिससे इन खनिजों का उचित रूप से उपयोग किया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां । उर्वरकों जिप्सम और फास्फोराइट के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख खनिज राजस्थान में उत्पादित किए जाते हैं और अन्य राज्यों को प्रेषित किए जाते हैं । जिप्सम, पब्लिक सेक्टर संयंत्र अर्थात् सिन्दरी, बिहार में स्थित उर्वरक संयंत्र को प्रेषित किया जाता है जबकि फास्फो-राइट, राजस्थान में ही पब्लिक सेक्टर में के एक एकक द्वारा उपघोषित किए जाने के अतिरिक्त राजस्थान से बाहर पब्लिक सेक्टर में के विभिन्न उर्वरक उत्पादक एककों को प्रेषित किया जाता है ।

(ख) 1970 के दौरान फास्फोराइट और जिप्सम के उत्पादन तथा राज्य के भीतर और बाहर पब्लिक सेक्टर एककों को प्रेषण को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता

है (उपाबन्ध 1)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1931/72] जहां तक अन्य खनिजों का सम्बन्ध है जो राजस्थान में उत्पादित किए जा रहे हैं और राज्य के बाहर प्रेषित किए जा रहे हैं, राजस्थान में उत्पादित, जस्ता संकेन्द्रक, ताम्र अयस्क, ओचेर इत्यादि जैसे कुछेक खनिजों को छोड़कर अधिकतर प्रमुख खनिजों को अन्य राज्यों द्वारा उाभोग अथवा निर्यात के लिए प्रेषित किया जाता है और इसके प्रतिरिक्त उनमें से कुछेक का राज्य में ही उाभोग किया जा रहा है। 1970 और 1971 के दौरान राजस्थान में उत्पादित खनिजों को दर्शित करने वाला विवरण भी समा पटल पर रखा जाता है (उपाबन्ध—2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1931/72]

(ग) केन्द्रीय सरकार की कम्पनी, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के जस्ता प्रद्रावक में उपोत्पाद के रूप में उत्पादित गन्धकीय अम्ल का उपयोग करते हुए, राजस्थान के जामर खोतरा खनन से रांक फास्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट के विनिर्माणार्थ प्रयोग किया जा रहा है। प्रद्रावक के 18,000 टन से 36,000 टन तक प्रस्तावित विस्तार में सिंगल सुपर फास्फेट के स्थान पर त्रिपल सुपर फास्फेट का विनिर्माण करना प्रस्तावित है।

लगभग 200,000 टन की क्षमता के प्रस्तावित खेतड़ी ताम्र प्रद्रावक से भी गन्धकीय अम्ल को प्रतिप्राप्त करने की योजना है जिसका उपयोग त्रिपल सुपर फास्फेट के उत्पादन में किया जाएगा और संयंत्र को फरवरी 1974 तक चालू किया जाना अनुसूचित है।

मुख्यतः जामर खोतरा रौक फास्फेट और सलादीपुरा पाइराइट्स को उपयोग करने के लिए एक व्यापक परियोजना परिकल्पित की जा रही है। इन अयस्कों के खनन और परिष्करण के लिए स्वपया रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिनके लिए परामर्शदात्री प्रबंध किए गए हैं।

विदेश मंत्रालय में आर्थिक विभाग का खोलना

4980. कुमारी कमला कुमारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक आर्थिक विभाग खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का व्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय में अर्थ प्रभाग 1961 से अस्तित्व में है।

(ख) अर्थ प्रभाग को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं :

- (1) भारतीय तकनीकी एवं अर्थ सहयोग कार्यक्रम का प्रशासन
- (2) विदेशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों से संबंधित सभी मामलों में महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सलाह देना।
- (3) अंकटाड, गाट, इकाफे, एडीबी, आइबीआरडी, आइएमएम यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विचार विमर्श किए गए आर्थिक विषयों पर विचार करना और सलाह देना।

- (4) आर्थिक मामलों से संबंधित उद्देश्यों से विदेश जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिनिधि-मंडलों के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति का मामला तथा भारत आने वाले विदेशियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उसी प्रकार की अनापत्ति का मामला ।

बोकारो इस्पात कारखाने और सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखानों को कच्चे लोहे की सप्लाई

4981. कुमारी कमला कुमारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने और सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखानों की धवन भट्टी इस वर्ष चालू हो जाने पर कच्चे लोहे की सप्लाई जो वर्ष 1971—72 में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन थी, और अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के आधिक्य की समस्या से कंसे निपटा जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) वर्ष 1971-72 में विक्रय कच्चे लोहे का उत्पादन 12 लाख टन था ।

वर्ष 1972-73 में बोकारो द्वारा 3 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन किये जाने का अनुमान है परन्तु वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 1972-73 में विक्रय कच्चे लोहे की उपलब्धि वर्ष 1971-72 की उपलब्धि से विशेष अधिक नहीं होगी ।

(ख) यद्यपि हाल के महीनों में विश्व मंडी में कच्चे लोहे की मांग में कुछ कमी हुई है परन्तु अधिकतम संभव मात्रा में इसका निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । देश में कच्चे लोहे की खपत में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें इस्पात बनाने के लिए विद्युत भट्टियों में इस्पात की रद्दी के साथ-साथ कच्चे लोहे का अधिक उपयोग भी शामिल है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उद्योग मानने सम्बन्धी घोषणा को वापस लेना

4982. श्री रामवतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक उद्योग घोषित किया गया था;

(ख) क्या उक्त घोषणा वापस ले ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता । तथापि यह बता दिया जाये कि 1968 में विधि मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ मामलों पर दिये गये निर्णयों के आधार पर, और अपने पहले के राय पर पुनः विचार करके यह सलाह दी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की 'उद्योग' की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल नहीं हो सकेगा ।

Land Earmarked for Rehabilitation of Tibetan Refugees

4983. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether initially 1,300 acres of land was earmarked for rehabilitating the Tibetan refugees at Sheh in Leh which has now been reduced by 200 acres; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government are considering to make available more land for rehabilitating the refugees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b) : The State Government of Jammu and Kashmir have agreed to release the entire 1200 acres of land likely to come under the command of the Abichenmothang Canal for resettlement of 305 Tibetan refugee families living in the camp near Leh.

Detailed measurement of the command area of the canal is reported to have been undertaken. The extent of land for resettlement of Tibetan refugees will be known when the measurement is completed.

उड़ीसा में ताम्बा संयंत्र की स्थापना

4984 **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक (उड़ीसा) में बड़ीपादा के निकट केसरपुर तथा कांसा में ताम्बा अयस्क पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक ताम्बा संयंत्र स्थापित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) ताम्र अयस्क के प्राप्त स्थल केसरपुर में पाए गए हैं और इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समन्वेषी व्यघन प्रगति में है। बान्सा क्षेत्र में निकल के निक्षेप पाए गए हैं न कि ताम्र के।

(ख) इस समय केसरपुर में ताम्र संयंत्र की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा समन्वेषण प्रारम्भिक अवस्था में है।

टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर को अपने नियंत्रण में लेना

4986. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टिनप्लेट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड जमशेदपुर को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस समय यह कदम उठाने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है।

रूस से इस्पात का आयात

4987. **श्री बयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस से वर्ष 1972-73 में कुल कितना इस्पात आयात किया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्ष 1972-73 में सोवियत रूस से इस्पात के संभावित आयात की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। वास्तविक उपभोक्ताओं/कैनलाइजिंग अभिकरणों को रुपये में अदायगी के समस्त क्षेत्र के लिए वैध आयात लाइसेन्स दिये जाते हैं अतः हरेक आयात लाइसेन्सधारी अपने चयन और वस्तु की उपलब्धि के आधार पर आर्डर दे सकता है। इसलिए यह अनुमान लगाने के लिए कोई उपाय नहीं है कि इनमें से कितने आर्डर इस क्षेत्र के किसी एक देश को दिये जायेंगे।

छरों के लिये डोनि मलाई लौह अयस्क

4988. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के लुर्गिस और रूस के टिअजप्राम्स एक्सपोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण करेंगे कि :

क्या डोनी मलाई लौह अयस्क प्रि-रिड्यूस्ट छरें और 'सुपर फ्लक्सड' छरें बनाने के लिये उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सुपर-फ्लक्सड सिन्टर तथा फ्लक्सड पेलेट तैयार करने के लिए दोनीमलाई लौह खनिज की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिये मेसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट के साथ 14 फरवरी 1972 को एक समझौता किया गया है। सोवियत रूस में नमूने प्राप्त होने के छः माह के अन्दर वहां से परीक्षण परिणाम आने लगेंगे और 12 माह में सम्पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने की आशा है। कच्चे माल के नमूने शीघ्र ही सोवियत रूस भेजे जायेंगे।

पश्चिम जर्मनी के मेसर्स लुर्गी को दोनीमलाई लौह खनिज की परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि उक्त खनिज की पूर्व संकुचित पेलेट (प्रो-रेड्यूस्ट पेलेट) तैयार करने में उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। नमूनों को पश्चिमी जर्मनी में उपलब्ध कराने के समय से तीन माह के अन्दर परीक्षण परिणाम उपलब्ध होंगे। शीघ्र ही नमूने पश्चिम जर्मनी को भेजे जायेंगे।

विजयानगर और विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों में हानि

4989. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामशंदाताओं के अनुसार विजयानगर और विशाखापत्तनम की इस्पात परियोजनाओं में हानि होगी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख): जी, हाँ। सलाहकारों के अनुसार संयंत्र तथा उपकरण कच्चे माल, यातायात के खर्च आदि की अधिक लागत के कारण इस्पात के उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी तथा इन दोनों कारखानों में हानि होने की संभावना है।

(ग) लागत में कमी करने की संभावनाओं की विस्तार से जांच की जा रही है।

**विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक
सम्भाव्यता प्रतिवेदन**

4990. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना के तकनीकी आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की क्षमता 20 लाख टन पिण्ड के लगभग होगी। इस कारखाने में शेपड उत्पादों के निर्माण के लिए इसके रूपांकन करने का प्रस्ताव है। लौह-खनिज की आवश्यकताएं वेलाडिला के मंडारों से तथा कोकिंग कोयले की आवश्यकताएं बंगाल-बिहार से पूरी की जायेगी। जल की आवश्यकताएं गोदावरी से पूरी की जायेगी तथा बिजली की आपूर्ति आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा की जायेगी। प्रायोजना पर लगभग 741 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय होने का अनुमान है।

**विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिये इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के द्वारा
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करना**

4991. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिये बालचरम के निकट पत्तन सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी हाँ। मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए पत्तन सुविधाओं के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। वे विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहे हैं जिसमें एक विकल्प बालचेरम्बू के निकट एक पत्तन का विकास क्रिया करना है।

(ख) उनकी रिपोर्ट जून 1972 तक प्राप्त हो जाते की संभावना है।

बिहार में लघु उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात का नियतन

4992. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के लिये 1972-73 के लिये केन्द्र ने बिहार राज्य को किसमवार लोहा और इस्पात का कितने टन कोटा मंजूर किया है; और

(ख) क्या गत वर्ष की अपेक्षा इसमें वृद्धि की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन कोटे का आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। अब लघु उद्योगों को इस्पात की आपूर्ति अधिकतर संबंधित राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की जाती है। निगम अपने राज्य की इकाइयों की आवश्यकताओं का स्वयं मूल्यांकन करती है तथा अपनी समेकित मांग संयुक्त संयंत्र समिति के पास भेज देती है। ये निगम प्राप्त हुए मात्रा का वितरण अपने गोदामों के माध्यम से करती है।

बंगला देश में महात्मा गाँधी का स्मारक

4994. श्री धर्मराव अपजलपुरकार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय स्वतन्त्रता सेनानियों ने बंगला देश के नोआखली में महात्मा गान्धी का स्मारक बनाने की योजना बनाई है जहाँ बापूजी ने विभाजन पूर्व के समय शान्ति मिशन का कार्य अकेले किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन उसने तथ्यों का पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीयों की 'शत्रु सम्पत्ति'

घोषित की गई सम्पत्ति को उन्हें वापिस दिलाना

4995. डा० संकटा प्रसाद : क्या विदेश मन्त्री 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों की सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया था; और

(ख) क्या ऐसे भारतीयों को उनकी सम्पत्ति उन्हें वापिस दिलाने के लिए बंगला देश की सरकार को कहने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

कान्टीनेन्टल शैल्फ से समुद्री सीमाओं की हदें

4998. श्री डी० पी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कान्टीनेन्टल शैल्फ से समुद्री सीमाओं की संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत हद क्या है और अमरीका, ब्रिटेन, रूस और भारत द्वारा कान्टीनेन्टल शैल्फ से समुद्री सीमाओं की कितनी हदों को कानूनी रूप दिया गया है;

(ख) क्या तटवर्ती राज्यों को आस-पास की समुद्री सीमाओं पर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी नियंत्रण रहता है और यदि हाँ, तो भारत के मुकातले में अमरीका, ब्रिटेन और रूस में इसकी सीमा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय अथवा संघीय सरकारों तथा राज्य सरकारों के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में, तटवर्ती राज्यों की समुद्री सीमाएं ऐसे राज्यों की भूमि सीमाओं के बराबर मानी जाती है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : किसी राज्य के प्रादेशिक जल की बाहरी सीमा, किनारे के साथ लगने वाली उपयुक्त आधार रेखा से भापी जाती है, न कि महा-द्वीपीय मानतट से। संयुक्त राष्ट्र ने किसी तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक जल के लिए कोई विशिष्ट सीमा अभी तक स्वीकार नहीं की है। यह उन कई विषयों में से एक है, जिन पर सामुद्रिक नियम विषयक पूर्णाधिकारी सम्मेलन में विचार किया जायेगा, जिसे 1973 में बुलाने की सम्भावना है। संयुक्त राज्य अमरीका, यू० के०, सोवियत रूस और भारत ने प्रादेशिक जल की जो सीमाएं ग्रहण की है, वे क्रमशः 3, 3, 12 और 12 समुद्री मीलें हैं।

(ख) जी हाँ, जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है उनके प्रादेशिक जल की सीमाएं ऊपर दी जा चुकी हैं।

(ग) जी हाँ, जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है उनके प्रादेशिक जल की सीमाएं ऊपर दी जा चुकी हैं।

(ग) जी हाँ, प्रादेशिक जल से होकर विदेशी व्यापारी जहाजों के अहानिकर गमन के प्राप्त अधिकार को छोड़कर, केन्द्रीय अथवा संघीय सरकारों तथा तटवर्ती राज्यों की राज्य सरकारों के अधिकार और उत्तरदायित्व, उनके प्रादेशिक जल के सम्बन्ध में वही प्रतीत होते हैं जो उनके स्थल प्रदेश के सम्बन्ध में हैं। किसी संघ में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व उस देश के संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

4999. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने और उनकी वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराने पर विचार किया है; और

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : 1955 में श्रम मन्त्री सम्मेलन द्वारा रिक्शा चलाने के क्रमिक उन्मूलन की सिफारिश किए जाने पर, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दिया और आदर्श विनियमों का सुझाव भी दिया। इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा था। बाद में, भारत सरकार को परामर्श दिया गया कि अवेक्षित प्रतिबन्ध सैवधानिकता के बारे में कानूनी विषय खड़े कर सकते हैं। तब, यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई कि वे अपने विधि विभागों के परामर्श से इस मामले को आवश्यक कानून बनाने के काम को हाथ में लेने की सवैधानिकता के प्रश्न का निर्णय करें।

स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद ने 3 और 4 नवम्बर, 1970 को हुई। 3वीं बैठक में इस प्रथा के यथाशीघ्र समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया। तुरन्त कार्यवाही हेतु निम्न-लिखित कदमों का सुझाव दिया गया :—

- (1) स्थानीय निकायों से कहा जाए कि जहां तक संभव हो, वे नए लाइसेंस जारी न करें।
- (2) अनुपस्थिति मलकियत की प्रथा को निरस्त/साहित किया जाना चाहिए और रिक्शा चलाने वालों को गाड़ियों के स्वयं अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से मालिक बनने में सहायता दी जानी चाहिए।
- (3) जहां यह संभव हो, हाथ से चलाये जाने वाले रिक्शाओं और साईकिल-रिक्शाओं का स्थान आटो रिक्शाओं द्वारा लिया जाना चाहिए।
- (4) राज्यों के नगरों में रिक्शा खींचना समाप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए।

राज्य सरकारों/प्रशासनों ने उक्त सुझावों की क्रियान्विति करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, रिक्शा खींचने की प्रथा का आटो-रिक्शा चलाने से क्रमिक प्रतिस्थापन में सहायता करने के लिए, सहकारिता विभाग रिक्शा चलाने वालों/आटो-रिक्शा चालकों की सहकारी समितियों को प्रति तीन मास में 10 तीन पहियों वाली गाड़ियां आबंटित करता है, जिससे, आशा है कि धीरे धीरे समाज के इन कमजोर वर्गों की कार्य दशाएं सुधरेंगी तथा उनकी आय बेहतर हो जाएगी।

उद्योगों को इस्पात का वितरण

5000. कुमारी कमला कुमारी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की सप्लाई करने के मामले में टाटा, साहू-जैन, बिड़ला और मफतलाल उद्योग समूहों के साथ पक्षपात किया जाता है जबकि लघु उद्योगों को भारी अभाव का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उद्योग समूहों के सभी एककों को वर्ष 1971 में कितना इस्पात आवंटित किया गया था तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को वर्ष 1971 में कितना इस्पात आवंटित किया गया था ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आह नवाज खाँ) : (क) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन इस्पात का आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात की उपलब्धता, मांगों की प्रतिस्पर्धा तथा इस्पात के अंततः उपयोग को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस्पात प्राथमिकता समिति छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों की जरूरतों पर समान रूप से ध्यान देती है और टाटा साहूजैन, बिड़ला और मफतलाल ग्रुप जैसे किसी खास उद्योग के प्रति पक्षपात नहीं दिखलाती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यथा संभव सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सामग्रियों का क्रय

5001. श्री जी० आई० कृष्णन् : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उपलब्ध सामग्रियों को विदेशों से क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निदेश जारी किए गये हैं ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) और (ख) : ऐसी हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं कि विदेश से किसी भी माल का आयात तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों से स्वदेशी दृष्टि से उसके लिए अनुमति न प्राप्त हो जाए। इन हिदायतों के अनुसरण में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का, केन्द्रीय क्रय संगठन के रूप में यही प्रयत्न रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूर्ति, स्वदेशी साधनों से की जाए और जिस माल का अभी तक आयात किया जाता रहा है, उसके लिए स्वदेशी क्षमता की स्थापना और उसके विकास में सहायता देकर आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय विमान का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाने का मामला

5002. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान अपहरण करके पाकिस्तान में जाने का मामला मित्र राष्ट्रों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत ने संयुक्त राष्ट्र में

भारतीय हवाई जहाज को जबरदस्ती पाकिस्तान उड़ा ले जाने के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन भारत ने उन पत्रों का समुचित उत्तर दिया जो कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के नाम भेजे थे और जिनमें उसने यह शिकायत की थी कि भारत सरकार ने भारतीय प्रदेश पर से पाकिस्तानी हवाई जहाजों के उड़कर जाने पर जो प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, वह उचित नहीं है। पाकिस्तान ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी, अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन में भी उठाया था। भारत सरकार का यह मत रहा है कि यह मामला उक्त संगठन के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता। अब यह मामला हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास भेज दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के अधिकार-क्षेत्र के बारे में अपनी राय दे।

(ग) भारत सरकार का ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसलों को दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिये तय किया जाना चाहिए।

श्री लंका के एक नौसैनिक जहाज का कच्चा टीपू द्वीप के निकट बलपूर्वक आना

5003. डा० रानेन सेन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका नौसेना का एक नौसैनिक जहाज विवादग्रस्त कच्चाटीपू द्वीप के बहुत निकट बलपूर्वक आ गया था और उसने वहां वार्षिक उत्सव में भाग लेने आये हुए भारतीयों से हस्तक्षेप किया था; और

(ख) यदि हां तो क्या श्री लंका सरकार से इस बारे में कहा गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस द्वीप में मार्च में जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें भारत और श्रीलंका के तीर्थ यात्रियों के आवागमन की देखभाल के लिए दोनों ही देशों के जहाज इस द्वीप के आस-पास गश्त लगाते रहते हैं। श्रीलंका के नौसैनिक जहाजों की ओर से भारतीय तीर्थयात्रियों के आवागमन में दखलन्दाजी किए जाने की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमांत क्षेत्रों में नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गतिविधियाँ

5004. श्री एस० एन० मिश्र : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश की स्वाधीनता के पश्चात् बंगला देश और भारत की सीमाओं पर मिजो और नागा विद्रोहियों द्वारा अब तक कितने भारतीय नागरिकों को हताहत किया गया है;

(ख) क्या ये विद्रोही सीमा पार करके चीन की ओर चले गये हैं अथवा वे अभी तक भारतीय सीमाओं पर छिपे हुए हैं; और

(ग) क्या इन विद्रोहियों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए सेना की कोई टुकड़ी वहाँ नियुक्त की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस अवधि में कोई भारतीय राष्ट्रिक हताहत नहीं हुआ है।

(ख) इस अवधि में किन्हीं नागा अथवा मीजों दलों के चीन में जाने की सरकार के पास कोई पक्की खबर नहीं है। कुछ विद्रोही तत्व भारत बंगला देश बर्मा सीमा क्षेत्रों में अभी बने हैं।

(ग) इस समय इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा सेवाएं तैनात हैं।

विशाखापत्तनम पत्तन के गाँवों मजदूरों द्वारा हड़ताल

5006. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई कुछ मजदूरों की कथित मारपीटाई के विरोध में विशाखापत्तनम पत्तन के लगभग 11,000 गोदी मजदूरों ने हड़ताल कर दी है;

(ख) क्या कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। 1-4-72 से 7-4-72 तक हड़ताल हुई।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के सहायक महानिरीक्षक द्वारा जांच की गई थी। स्थानीय पत्तन पुलिस ने भी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मामले दर्ज किए हैं और जांच पड़ताल जारी है।

(ग) जांच के परिणाम स्वरूप, एक सुरक्षा रक्षक को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

इस्पात का उत्पादन'

5008. श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की किन किस्मों का उत्पादन भारत अभी तक नहीं कर पाया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) आयात की जा रही इस्पात को इन किस्मों के उत्पादन में देश कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा; और

(ग) निरन्तर आयात की जा रही इस्पात की किस्मों के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस्पात के जिन वर्गों का उत्पादन देश में नहीं होता उनमें विशेष तार छड़ (जैसे बेदाग इस्पात से बने हुए), बिजली के ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए ठंडी बेलित कणोन्मुख चादरें, विद्युत तथा दूर संचार उद्योगों के लिए आवश्यक मुलायम चुम्बकीय लोहे की चादरें तथा ओपिन टाप सैनिटरी कैन के किस्म की

टिन प्लेटें तथा टर्नी प्लेटें शामिल हैं। इन वर्गों का उत्पादन अभी तक संभव नहीं हो सका है क्योंकि उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के विचार से तथा कच्चे माल की उपलब्धि और जानकारी की उपलब्धि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण तथा मांग की अलाभदायकता जैसी कठिनाइयों के कारण पूंजी निवेश चयन के आधार पर किया जाता रहा है।

(ख) और (ग) ठंडी बेलित कर्णोन्मुख चादरों के लिए एक प्रमुख विदेशी उत्पादक के सहयोग से रूरकेला में इन चादरों के उत्पादन की सुविधाएं लगाने पर विचार किया जा रहा है।

ओपिन टाप सैनिटरी कैन किस्म की टिन प्लेटों का उत्पादन परीक्षण स्तर पर किया जा रहा है और विशेष तार छड़ों के उत्पादन का विकास किया जा रहा है।

शेष वस्तुओं की मांग इतनी कम है कि देश में उनके लिए उत्पादन सुविधाएं लगाना इस समय लाभदायक नहीं समझा गया है।

इस्पात के उत्पादन और अनुमानित खपत के लक्ष्य

5009. श्री एस एन मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में इस्पात के उत्पादन और अनुमानित खपत के लक्ष्य क्या है; और

(ख) क्या इसमें कमी, यदि कोई हो तो, को आयात कर के पूरी की जायेगी और यदि हां, तो किस देश से ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1972—73 में प्रमुख इस्पात कारखानों से 55 लाख टन विक्रीय इस्पात का लक्ष्य रखा गया है। बाद के वर्षों के लिए उत्पादन लक्ष्य पिछले वर्ष के उत्पादन की समीक्षा करने के पश्चात् हर वर्ष के आरम्भ से पूर्व निश्चित कर लिया जायेगा।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपने हाल के एक अध्ययन में 1976 में तैयार साधारण इस्पात की 76 लाख टन की मांग होने का अनुमान लगाया है। इसके आधार पर अगले तीन वर्षों में निम्नलिखित मांग का अनुमान है:—

	(लाख टन)
1972—73	61.9
1973—74	66.9
1974—75	72.2

मांग और देशीय उपलब्धि के अंतर को विदेशी मुद्रा की प्राप्यता आदि को ध्यान में रखते हुए विदेशों से आयात के द्वारा पूरा किया जायेगा।

विदेशों में भारतीय दूतों के कार्य की समीक्षा

5010. श्री एस एन मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) विदेशों में दूतावास मिशन के अध्यक्ष अथवा कार्यदूत का एक देश में औसत कार्य काल कितना होता है;

(ख) क्या ऐसे अध्यक्षों के कार्य की समीक्षा वार्षिक या अर्धवार्षिक की जाती है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रियों से सम्बन्ध बनाने और उनके हितों की देखभाल करने का कार्य भी सौंपा जाता है; और

(घ) क्या गत वर्ष भारतीय राष्ट्रियों के प्रति उपेक्षा दिखाने के बारे में इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो ऐसे मिशनों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अधिकांश मिशनों और केन्द्रों में मिशन या केंद्र प्रमुख के कार्यभार की सामान्य अवधि तीन वर्ष होती है लेकिन कुछ दुस्तर स्थानों पर यह अवधि दो वर्ष की होती है जो बढ़ाकर तीन वर्ष तक की जा सकती है। ये सामान्य स्थिर अवधियां हैं; किसी भी स्थान पर मिशन। केन्द्र प्रमुख का वास्तविक निवास प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार कम या अधिक भी हो सकता है।

(ख) वार्षिक

(ग) जी हां।

(घ) पिछले एक वर्ष में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।

इस्पात की मांग और उत्पादन

5011. श्री एस० एन० मिश्र

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में इस्पात की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना था;

(ख) क्या देश में इस्पात की बहुत कमी है और क्या यह चोर बाजार के मूल्यों पर मन-चाही मात्रा में मिल जाता है; और

(ग) देश में इस्पात की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज ख.) : (क) कर्णधार समिति ने 1969—70 और 1970—71 में क्रमशः 50 लाख टन और 55 लाख टन तैयार साधारण इस्पात की मांग का अनुमान लगाया था। अभी हाल के अध्ययन में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 1975 में 76 लाख टन की मांग का अनुमान लगाया है। इसके आधार पर 1971—72 में 57.3 लाख टन की मांग होने का हिसाब लगाया गया है।

इन वर्षों में तैयार इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित रहा है—

वर्ष	(लाख टन) उत्पादन
1969—70	47.86
1970—71	44.77
1971—72	46.00 अस्थायी

(ख) यह सही है कि इस समय देश में इस्पात की कमी है परन्तु खुले बाजार में इसका वास्तविक लेने देने अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में है और यहां सत्य नहीं है कि यह खुले बाजार के भाग पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ग) इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए किये गये उपायों में अलग तथा दीर्घकालीन उपायों द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि, आयात में वृद्धि वितरण को सुप्रवाही बनाना तथा निर्यात का नियमन करना सम्मिलित है।

Production of Minerals and Non-minerals in Madhya Pradesh

5012. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Steel and Minerals be pleased to, state :

(a) the quantum and value of the minerals and non-minerals produced in Madhya Pradesh at present; and

(b) the element or the compound found mixed in abundance with the minerals discovered in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan)

(a) A statement showing the production and value of minerals and non-metallic minerals produced in Madhya Pradesh during 1970 and 1971 is laid on the table of the house (Annexure-I). [Placed in Library. See No. L.T.—1932/72]

(b) A statement showing the Minerals occurring in the Chhatisgarh Region along with their compositions (comparing of the districts of Durg, Raipur, Raigarh, Bilaspur and northern part of Bastar) is also laid on the table of the House (Annexure-II). [Placed in Library. See No. L.T. 1932/72]

कोयला खान उद्योग में श्रमिक सम्बन्ध

5013. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयला खान उद्योग में श्रमिक सम्बन्धों की चिन्ताजनक स्थिति को समाप्त करने हेतु कुछ उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में इस्पात मंत्री से चर्चा की थी और क्या खराब श्रमिक सम्बन्धों की समस्या का कोई समाधान ढूँढने हेतु उन्होंने कार्मिक संघों और कोयला खान मालिकों। प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था; और

(ग) यदि हां, तो की गई चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : कोयला खान उद्योग के श्रमिक संबंधों के प्रश्नों पर सरकार सतत् रूप से विचार करती रहती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, इस संबंध में विभागीय विचार विमर्शों का आयोजन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मजदूर संघों और कोयला खान मालिकों का हाल ही में कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया।

भारत स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की स्थिति का पुनर्विलोकन

5014. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की स्थिति का कोई पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को कब और किस उकार से सम्पन्न करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। समय समय पर पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कोयला खानों को अपने हाथ में लेना

5015. श्री नरेन्द्र सिंह, क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कोयला खानों को अपने हाथ में लेने का है जिसमें कोयले के विशाल निक्षेप भूमिगत हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

इस्पात का समान मूल्य

5016. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में इस्पात के समान मूल्य की बात मान ली है; और

(ख) यदि हाँ तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) : संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निर्धारित इस्पात के मूल्य में 82 रुपये प्रतिटन भाड़ा भी सम्मिलित होता है तथा संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से इस्पात की समस्त आपूर्ति गंतव्य स्थान के रेलवे स्टेशन तक समान रूप से निष्प्रभार मूल्य पर की जाती है।

एशियाई संयुक्त सुरक्षा प्रणाली का समर्थन

5017. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस के समाचार पत्र को दिये अपने इंटरव्यू में उन्होंने एशिया में रूस की संयुक्त सुरक्षा योजना का समर्थन किया था। और

(ख) यदि हां, तो उक्त इंटरव्यू का सार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्ट में प्रकाशित प्रश्नोत्तर निम्न हैं—

‘प्रश्न’ सामूहिक सुरक्षा की एशियाई पद्धति की स्थापना के बारे में सारे विश्व में, विशेष

रूप से एशिया में, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई है। कुछ दिन पहले सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री लिगोनिड ब्रेजनेव और प्रधान मंत्री एलेक्सी को सीज़िन ने इस पद्यति से संबंधित मूल सिद्धांतों की चर्चा की थी। इस योजना के प्रति आपका क्या रुख है ?

उत्तर : एशिया के लिए, सोवियत नेताओं द्वारा रखी गई, सामूहिक सुरक्षा की योजना अच्छी है। इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य रूप से संबन्ध देशों का मामला है।

हमें विश्वास है इस क्षेत्र के देशों में अधिक-धिक आर्थिक सहयोग एक दूसरे की प्रभुसत्ता एवं अखंडता के प्रति सम्मान और बड़ी शक्तियों द्वारा तटस्थता की आवश्यकता अनुभव करना, ये ठोस तत्व एशियाई महाद्वीप में सुरक्षा एवं स्थायित्व लाने में योग देंगे। ये अच्छे सिद्धांत हैं और कुछ समय में एव सामूहिक प्रयत्नों से, इन्हें व्यावहारिक वास्तविकता बनाने में सहायता देन के लिए, इस योजना को ठोस आकार दिया जा सकता है।

Leaving of Dandakaranya Refugees for Bangla Desh

5018. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state the additional number of such refugees, who were rehabilitated in Dandakaranya before the freedom struggle started in Bangla Desh and are anxious to return to Bangla Desh ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : According to the information received from the Dandakaranya Project Administration, 3173 families had left the rehabilitation sites and villages during the period 16-12-1971 to 13-4-1972. In addition, 3,119 families had left from the camps in Dandakaranya during this period. These families left the Project on their own and would presumably have gone towards Bangla Desh.

It can not be said as to how more are now anxious to return to Bangla Desh.

Copper Deposits in Andhra Pradesh

5019. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Ministry of Steel and Mines be pleased to state ;

(a) the names of those areas of Andhra Pradesh where copper deposits have been located;

(b) the extent of deposits likely to be found there; and

(c) the action being taken by Government for their exploration ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) & (b) : As a result of investigations carried out by the Geological Survey of India, inferred reserves of copper are deposits of about 63.85 lakh tonnes in Bandalmottu, Nallakonda and Dhakunda Blocks of Angigundala Belt and 8 lakh tonnes in Mailaram, Khammam district of Andhra Pradesh have been estimated.

(c) The Hindustan Copper Limited is already engaged in development of Angigundala deposits. Government have sanctioned a sum of Rs. 35 lakhs to Hindustan Copper Ltd for preparation of a scheme for mining 500 tonnes of copper are per day at Nallakonda. Dhukonda block is also being developed and its scheme is under preparation. Exploration by mapping and test drilling is also being continued at Mailaram, Venkatavuram in Khammam, Ramasundaran in Ongole district and other areas in Andhra Pradesh.

Insurance for Labour in Seasonal Factories

5020. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the Employees State Insurance Scheme is not applicable to the Seasonal factories even if the number of persons engaged in them exceeds twenty; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The Employees' State Insurance Act, 1948 is not applicable to seasonal factories.

(b) The employees in seasonal factories may not be able to satisfy the contributory conditions giving title to sickness and maternity benefits.

**मध्य प्रदेश के सरगुजा और सिन्धी जिलों के कोयला खान कर्मचारियों के लिए
जल की व्यवस्था**

5021. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के सरगुजा और सिन्धी जिलों में कोयला खान मजदूरों के लिए स्वेच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा कितनी योजनाएं पूरी की गई ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खानियों के लिए पेय जल पहुंचाने की योजनाओं की क्रियान्विति कोयलाखान मालिकों अथवा जल बोर्ड जैसे सांविधिक संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन तो केवल आर्थिक सहायता देकर इस कार्य में उनकी सहायता करता है। पिछले तीन वर्षों में सरगुजा तथा सिन्धी जिलों में पूर्ण की गई दो जल प्रदाय योजनाओं के लिए कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि से आर्थिक सहायता दी गई।

मध्य प्रदेश में आदिवासी बेरोजगारी बीमा योजना

5022: **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में ताम्र निक्षेपों का विबोहन

5023. **श्री रण बहादुर सिंह** :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान अभी हाल

में पता चले तब के विशाल निक्षेपों के शीघ्र विदोहन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नबाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, गोरखपुर के नाम से पटना में एक और संघ का पंजीकरण

5024. श्री भोगेन्द्र भा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ (जिसका केन्द्रीय कार्यालय रेल मजदूर भवन, अली नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है) जो आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और आल इण्डिया रेलवे मेन्स फ़ैडरेशन से सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में श्रमिक संघ अधिनियम के अधीन विधिवत पंजीकृत है :

(ख) क्या इसी नाम का एक और संघ पंजीकरण कार्यालय को घोखा देकर बिहार (पटना) में पंजीकृत हो चुका है या किया जा रहा है;

(ग) क्या एक ही नाम का दोहरा पंजीयन अवैध है; और

(घ) यदि उपरोक्त सभी भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या दूसरा पंजीयन रद्द किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रत्येक उद्योग में उत्पादन परिषदों का गठन

5025. श्री पी० गंगादेव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक उद्योग में एक उत्पादन परिषद गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके मजदूरों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर मतभेद दूर करेंगे और विकास तथा आत्म-निर्भरता के लिये नया वातावरण बनायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : पहले से ही संयुक्त प्रबंध परिषद की एक योजना है जो स्वीच्छिक आधार पर 1958 से चालू है । इन परिषदों में प्रबंध और श्रमिकों के बराबर संख्या के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं और इनका उद्देश्य उन के बीच सदभावपूर्ण संबंध स्थापित करना, सहकति पैदा करना, उत्पादिता बढ़ाना, श्रमिकों के लिए और अच्छी कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करना और प्रबंध के उत्तरदायित्वों को समझने और उनका सहभागी होने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने से है । श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान बातचीत में भी यह विषय सम्मिलित है ।

अलोह धातुओं की मांग

5026. श्री एस० ए० मुरगनन्तम् : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) इस समय अलोह धातुओं की कुल अनुमानतः वार्षिक मांग कितनी है ।
 (ख) देश में हो रहे उत्पादन से इनमें से कितनी मांग पूरी हो रही है; और
 (ग) आयात की जा रही अलोह धातुओं का मूल्य कितना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) : विभिन्न अलोह धातुओं की वर्तमान मांग और स्वदेशीय उत्पादन निम्नलिखित रूप से अनुमानित है :

धातु	मांग का अनुमान	उत्पादन का अनुमान
ऐलुमिनियम	254,000	210,000
ताम्र	113,000	15,000
जस्ता	129,000	30,000
सीसा	88,600	2,000
टिन	7,500	—
निकल	5,000	—

(ग) पिछले तीन वर्षों में अलोह धातुओं के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है —

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1969-70	74.51
1970-71	119.64
1971-72	32.45 (जून, 1971 तक)

राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा

5027. श्री एस. ए. मुहानातम : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की है;
 (ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और
 (ग) क्या सरकार देश में कृषि श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने हेतु कोई विधान बनाने का विचार रखती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जिसने कि कृषि श्रमिकों के न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर विचार किया था, निम्न

सिफारिश की :—“कृषि में न्यूनतम मजदूरी का समय-समय पर ऐसी त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों द्वारा जिला और राज्य स्तरों पर संशोधन किया जाना चाहिए जिनमें कृषि श्रमिकों, नियोजकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हों। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का विस्तार निम्न वेतन वाले क्षेत्रों से प्रारम्भ करके अन्यो पर धीरे धीरे किया जाना चाहिए। इस अधिनियम की क्रियान्विति के कार्य में ग्राम पंचायतों को सहयोजित करने का मार्ग ढूँढा जाना चाहिये।

(ग) केन्द्रीय सरकार और कोई कानून बनाने के संबंध में विचार नहीं कर रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अध्यक्ष

5028. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक अध्यक्ष है जो श्रम विभाग का सचिव भी है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरह ऐसा कोई अन्य संगठन नहीं है जिस का अध्यक्ष सरकारी विभाग का सचिव हो; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो ऐसे संगठनों की संख्या कितनी हैं जिनके अध्यक्ष सरकार के सचिव हैं ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : श्रम और रोजगार विभाग के अधीन, प्रत्येक मामले के शासी विचार से संबंधित मंत्रियों या अधिकारियों को कई सांविधिक निकायों की अध्यक्षता सौंपी जाती है। संघ श्रम मंत्री, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष हैं, उप-श्रम मंत्री, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं, श्रम और रोजगार विभाग के सचिव, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और गोदी श्रमिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, श्रम और रोजगार विभाग के सचिव, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और गोदी श्रमिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, और संयुक्त सचिव, अन्नक और लोहे अयस्क श्रम कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति और कोयला खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं।

अहमदाबाद की राजनगर मिल न० 1 का बन्द होना

5029. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में राजनगर मिल न० 1 के कर्मचारियों ने मिल के लगातार बन्द रहने के विरोध में मिल के सामने घरना दे रखा है;

(ख) क्या 5 अप्रैल, 1972 को अहमदाबाद मिल मजदूर यूनियन के नेताओं ने गांधीनगर में श्रम मंत्री से मेट की थी और उनसे कारखाने को दूबारा खोलने की मांग की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके हस्तक्षेप का कोई परिणाम निकला है; और कारखाने को दुबारा खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) जी नहीं, केन्द्रीय श्रम मंत्री 5 अप्रैल को गांधीनगर नहीं गए थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।.....

Loans to Labourers

5030. **Skri M. C. Daga :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the Department of Labour has formulated any scheme under which labourers working in an industry can take loan from the industrialist in case of need and if so, the salient features thereof; and

(b) whether labourers are generally in debt and money lenders charge exorbitant rates of interest from them and if so, how the labourers can be saved from this evil ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No.

(b) According to the Report on Family Living Survey conducted in 1958-59 for 50 industrial centres, labourers were generally in debt. The role of money lenders as a source of loan was, however, insignificant since the rates of interest charged by them were generally exorbitant and the institutions of Thrift and Credit Societies were functioning in many industrial undertakings.

व्यास सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दरनगर में मजदूर संघ

5031. **श्री नारायणचन्द पाराशर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर में मान्यता प्राप्त श्रमिक मजदूर संघों के नाम क्या हैं और उनकी सही संख्या कितनी है; और

(ख) इन मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

श्रम और पुनर्वास (श्री आर के खाडिलकर) (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की सेवा पर रत्न दी जायेगी ।

Machine Orders for Khetri Copper Project

5032. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) whether orders for all necessary machines needed for the plant of Khetri Copper Project have been placed and the contract for the setting up for the plant has already been placed;

(c) if so, whether the cost of those machines and the value of the contract are likely to increase and the percentage of this increase in the proposed cost revision separately together with the reasons therefor; and

(c) the amount provided in the present capital cost for such an increase and other contingencies ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) The position regarding ordering of the equipment and placement of contracts for the construction of the Plant at the Khetri Copper Project is as follows :—

(1) **Concentrator Plant** : All the equipment required for the Plant has been ordered. Contracts for Plant erection and electrification have also been placed.

(2) **Slag Treatment Plant** : All the equipment required for the Plant has been ordered. Contracts for Plant erection and electrification have also been placed.

(3) **Smolter** : 88% of the equipment have been ordered. Contract for the erection of the plant has been awarded; the contract for electrification of the Plant is yet to be awarded.

(4) **Refinery** : A contract for the supply of equipment and erection of Plant has been awarded for Cathode Melting and Wire Bar Casting Section of the Refinery. For the Electrolytic Cell Section 84% of the equipment has been ordered. The contract for its electrification has yet to be awarded.

(b) All the contracts for supply of equipment and erection of Plant etc. have been entered into on firm price basis. In a number of cases, however, the prices are subject to the variations in statutory duties that may be imposed from time to time. The likely increase on this account is provided for under "Contingencies" in the capital cost estimates of the Project. It is, however, not possible to estimate at this stage the percentage of likely increase in prices on this account.

(c) The provision in the revised capital cost estimates for contingencies is Rs. 271.48 lakhs.

Expenditure Incurred on Foreign Consultants of Khetri Copper Project

5033. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) the amount out of the total proposed outlay of the Khetri Copper Project sent on each of foreign consultants up to January, 1972;

(b) the amount out of the total proposed outlay earmarked as supervision cost and the ratio in which this amount has increased since 1969; and

(c) the break-up of the existing capital cost under each head in proportion to the increase in this proposed cost ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Out of the total proposed outlay of Rs. 115.98 crores for the Khetri Copper Complex, the amount spent on each of the foreign consultant upto January, 1972 is as follows :

(1) M/s. Venot-pic & Ensa	Rs. 71.36 lakhs
(2) M/s. Western Knapp Engineering Company, U. S. A.	Rs. 123.53 lakhs
Total	Rs. 195.89 lakhs

(b) The amount in the capital cost estimates earmarked as supervision cost is Rs. 975 laaks. The provision for supervision includes, besides the expenditure on the various Administrative Departments like Purchase, Finance, Personnel Administration, Head Office expenses, Pay and allowances for all the personnel working in the various process plants like Concentrator, Smelter, Refinery till the commissioning of these plants and expenses on the maintenance of township, schools and medical facilities for all the employees.

The average monthly expenditure on supervision in 1969-70 was Rs. 7.42 lakhs. The corresponding figures for the year 1971-72 are Rs. 10.54 lakhs per month.

(c) The capital cost estimates of the Project have been recently revised by the Hindustan Copper Limited. The break up of the earlier cost estimates as prepared by the Company in 1968 and the revised estimates prepared in 1972 are given below ?

Item	(Rs. in crores)	
	Cost Estimate 1968	Cost Estimate 1972
1. Khetri Copper Mine & Copper Plant.	67.90	87.20
2. Kolihan Copper Mine.	7.07	12.43
3. Acid-cum-Fertiliser Plant.	17.35	17.35
	92.32	115.98

(These revised estimates of Rs. 115.98 crores are under examination of the Government).

सोने की खोज के लिए सर्वेक्षण

5034. श्री पी० सी० जनार्दनन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सोने की खोज के लिए सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रथम पंचवर्षीय योजना से देश में स्वर्ण के लिए सुव्यवस्थित अन्वेषण करते आ रहा है। इस समय, मैसूर, बिहार के सिंहभूम जिले और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मिवापुर में स्वर्ण के लिए वाधन द्वारा समन्वेषण प्रगति पर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए समन्वेषी खनन के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र के येप्पामाना खण्ड में प्रत्येक ऊर्ध्वस्थ मोटर के लिए स्वर्ण के प्रतिटन 69 ग्राम घाली लगभग 2527 टन की उपलब्ध राशियों का अनुमान किया गया है। विस्तृत अन्वेषणों ने, इस निक्षेप को खाह के रूप में विकसित करने की संभावना उपदर्शित की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

5035. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सरकारी विभाग नहीं है;

(ख) क्या इस संगठन के कर्मचारी कन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकारी विभाग नहीं है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को, वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में यथा-संभव रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तदनुसूची वर्गों के समान माना जाता है।

(ग) पहले कई प्रादेशिक कार्यालयों के कर्मचारी राज्य सरकारों के वेतन मानों पर थे। सभी प्रदेशों के लिए एक समान पैटर्न निर्धारित करने की दृष्टि से और प्रदेशों के कर्मचारियों की सेवाशर्तों में कुछ सुधार करने के लिए, इन कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन मानों पर लाया गया, और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड जो कि कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन करता है, कि सिफारिशों पर अन्य सेवा-शर्तों को भी विनियमित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें

5036. श्री राम अवतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें उन स्थानों पर होती हैं जहां इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होते;

(ख) क्या दिल्ली में बैठक बुलाने से व्यय कम होगा और दिल्ली एक केन्द्रीय स्थान होने के कारण क्या भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह अधिक सुविधाजनक होगा; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय बोर्ड की बैठक केवल दिल्ली में ही बुलाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) बैठकें सामान्यतः दिल्ली में या क्षेत्रीय मुख्यालयों में से किसी एक मुख्यालय में होती हैं, परन्तु कभी-कभी वे अन्य स्थानों पर भी होती हैं।

(ख) यदि ये बैठकें दिल्ली में हों, तो इससे व्यय में कुछ किरफायत होगी। बैठक का स्थान अध्यक्ष द्वारा फौरन पीछे हुई बैठक में उपस्थित न्यासियों से परामर्श कर के निश्चित किया जाता है और उसका निर्धारण न्यासियों की सुविधा और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से उनके अपने अपने राज्यों में बैठक करने हेतु प्राप्त हुए निमन्त्रणों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

Cases Filed by Employees Against Department of Rehabilitation

5037. Shri Arvind Netam : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state ;

(a) the number of employees of the Department of Rehabilitation who filed suits against the Department during the last three years; and

(b) the number of cases decided and the number of those, decided in favour of the Department ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Residential accommodation for Employees of Bailadila Iron Ore Project

5038. **Shri Arvind Netam** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the total number of class III and class IV employees in Bailadila Iron Ore Project; and

(b) the total number of employees out of them provided with residential accommodation ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

Theft of Scrap in Bhilai Steel Plant

5039. **Shri Arvind Netam** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the quantity of scrap in tonnes stolen from the Bhilai Steel Plant from 1965 to March, 1972; and

(b) the amount of loss suffered as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) and (b) : According to the records of the Bhilai Steel Plant, the total quantity of scrap (ferrous and non-ferrous) stolen from the Plant in this period was approximately 650 tonnes, of which, 597 tonnes have been recovered,

The value of the 53 tonnes of scrap which could not be recovered so far is approximately Rs. 32,2000/—.

Bonus Paid by Textile Mills in Madhya Pradesh

5040. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the percentage of bonus paid by each textile mill in Madhya Pradesh to its employees during the last three years;

(b) whether some labour unions and employees have complained to the Central Government that the bonus is not paid to workers in time; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) : The information is not available. The State Government is the "Appropriate Government" in respect of payment of bonus by textile mills and any complaints in this regard are to be addressed to them for suitable action.

Setting up of Steel Plants in Madhya Pradesh

5041. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state whether Government propose to set up a steel plant in Bhind and Morena Districts (Madhya Pradesh) keeping in view the backwardness of these Districts ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : There is no such proposal at present under consideration.

Death of Bangladesh Refugees in Camps in Madhya Pradesh

5042. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether some Bangladesh refugees, kept in refugee camps in various parts of Madhya Pradesh died with diseases or otherwise; and

(b) if so, the number of such deaths in various refugee camps in Madhya Pradesh ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) about 11,000.

Indian Diplomats Marrying Foreign Ladies

5043. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of cases Indian diplomats stationed abroad marrying foreign ladies brought to the notice of Government during the last three years;

(b) whether they are required to obtain prior permission from Government in such cases; and

(c) the number of such Indian diplomats in the Indian Embassies abroad who are having foreign wives at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) One

(b) Yes, Sir.

(c) Five

दुर्गापुर इस्पात परियोजना के उत्पादों की बिक्री

5044. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादों की बिक्री की क्या प्रक्रिया है,

(ख) क्या उधार बेचे गये उसके उत्पादों की बिक्री की राशि काफी लम्बे समय से बकाया है और गत तीन वर्षों से वर्षवार ऐसी कितनी राशि बकाया है,

(ग) क्या उक्त इस्पात परियोजना ने हाल ही में एक लेखा परीक्षक को इस बात का पता लगाने के लिये नियुक्ति की है कि ऐसी कितनी उधार की राशि बकाया है जिसे वसूल करने का समय बीत चुका है अथवा जिसे वसूल नहीं किया जा सकता यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) उक्त हानि के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इंजीनियर स्नातकों की नियुक्ति

5045. श्री समर गुह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में गतवर्ष और इस वर्ष कितने इंजीनियर स्नातकों को नियुक्ति किया गया,

(ख) पश्चिम बंगाल के तथा अन्य राज्यों के क्रमशः कितने इंजीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति की गई,

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्राधिकरण से विशेष अनुरोध किया है कि वह राज्य के बेरोजगार इंजीनियरों को नियुक्त करने में प्राथमिकता दे, और

(घ) यदि हां तो इस बारे में संयंत्र प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इंजीनियर स्नातकों की भर्ती हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों तथा अन्य इकाइयों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है। इस समय हिन्दुस्तान स्टील लि० की भर्ती से बोकारो स्टील लि० की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। इस प्रकार भर्ती किये गये 102 स्नातकों की नियुक्तियां दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 1971 में की गयी थी तथा 1972 (अप्रैल तक) 84 नियुक्तियां की गयी हैं।

(ख) 1971 में भर्ती किये गये 462 इंजीनियरी स्नातकों तथा 1972 (अप्रैल 1972 तक) भर्ती किये गये 455 इंजीनियरी स्नातकों में से क्रमशः 93 और 58 पश्चिमी बंगाल के इंजीनियरी कालिजों के स्नातक हैं।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० से पता चला है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार से उन्हें तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें पश्चिमी बंगाल से इंजीनियर स्नातकों की अधिक भर्ती के लिए निवेदन किया गया था।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लि० से पता चला है कि उन्होंने राज्य सरकारों को बता दिया है कि इंजीनियरी स्नातकों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर इसलिए की जाती है कि सभी भागों के योग्य व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जा सकें।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्मिक प्रबन्धक की नियुक्ति

5046. श्री समर गुह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्मिक प्रबन्धक के पद पर अभी तक राज्य सरकार का नामजद व्यक्ति ही कार्य करता था,

(ख) क्या गत वर्ष से यह परम्परा तोड़ दी गई है,

(ग) क्या रूरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखानों में कार्मिक प्रबन्धकों के पद पर सम्बन्ध राज्य सरकारें अपने व्यक्ति नामजद करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्मिक प्रबन्धक की नियुक्ति के बारे में भेद-भाव बरते जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : सितम्बर 1971 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारी विभाग का प्रधान पश्चिमी बंगाल संवर्ग का एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) का अधिकारी था। अक्टूबर 1971 से इस पद पर कम्पनी का एक अधिकारी है। फिर भी कारखाने में राज्य सरकार के एक अधिकारी को उप-महा प्रबन्धक (प्रशासन) के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी विभाग का प्रधान आई० एम० पी० (ग्रीडो-

गिक प्रबन्ध मंडल) का एक अधिकारी है जबकि राउरकेला में इस पद पर उड़ीसा संवर्ग का एक आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का एक अधिकारी है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश में दूसरे शांति निकेतन के निर्माण के लिए बंगला देश को सहायता

5047. श्री समर गुह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान 11 अप्रैल, 1972 के हिन्दूस्तान स्टैंडर्ड्स क० कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि बंगला अकादमी के महा निदेशक तथा बंगाली निकास बोर्ड ने बंगला देश के कुस्तिया जिले में गिलाइदाह में जहां रवीन्द्र नाथ ठाकुर के बहुत से संस्मरण विद्यमान हैं; दूसरे शांति निकेतन का निर्माण किये जाने की अभील की है।

(ख) यदि हां, तो क्या रवीन्द्रनाथ ठाकुर को स्मृति में इस प्रकार के संस्थान के निर्माण के लिए सरकार ने अकादमी को पूरी सहायता तथा सहयोग देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना के लिए सहायता की व्यवस्था करने के बारे में सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Strikes in West Bengal, Madhya Pradesh and Bihar

5048. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of strikes resorted to in West Bengal, Madhya Pradesh and Bihar during the last three years, State-wise; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to prevent strikes and loss of man-hours ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The number of strikes during 1969, 1970 and 1971 in these States was as under :—

State	No. of Strikes		
	1969	1970	1971 (Provisional)
West Bengal	297	272	196
Madhya Pradesh	164	168	88
Bihar	122	191	101

(b) The Industrial Relations Machinery continues to make efforts to minimise work-stoppages through preliminary discussions, conciliation and adjudication or arbitration as necessary under the existing statutory machinery and voluntary arrangements. Government have also been holding discussions with the interests concerned, including the workers' and employers' organisations, to evolve agreed measures to secure improvements in the industrial relations system.

Memorandum from Employees of Khetri Copper Project

5049. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the employees of the Khetri Copper Project that the authorities of the said project hesitate in recruiting and promoting the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :
 (a) & (b) : A representation has recently been received by Government, from General Secretary Akhil Bhartiya Pariganit Jatiya Parishad, New Delhi. Certain cases of grievances from some employees of Khetri Copper Project have been mentioned there. The matter has been looked into and it is observed that subject to the availability of suitable candidates, the Company is taking all steps necessary to ensure that the posts reserved for Schedule Castes and Scheduled Tribes are actually filled up by the Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Filling up of Posts of Harijans in Copper Projects

5050. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) the number of class I, II, III and IV posts reserved by the Government of India for Harijans and backward Castes in Hindustan Copper Ltd., Khetri Copper Project (Rajasthan), Rakha Copper Project (Bihar) and Agnigundala Lead Copper Deposits Project Andhra Pradesh during 1967-68, 1968-69 and 1969-70;

(b) the number of posts out of them filled up with Harijans and persons belonging to Backward Castes, and

(c) the steps Government propose to take to ensure that all posts reserved for Harijans are filled up with Harijans only ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :
 (a) & (b) : Hindustan Copper Limited was constituted in November, 1957. A statement indicating the number of class I, II, III & IV posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates during 1968, 1969, 1970 along-with the number of such posts actually filled up by Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates during these years is enclosed. [Placed in Library. See No. L. T. 1933/72]

(c) In every advertisement specific mention is being made for reserving the posts exclusively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.

Various organisations like :

1. Employment Exchange.
2. Bureau of Public Enterprises.
3. Director of National Employment Service.
4. Senior Deputy Director, Employment & Education, Jaipur,
5. Commissioner for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, New Delhi,
6. Director, Scheduled Castes Welfare Department, Jaipur, are approached from time to time to send the list of eligible suitable candidates for various posts. Relaxation in experience and age is given to the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यंत्रीकरण

5052. श्री राजा कुलकर्णी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यंत्रीकरण के बारे में 4 अगस्त 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, भारतीय उर्वरक निगम के कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी कार्य कम्प्यूटर के द्वारा किये जाते हैं ;

(ग) क्या ब्लकों का सामान्य कार्य भी इसी से किया जाता है ; और

(घ) क्या भारतीय तेल निगम के कार्मिक संघों के साथ कम्प्यूटर से कार्य करने के बारे में कोई समझौता किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : इण्डियन आयल कार्पोरेशन, निम्नलिखित कार्यों के लिए फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के संगणक का इस्तेमाल कर रही है :—

- (1) डी० जी० एस० एण्ड डी० से भिन्न बिक्री हिसाब ;
- (2) ग्राहक खाता ;
- (3) ग्राहकों के बकाया राशियों का समय वार विश्लेषण ;
- (4) सामान्य खाता ;
- (5) मूल्य निर्धारण विवरण ;
- (6) पूंजीगत सम्पति ;
- (7) वेतन पत्रक ;

इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने मान्यताप्राप्त संघों को आश्वासन दिया है कि स्वचालन से कर्मचारिवर्ग की छटनी नहीं होगी, न ही उनकी मंजूरियों, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अभ्रक के आंतरिक व्यापार और खनन का राष्ट्रीयकरण

5053. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के आन्तरिक व्यापार और खनन के राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : यद्यपि, इस समय अभ्रक के खनन और आन्तरिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार का आशय खनिज और धातु व्यापार निगम को अभ्रक मार्केट में पदापण करने

का आदेश देते हुए, लघु खान-स्वामियों निर्यातकों और अभ्रक के प्रबंधकों को सहायता देना और इस प्रकार खरीदे गए अभ्रक को सीधे निर्यात करना है।

ब्रिटेन के भूतपूर्व मन्त्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल का भारत,
बंगला देश और पाकिस्तान का दौरा

5055. श्री के० फ़ोडंडः रामी रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन की गत सरकार में एक भूतपूर्व मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल के भारत, पाकिस्तान और बंगला देश का दौरा करने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का क्या प्रयोजन है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मिशन के उद्देश्यों के बारे में कहा जाता है कि वे निम्नलिखित हैं :

- (1) बंगला देश की गैर बंगाली जनसंख्या की अल्प-कालिक सुरक्षा और दीर्घ-कालिक भविष्य सुनिश्चित करना;
- (2) पाकिस्तान से बंगालियों का सुरक्षित रूप से प्रत्यावर्तन;
- (3) भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल देना जिससे कि युद्धबंदी लौट जाएं और पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता दे।

(ग) इन उद्देश्यों के बारे में भारत सरकार की नीति स्पष्ट है। बंगला देश में गैर-बंगाली जनसंख्या और पाकिस्तान में बंगाली जनसंख्या का प्रश्न ऐसा है जिसे दोनों संबद्ध सरकारों को तय करना है। भारत सरकार ने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि इस उपमहाद्वीप में स्थिर और स्थायी शांति होना आवश्यक है और उसने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत आरम्भ करने की पहलकदमी की। यह बातचीत आजकल चल रही है। सरकार का बराबर यह विश्वास है कि इस महाद्वीप में स्थिर और स्थायी शांति बाहरी हस्तक्षेप के वगैर संबद्ध पक्षों के बीच बातचीत के जरिये ही प्राप्त की जा सकती है। जहां तक उन युद्धबंदियों का प्रश्न है, जिन्होंने भारत और बंगला देश की मिलीजुली कमान के समक्ष हथियार डाले हैं, ये दोनों सरकारें इस प्रश्न के किसी भी समाधान के लिए आवश्यक पक्षधर हैं।

नेपाल के प्रधान मन्त्री का भारत का दौरा

5056. श्री बनमाली पटनायक : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मन्त्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनसे किन किन विषयों पर चर्चा की गई ?

विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) नेपाल के प्रधान मन्त्री ने भारत की प्रधान मन्त्री से तथा सरकार के अन्य मन्त्रियों से आपसी हित के मामलों पर बातचीत की जिससे कि भारत नेपाल मंत्री और अधिक सुदृढ़ हो । यह बातचीत आपसी समझ बूझ तथा सहयोग के वातावरण में हुई ।

Auction of Plots in Refugee Colonies of Delhi

5057. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether some plots were auctioned in refugee colonies of Delhi by his Ministry recently; and

(b) if so, the names of the said colonies together with the area of plots so auctioned and the revenue earned by Government therefrom separately ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) : Yes, Sir. A statement showing the plots put to auction in Kalkaji Colony, Delhi, in February, 1972, giving the area and the highest bids received is enclosed. [Placed in Library. See No. L. T. 1934/72] The bids have not yet been accepted.

भारत के साथ बातचीत के लिए बंगला देश की ओर से पत्र

5058. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत का प्रथम दौर आरम्भ करने से पूर्व स्वयं बंगला देश के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो बंगला देश सरकार की ओर से इस संबंध में प्राप्त पत्र की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त पत्र पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) भारत तथा बंगला देश की सरकारें, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता सहित पारस्परिक हितों की सभी बातों पर विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाए रही हैं और अब भी सम्पर्क बनाए हुए हैं । जैसा दोनों सरकारों ने कहा है कि उन वार्ताओं के सभी पहलुओं पर इन दोनों देशों के समान विचार एवं समान दृष्टिकोण हैं, जिनसे ये देश प्रभावित होते हैं ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का विकास

5059. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर की क्षमता के विस्तार करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगरैनी कोयला खानों के कर्मचारियों को मंजूरी का भुगतान

5060. श्री रण बहादुर सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरैनी कोयला खानों के कर्मचारियों को 686 रुपये के स्थान पर 2.40 रुपये की दर से दैनिक मंजूरी दी जा रही है;

(ख) क्या उचित मजूरी की मांग करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता है; और

(ग) कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उन्हें उचित मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में अलाटियों द्वारा भूमि के किराए का भुगतान

5061. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में प्लाटों के कुल कितने अलाटियों को भूमि किराये का भुगतान 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से करना पड़ा था;

(ख) उनमें से कितने अलाटियों ने वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में वास्तव में भूमि के किराये का 3 प्रतिशत की दर से वर्षवार भुगतान किया; और

(ग) अलाटियों द्वारा भूमि का कोई किराया न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जहाँ तक इस विभाग का संबंध है वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	प्लाटों के उन अलाटियों की संख्या जिन्हें 3% प्रति वर्ष की दर से भूमि का किराया देना था ।	उन अलाटियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में 3% प्रति वर्ष की दर से भूमि का किराया दे दिया है ।
1968-69	1323	197
1969-70	1128	178
1970-71	948	119

(ग) ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ है कि कुछ ग्रामलों में भूमि के किराये का निर्धारण

अन्तिम रूप से अभी तक नहीं किया गया है और उन अन्य कालोनियों में जो विशेष कर हरिजनों को एलाट की गई हैं, एलाटियों को आसान किस्तों में रकम चुकाने की छूट दी गई है।

मलानगटोली लोह अयस्क निक्षेप, उड़ीसा का विकास

5062. श्री डी० के० पंडा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित मलानगटोली लौह अयस्क निक्षेप के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : मांगलटोली लौह अयस्क निक्षेपों को सम्मिलित करते हुए बिहार—उड़ीसा में लौह अयस्क निक्षेपों के एकीकृत विकास पर विचार करने के लिए अध्ययन दल गठित किया गया है।

Recruitment of Biharis in Rakha Copper Project of Hindustan Copper Limited

5063. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of Steel & Mines be pleased to state :

(a) whether the Biharis are not recruited to the posts filled up in Rakha Copper Project of Hindustan Copper Limited located in Bihar;

(b) the number of persons working in the said project at present and the number of Biharis out of them, indicating their percentage to the total employees; and

(c) whether Government propose to give to Biharis proper representation in the matter of recruitment in the Rakha Copper Project ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) It is not correct that Biharis are not recruited to the posts filled up in Rakha Copper Project of Hindustan Copper Limited.

(b) The total number of persons working at the Rakha Copper Project is 495, out of which 436 are Biharis. The percentage of Biharis to the total employees is about 88%.

(c) It will be seen from the reply given to part (b) of the question that the local people are adequately represented at the Rakha Copper Project.

साप्ताहिक दि कोलफील्ड टाइम्स में प्रकाशित 'प्रोविडेंट फंड फार आफिसियल्स' लेख

5064. श्री डी० के० पंडा : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान धनबाद, विहार से प्रकाशित 'दि कोलफील्ड टाइम्स' नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित 'प्रोविडेंट फंड और फंड फार आफिसियल्स' लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के एक एजेंट ने जिसने कोयला खान के सामान्य मजदूरों का बीमा किया था, 14 अगस्त, 1971 को अपना मामला कुछ संसद सदस्यों सहित श्रम मन्त्री के समक्ष रखा; और

(ग) क्या उसे कोई आश्वासन दिया गया था, और यदि हाँ, तो उक्त आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ एक संसद-सदस्य के साथ ।

(ग) उनको सूचित किया गया था कि मामले की जांच की जाएगी । तदनुसार, कौयला खान भविष्य निधि आयुक्त के परामर्श के साथ इसकी जांच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि में राशि न जमा करने वाले नियोजक

5065. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 नियोजकों ने भविष्य निधि की राशि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग में जमा नहीं कराया है;

(ख) क्या 31 मार्च 1972 तक देश में 72 करोड़ रुपये की राशि, जिसमें प्रतिष्ठानों को दी गई 750 लाख रुपये भी शामिल हैं, बाकी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचना दी है :—

(क) पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 31-12-71 को लगभग 2200 दोषी प्रतिष्ठान थे ।

(ख) 31 मार्च, 1972 के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । 31-12-71 को, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पास भविष्य निधि अंशदान की लगभग 18.61 करोड़ रुपये की देय राशि प्रशासनिक व्यय की लगभग 0.4 करोड़ रुपये तक की और दण्डनीय क्षति की 3.2 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी । छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भविष्य निधि अंशदानों को अपने न्यासी मण्डलों को 6.8 करोड़ रुपये तक की राशि हस्तान्तरित करने में भी असफल रहे ।

(ग) सामान्यतः छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जाती हैं :—

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन आरंभ किया जाता है;
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाहियाँ आरम्भ की जाती हैं ।
- (3) उचित मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालय के पास शिकायतें दायर की जाती हैं ।
- (4) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम 1952 की धारा 14 ख के अन्तर्गत दण्डनीय क्षतियों की उगाही की जाती है ।
- (5) कुछ मामलों में, उचित गारंटी, जमानत आदि पेश करने पर प्रतिष्ठानों की देय राशि का उचित किराए पर भुगतान करने का प्रयत्न किया जाता है ।

(6) उन कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में, जो समापन में चली गई हैं, पुनर्निर्माण योजनाओं की गुणावगुण के आशर पर जांच की जाती है।

चूक करने वाले छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के खिलाफ सामान्यतः निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(ख) छूट की शर्तों के पालन में असफलता के कारण, अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्वीकृत छूट रद्द कर दी जाती है।

(ख) अधिनियम की किसी भी धारा या अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत स्वीकृत छूट की शर्तों के उल्लंघन या पालन में चूक करने के लिए अधिनियम की धारा 14(क) के अन्तर्गत अभियोजन आरम्भ किया जाता है।

Labour Union in Khetri Copper Project

5066. Shri S. N. Singh : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the total number of labourers and other employees in the Khetri Copper Project;

(b) whether any recognised Union is functioning there; and

(c) if so, the date when elections were held last and the membership thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadiolkar) : (a) 4663.

(b) Yes, Sir. The Rashtriya Khetri Tamba Project Mazdoor - sangh, Khetri.

(c) The elections were held in February, 1970. The number of workers reported to be members of the Sangh on 1.1.71 was 205.

बिहार में अभ्रक खानों में ठेकेदारों को ठेका दिया जाना

5067. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम और पुनर्वासि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनन अधिनियम और बिहार अभ्रक अधिनियम के अन्तर्गत खानों में ठेकेदारों को ठेका देने पर प्रतिबन्ध है; यदि हां, तो उक्त दोनों अधिनियमों के विशिष्ट उपबन्ध उद्धरण सहित क्या हैं;

(ख) ठेकेदारों को ठेके देने और खान मालिकों और ठेकेदारों के बीच निर्धारित लिखित करार होने के क्या कारण हैं और क्या उक्त ठेके विधान के उपबन्धों के विरुद्ध होने के कारण स्वतः ही अर्बन्ध हो जाते हैं; और

(ग) क्या भुमरीतलैया में नियुक्त खानों के निदेशकों और खान सुरक्षा महा-निदेशक ने इस बारे में जांच की है ?

श्रम और पुनर्वासि मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) खान अधिनियम, 1952 में या बिहार अभ्रक अधिनियम में या उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में ऐसा

कोई उपबन्ध नहीं है जो अभ्रक खानों में ठेकेदारों की नियुक्ति का निषेध करता हो।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अम्बरनाथ में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में

RE, POLICE FIRING AT AMBARNATH

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हाबंर) : मैंने नियम 222 और 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप तभी बोल सकते हैं जब मैं आपका नाम पुकारूँ, लेकिन आज नहीं। मैंने उसे मन्त्री महोदय के विचार जानने के लिए भेज दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके लाबी सहायक ने मुझे सूचित किया कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है, इससे मुझे क्षोभ हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने और स्पष्टीकरण दिये हैं। मैंने पूछा है... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : विरोधी दलों को दबाने की कोशिश मत करो। यह एक गम्भीर मामला है। पिछले साल अगस्त के महीने में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के बारे में श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने एक वक्तव्य दिया था और अब कृषि मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कुछ और ही बात कही गई है। यह सदन को गुमराह करने का स्पष्ट मामला है।

नियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर नियम 222 के अन्तर्गत अध्यक्ष अनुमति दे देता है, तो एक दिन में एक मामला उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी अनुमति ही नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको अनुमति देनी चाहिए। आप नियमों का अतिलंघन नहीं कर सकते।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : श्रीमान् जी, मैं सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखना चाहता हूँ (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महाराष्ट्र सरकार ने, जहाँ से श्री खाडिलकर स्वयं आये हैं, रात को अम्बरनाथ में नौ कर्मचारियों की गोली से हत्या कर दी। श्रम मन्त्री को त्यागपत्र देना चाहिए... (व्यवधान)

टार्च की रोशनी में पुलिस ने हत्या की।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। यह अवसर इस विषय पर बोलने का नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

जेनेवा में अक्टूबर, 1970 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 55वें (समुद्रीय) अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों और सिफारिशों पर की गयी या की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गया। देखिये संख्या एल० टी० 1929/72]

संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण :—

चौथी लोक सभा

(एक)	विवरण संख्या 38	.	:	चौथा सत्र, 1968
(दो)	विवरण संख्या 31	.	.	सातवां सत्र, 1969
(तीन)	विवरण संख्या 20	.	.	आठवाँ सत्र, 1969
(चार)	विवरण संख्या 19	.	.	नौवां सत्र, 1969
(पांच)	विवरण संख्या 21	.	.	दसवां सत्र, 1970
(छः)	विवरण संख्या 12	.	.	ग्यारहवां सत्र, 1970
(सात)	विवरण संख्या 11	.	.	बारहवाँ सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(आठ)	विवरण संख्या 7	.	.	पहला सत्र, 1971
(नौ)	विवरण संख्या 12	.	.	दूसरा सत्र, 1971
(दस)	विवरण संख्या 4	.	.	तीसरा सत्र, 1971
(ग्यारह)	विवरण संख्या 1	.	.	चौथा सत्र, 1972

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1930/72]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् जी, अम्बरनाथ गोलीकाण्ड के बारे में आपने मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहा था। क्या आप मन्त्री महोदय को पुनः याद दिलायेंगे

अध्यक्ष महोदय : जब सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हैं, उस समय यह विषय नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : दिये गये आश्वासनों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अम्बरनाथ गोली काण्ड के बारे में मन्त्री महोदय ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह दुर्घटना वेतन भुगतान अधिनियम के उल्लंघन के कारण हुई है, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय बाद में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर (श्री आर० के खाडिलकर) : जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। यह एक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप तब भी कह सकते थे। आपको वक्तव्य देने के लिए कहा गया था, तो आप वक्तव्य के लिए तैयार होकर आते।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने यह समझा था कि गृह मंत्री से आपने वक्तव्य देने के लिए कहा था।

वेतन भुगतान अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को मैंने बताया था कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने वेतन आदि का प्रश्न उठाकर इसे केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध करने की कोशिश की। इसलिए मैं इस बात को मंत्री महोदय पर छोड़ता हूँ कि वह जैसा चाहें वक्तव्य दे सकते हैं। अगर आवश्यक हो, तो वह कल तैयार होकर आ सकते हैं।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

उत्तर प्रदेश दिल्ली और हरियाणा में किसानों से गेहूँ की खरीद संबंधी अनियमितताएँ

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : Sir, Through you I would like to draw the attention of the Agriculture Minister towards the declared policy of the Government. The Government had decided to purchase wheat at the rate of Rs. 76/- per quintal from the farmers. I have personal knowledge about Western U.P., Delhi and Haryana that Government employees have not reached there to purchase the wheat till now. The farmers have to sell their wheat to the commission agents. Wherever there is purchasing of wheat. Complaints are galore about waiting for a long time in the queues, excess weighing and delay in payment.

Names of three agencies, viz., Food Corporation, Co-operative Department and State Governments were announced for the procurement of wheat, but so far not sufficient purchasers have reached on the purchasing centres for the procurement of wheat. I request the Agriculture Minister to get the declared policy implemented.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के यहां उपस्थित न हो सकने कारण आज के लिए निर्धारित ध्यानकर्षण प्रस्ताव कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसलिए मैं तीन सदस्यों को एक अथवा दो मिनट के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूँ।

(दो) कृषि-जोत की अधिकतम सीमा

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : A controversy has started in the Press regarding ceiling on land holdings. We want to remove poverty by increasing wealth and proper distribution of wealth. People have different views regarding land ceilings. The people have confusion about it. This matter should be considered seriously and situation of uncertainty should be given a quietus, because 75 percent of total population is concerned with this question.

श्री पी० बेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : सत्ताधारी पार्टी द्वारा जनता को दिये गये आश्वासनों और वचनों के अनुरूप भूमि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। ऐसा करने के बजाय, केन्द्रीय भूमि सुधार समिति और कृषि मन्त्री के वक्तव्य के बारे में वाद विवाद किया जा रहा है।

हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है और इस अवांछित वाद विवाद के कारण वे लोग अत्यधिक चिन्तित हैं। इस लिए देश की सर्वोच्च संस्था में इस विषय पर पूरी बहस होनी चाहिए ?

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : The peasant community is agitated over the question of land-ceiling. I request that a full-dress debate on this question should be held on any day.

श्री के० सूर्यनारायण एलूरू : भूमि सुधारों के बारे में सभा पटल पर रखे गये सभी विवरण-पत्रों के बारे में पूरी बहस का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक या दो दिन निर्धारित किये जा सकते हैं।

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : Small as well as big farmers are affected by this, therefore a full debate may please be allowed on this.

अध्यक्ष महोदय : अगर कार्य मंत्रणा समिति कुछ समय इसके लिए नियत करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

सामान्य बजट-अनुदानों की मांगें (जारी)

GENERAL BUDGET, DEMANDS FOR GRANTS (Contd.)

इस्पात और खान मंत्रालय (जारी)

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : For the progress of the country, it is absolutely necessary that industries are developed. For industries, power is essential, which in turn is derived from coal and other such materials. The efforts for the evolution of substitute for coal have not proved successful. For the development of mines, all the coal mines and coal deposits should be nationalised by the Government.

There is no shortage of non-coking coal. Arrangements should be made for the transportation of coal and low temperature carbonisation plant should be set up near non-coking coal deposits. Fuel gas could also be produced for industries and household consumption.

When I say that there should be modernisation and restructure of coal industry. I

do not mean that there should not be mechanisation at all. The machines may be used; but the coal production should have labour intensive process.

The industries, big power generating units should be set up near the non-cooking-coal pit heads. At Ramgarh complex, there is low temperature-carbonisation plant and fertiliser plant. The Bihar Government proposes to set up a super power house there and thus fifteen to twenty thousand people would get employment. The Government should, therefore, give serious thought to it.

There are huge deposits of coal in Hazaribagh area, but it is a matter of surprise that railway lines have not been laid in that area. This Ministry should get the Co-operation of Railway Ministry and railway lines and railway riding should be provided in the area so that coal could be properly utilised,

श्री जी० विश्वनाथन (वाँडीवाश) : इस्पात का उत्पादन और उसकी खपत किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता की द्योतक है। हम 60 लाख टन इस्पात के 'पिंडों' का उत्पादन करते हैं इसमें से तैयार इस्पात केवल 45 लाख टन ही होती है, जो समूचे विश्व के उत्पादन का केवल 1% है। विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति खपत इस प्रकार है : संयुक्त राज्य अमेरिका 685 किलोग्राम, रूस 428 किलोग्राम, स्वीडन 628 किलोग्राम, पश्चिम जर्मनी 579 किलोग्राम, जापान 494 किलोग्राम और भारत 11 किलोग्राम इस्पात की लगातार कमी के कारण ही हमें 200 करोड़ रु० की लागत का इस्पात प्रति वर्ष आयात करना पड़ता है।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान स्टील लि० ही प्रमुख इस्पात उत्पादक है। इस के भिलाई दुर्गापुर और रूरकेला स्थित संयंत्रों में 1050 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। खेद की बात है कि इन संयंत्रों पर हमें प्रति वर्ष घाटा हो रहा है और मार्च 1971 तक 178 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था।

वर्ष 1969—70, 1970—71 और 1971—72 में तीनों इस्पात संयंत्रों का संयुक्त उत्पादन क्रमशः 37 लाख टन, 36 लाख टन और 34 लाख टन रहा। उत्पादन में हर साल गिरावट आती जा रही है।

कोक ओवन बैटरी की समस्या आज से दो तीन वर्ष पहले भी थी। अभी तक इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। यही नहीं, स्टील मैल्टिंग शापों के लिए इस्पात पिण्डों की भी कमी है। रूरकेला की दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। इस बारे में दायित्व निर्धारित होना चाहिए, ताकि वे अधिकारी भविष्य में सतर्क रहे।

उत्पादन लागत और मूल्यों में कमी करने के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने विस्तृत विचार किया था। उत्पादन लागत में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इसमें वृद्धि के प्रमुख कारण कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि और प्रबन्ध व्यय में वृद्धि है। संचालन व्यय में कमी किये बिना इस्पात के मूल्य में कमी होना सम्भव नहीं है। इसलिए इस बारे में मन्त्री महोदय को शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। रूरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों के निर्माण विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या परियोजना रिपोर्ट में दी गई संख्या से दुगुनी है। सरकारी उद्यम ब्यूरो और हैदराबाद स्थित प्रशासनिक कर्मचारी कालेज ने भी हिन्दुस्तान स्टील लि० में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी के होने की बात को

स्वीकार किया है। फालतू कर्मचारियों की छटनी करने के बजाय इस्पात संयंत्रों के भावी विस्तार के समय उन्हें खपाया जाना चाहिए। भविष्य में नियुक्तियां करते समय विशेषज्ञों की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

उत्पादन और उत्पादन लागत दोनों के मामले में औद्योगिक सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण भूमि का अदा करता है। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहें। सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को भी यह बात सोचनी चाहिए कि वे एक आदर्श प्रबन्धक हैं और उन्हें श्रमिकों की मांगों के प्रति उदार होना चाहिए।

अन्ततः सरकारी उपक्रमों का कार्य ही देश की भावी प्रगति का मापदण्ड होगा और जनता को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि ये उपक्रम उनके लाभ के लिए हैं।

इन कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों के बारे में यह स्पष्ट है कि किसी कारखाने के विस्तार का अर्थ उत्पादन में वृद्धि और उसके उत्पादों के मूल्य में कमी होना है, परन्तु मुझे संदेह है कि इस कार्यक्रम से हमें वाँछित लाभ प्राप्त होगा।

सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना बोकारो स्टील लिमिटेड है जिसके पहले चरण के 620 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलनों में 90 करोड़ की वृद्धि कर दी गई और ये पुनरीक्षित प्राक्कलन दो साल से सरकार के पास अनुमोदनार्थ पड़े हुए हैं और इस संबंध में संसद को भी कुछ नहीं बताया गया। हमें हिन्दुस्तान स्टील के बारे में हुई भारी भूलों से कुछ सीखना चाहिये था और वही गलतियां दोहरानी नहीं चाहिये थी। बोकारो के निर्माण में दो वर्ष का विलम्ब हुआ है, हमें कम से कम अब तो यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कार्य समय पर पूरा हो।

रूस के साथ हुए करार की भी सरकारी उपक्रम समिति ने कटु आलोचना की है क्योंकि उन्होंने पहली धमन मट्टी के लिए सामान न भेजकर बेलन मिलों को सामान भेज दिया जिसकी काफी बाद में आवश्यकता थी। मंत्री महोदय को समिति के इस अभिकथन पर ध्यान देकर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में इनकी पृनरावृत्ति न हो।

मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव का पालन करेगी या नहीं।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमें बड़े-बड़े और मूल उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण के समाजवादी लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं इसलिए हम गैर-सरकारी क्षेत्र को इसके लिये लाइसेंस क्यों दे जबकि बहुत से राज्य और क्षेत्र पिछड़े हुए हैं जहां सरकारी क्षेत्र यह कार्य कर सकता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें कितने लाइसेंस दिये गए हैं ?

तीन नए इस्पात कारखानों के संबंध में यद्यपि व्यवहार्यता प्रतिवेदन गत नवम्बर में सरकार को दे दिया गया था परन्तु इस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है यद्यपि संलेम में भूमि का भी अधिग्रहण किया जा चुका है। निवेश संबंधी मामले पर शीघ्र फैसला कर के शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाये।

अब मैं नेवेली लिगनार्ड कारपोरेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यहां न केवल

लिंगनाईट तैयार होता है अपितु राज्य को 40 प्रतिशत बिजली भी मिलती है, परन्तु मशीनें पुरानी होने और लिंगनाईट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ष कम बिजली पैदा की जा सकी यद्यपि दूसरी खान की खुदाई के लिए काफी समय से कहा गया है। सरकार को चाहिये कि नई मशीनें शीघ्र मगाए और दूसरी खान काटने का भी शीघ्र आदेश दे। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस निगम को शीघ्र वित्तीय सहायता दे ताकि तमिल नाडु के बिजली संकट को दूर किया जा सके।

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : The progress of a country and when is gauged by the Steel plants and one says that...

Shri H. C. Kachwai : Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Speaker : The bell is being rung. Now there is quorum. The hon. Member may continue his speech.

One hon. Member : It is lunch-hour now.

Mr. Speaker : Lunch-hour has not approached yet. This is not proper. If there is no quorum after the lunch-hour, I will adjourn the House. Perhaps, Members find no interest in the House.

Shri Prabodh Chandra : Whereas, our hon. Minister of Steel and Mines is one of the effort Ministers, our Steel Mills make a dismal reading of our efficiency. Their production is lowest whereas the cost of production is the highest. About 38 years back our Steel was the cheapest.

Today, we are told that the shortage of Steel is resulting from the non-availability of railway wagons, coal and refractors. Nothing could be more regrettable than this. Could we not have more thoughtful planning ?

In the recent meeting of the Steel Advisory Committee it was stated that if 50 percent capacity of all Steel mills is utilised, we cannot earn more than 4.5 percent profit during the next 25 years. It is disappointing. We shall have to pinpoint the shortcomings. In this field we should follow the example of Japan and acquire the best know how in this field. Appointment of IAS or ICS Officers to manage Steel Mills cannot solve the problems.

I am sorry to point out that Steel Mills in the Public Sector, though sophisticated and most modern continue to run at a loss whereas, on the other hand Steel Mills of the Tatasa, though 40-50 years old, show increasing profits. If Public Sector Steel Mills continue to incur losses like this, they will swallow up the entire investment.

It is also regrettable that we are not able to produce Steel for our ship-building and machinery. There should be some coordination in the work of setting up Mini Steel Plants and the quality of Steel to be produced therein.

I want the hon. Minister to identify the causes of frequent strikes in our Steel Mills as compared to Private Sector Steel Mills where the labour enjoys much less facilities. Before appointing an officer on a responsible post in a Steel Mill, it should be ensured that he possesses some knowledge of steel.

There is something drastically wrong with distribution system of steel. This is why it is available in plenty in Black market and those genuine need of it are deprived of it, It should be looked into.

The quality of steel has also deteriorated. It should also be improved. The needs of small industries should be met despite losses because in the long run it is profitable for the country.

I feel that if we cannot set our house in order under Shri Kumaramanglam, we can never hope to do so under anyone else. I, therefore, hope that he will do his utmost to set things right and see to it that this industry stands on its own legs on which the country's future depends.

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : क्योंकि यह मंत्रालय सबसे कुशल मंत्रियों में से एक के पास है अतः मुझे विश्वास है कि इस मंत्रालय द्वारा पीछे हुई गलतियाँ ठीक होंगी और विस्तार संबंधी कार्यक्रम पूरे होंगे ।

इस मंत्रालय के समक्ष देश के खनिज साधनों के विकास और इस्पात-उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक काम हैं जिनको पूरा करने के लिए मंत्रालय को काफी आत्म निरीक्षण करना होगा यह देखने के लिए कि क्या हमारी विफलताएँ किसी एक-आध व्यक्ति की अपक्षता के कारण हुई हैं या आयोजन में किसी त्रुटि के कारण हुई हैं या आयोजना में किसी त्रुटि के कारण हुई हैं ?

आशा है कि राजनीतियों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने नीतियों को क्रियान्वित करना है, फिर से संकल्प लेना होगा ।

पीछे जो उत्पादन में कमी हुई है उसके लिए परिवहन, कच्चे माल, तकनी की कठिनाईयों आदि को जिम्मेदार ठहराया गया है—इन कारणों की हमें जांच करनी होगी ।

यह एक आम शिकायत की जाती है कि सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक है, इसका कारण राज्यों द्वारा रोजगार संबंधी राजनीतिक दबाव है और केन्द्र के विचारों से वे टकराते हैं अतः इसे तो हमें सहना ही होगा परिवहन की कठिनाई के बारे में मेरे विचार से यहां की जनता अनावश्यक यात्राएं बहुत करती है जिससे रेलगाड़ियाँ व्यस्त रहती हैं । अतः या तो हमें रेलों का विस्तार करना होगा या अपनी आदतें बदलनी होगी ताकि मूल उद्योगों का विकास किया जा सके । खात पर भी नियंत्रण रखना होगा । जब तक हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक मंत्रालय द्वारा किए गए सभी प्रयास प्रभावहीन सिद्ध होंगे । प्रबन्धक-श्रमिक संबंध भी संतोषजनक नहीं है । हमें चाहिये कि हम बदली हुई परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इन संबंधों में परिवर्तन का नया प्रयोग करें और अधिकांश पहल श्रमिक वर्ग को करने दें ताकि तेजी उत्पादन बढ़ाने और समाजवाद लाने के लिए संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाने का प्रयत्न किया जा सके ।

इस मंत्रालय की समस्याओं का एक पहलू मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर विचार करने का है । मेरे विचार में इस्पात और आधार-भूत भारी इंजीनियरिंग उद्योग में, सरकारी क्षेत्र की वर्तमान कार्यक्षमता के बावजूद भी, दोनों प्रणालियाँ नहीं चल सकतीं क्योंकि दोनों की वितरण व्यवस्था, संगठनात्मक ढांचों और अनेक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में टकराव है ।

मेरे विचार में वर्तमान समाज को कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए हमें आगामी उपयोजनाओं से 10 गुना अधिक इस्पात दरकार होगा । जनता इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं करती रहेगी ।

हमें अपने 609000 गावों को पेय जल देना है, फिर बिजली भी देनी है तो अनुमान लगाइये कि इसके लिए कितना इस्पात चाहिये ।

आज से 28 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के 3.5 करोड़ टन इस्पात उत्पादन के अनुमान से कहीं अधिक इस्पात की आवश्यकता होगी । इसके लिए हमें अधिक महत्वाकांक्षी योजना बनानी होगी, और साथ ही खपत पर और कड़ा नियंत्रण रखना होगा । कहा गया है कि इस्पात संयंत्र लगाने में 2,000 रुपये प्रतिटन का खर्च आता है । इतना तो हम जुटा सकते हैं पर यदि सामाजिक तरीके पर हमें संदेह है तब तो हमारी मूल आवश्यकताएँ 75 वर्ष पहले पूरी नहीं हो सकती ।

अतः जहाँ हमें मंत्रालय पर अधिक दक्ष बनने का अनुरोध करना है और उसे तेजी से प्रगति के लिए बेहतर समन्वय लाने के लिए कहना है, वहाँ हमें समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए अपनी विचार धारा को भी बदलना होगा ताकि सेवाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के पक्ष में एक नई भावना और निष्ठा का संचार किया जाये ।

Shri Ishwar Choudhry (Gaya): Sir, our country is so rich in mineral resources, that if we exploit them fully, we can not only become self-sufficient but we can export them also. But alas, we have not even become self-sufficient. We are told that out of a total of 314 mines, 311 are in Bihar, but industries have not been established there and people of Bihar are banking after employment.

Bihar supplies one-third of the total mineral wealth in the country but still it is the poorest State. In 1942, Bihar ran bed 4th in the country, whereas today it is 17th—this is because of the neglect. It is regrettable that inspite of capacity, production suffers because of non-availability of wagons. Even after 25 years, this Ministry has not established coordination with the Railway Ministry.

Something is drastically wrong with the distribution system of steel. It finds its way into the hands of non-users and is ultimately sold in black market.

Vast reserves of minerals are lying unexploited in Bihar. A survey needs to be undertaken there for its exploitation setting up industries and giving employment to the people of the State.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

We shall have to find out the causes of continuing losses in Public Sector undertakings.

In Bihar, private owners of mines are retrenching workers for fear of their mines being taken over by Government. Can Government not do anything to ensure their future? I want Government to pay special attention towards the working of all the industries and mines in Bihar and towards the uplift of Harijans, tribals and other backward sections of the State.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): मंत्री महोदय 214 कोयला खाने सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए बधाई के पात्र हैं । इसी कारण आज पहली बार भरियफ के कोयला खनिकों को उचित मजूरी मिल रही है ।

इस्पात के क्षेत्र में भी अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद उन्होंने हानि को न्यूनतम रखा है ।

कोकर कोयला खानों में से अभी 214 खानों को सरकार द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया है अतः अभी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता और इस्पात का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। हम अभी अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं।

आत्मनिर्भरता की नीति को क्रियान्वित करने के लिये तरीके अपनाये गये हैं। केन्द्रीय इंजीनियरिंग और डिजायन ब्यूरो अपना काम कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संयंत्रों में वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत उद्योग विद्या में सुधार किया जा सकेगा। कोयला और इस्पात निगमों का संयुक्त उद्योग समूह बनाने का कार्य प्रशंसनीय है। यदि धवनशालाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाये तो हिन्दुस्तान स्टील में जिसमें हानि 10 करोड़ रुपये से घटकर 5 करोड़ रुपये रह गई है, लाभ हो सकता है, कोकर कोयले में अगामी वर्ष में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी।

कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व हमें इन बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि विश्व के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है।

हमें संयंत्रों को चलाने की जानकारी होनी चाहिये इस्पात संयंत्रों को चलाने में भारतीय प्रशासन सेवा और आई० सी एस० अधिकारियों को सेवाएं का स्वागत किया जाना चाहिए।

भारत के किसी भी भाग में उपलब्ध न होने वाला उत्तम किस्क का मेट्यूलरजिकल कोल पानी के नीचे दबा पड़ा है। हमें इसे निकालना है। कोयले के बढ़ते हुए मूल्य के संदर्भ में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब हमें कोयले का मूल्य 175 रुपये प्रतिटन देना पड़ेगा। 80 रुपये प्रति टन की दर से प्राप्त उच्च कोयला फिर भी सस्ता होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 72 मील से अधिक लम्बी अभ्रक पट्टी है। अभ्रक खानों और अभ्रक के विदेशों में व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अनेक आन्दोलन हुए हैं। अभ्रक के विदेशों में व्यापार को अपने अधिकार में लेने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भारत सरकार के कार्यक्रम की सूची में अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण को सबसे बाद में शामिल किया जाना चाहिये अभ्रक खानों में ठकेदारों के पद को बटाई हिस्सेदार की भांति मान्यता दी जानी चाहिये खनिक रियायत नियमों में संशोधन किये जाने चाहिये जिससे छोटे लोगों को लाभ हो अन्यथा इस पट्टी पर अभ्रक की खानों का पता लगाने का कार्य रूक जायेगा।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabna) : The loss of this Department should be reduced. First of all these should be reduction in the number of the persons getting high salaries. Unemployed persons should be given employment. I think it will greatly help in reducing the loss.

Our engineers do not work very hard like the foreign engineers. If they work like them there can be tremendous increase in our production.

This Ministry has set up coal and minerals factory in certain parts of the country. Expansion of these factories has not taken place in the whole country. The whole country should be given the benefit of these factories. In certain places there is abundance of mineral wealth. But survey of those places has not been made as a result of which there is no development in those places.

The production of iron and coal is increasing. Even an ordinary man needs iron. But the prices of iron and coal are shooting up.

The main cause of this is that the expenditure of this department has increased a lot. The expenditure of this department should be cut down.

The Jhabua area of Madhya Pradesh is very backward. Some mineral products like mica, soft stone are available there. But the people are not getting the full advantage of these products. A survey in this regard should also be made in Fatva, Ratlam, Dhar, Khar gaon, of Madhya Pradesh and Bauswara, Dungarpur, Chittor districts of Rajasthan. So that the backward areas may be benefited by this department. If it is done, the people the backward areas and Advasis will be able to get employment.

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खाँ) : भारत कोकिंग कोल सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यम है। इसमें लगभग 1.20 लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। उन कार्मिक और कल्याण अधिकारियों के स्थान पर अब अन्य अधिकारियों को रखा जायेगा जो मजदूरों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देने की बजाये उन पर दबाव डालते थे।

भारत कोकिंग कोल को पहले छः महीनों में हानि होने का उल्लेख किया गया है। सदस्यों को यह जानकारी होगी कि उक्त अवधि में इसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और भारत कोकिंग कोल पर केवल प्रबन्ध का नियन्त्रण था। गत 17 अक्टूबर को हमने 214 कोककर कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। कुछ सदस्यों ने कहा कि उसमें से 78 खानें ऐसी थीं जो बन्द हो गईं थीं। वास्तव में ऐसी खानों की संख्या 50 थी। वैज्ञानिक तौर पर खनन के लिये खानों में बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। इन खानों को अपने अधिकार में लेने से अनेक लाभ हैं।

गत छः महीनों में इनमें 25-30 लाख रुपये की हानि हुई है। चूंकि अभी ही हमने इसके प्रबन्ध को हमने अभी अपने हाथ में लिया है हमें किसी तरह उसी ढांचे को बनाये रखना होगा। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इसके बावजूद भी न तो उत्पादन में कमी हुई है और न ही कम्पनी को बहुत हानि हुई है।

सदन को इस बात की जानकारी है कि हमें किन परिस्थितियों में कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। सदन के सब वर्गों से कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही थी। यदि गैर सरकारी उद्योग अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करते तो हमें कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं होती। देश में अकोककर (नान-कोकिंग) कोयले के बड़े भंडार हैं। हमारे पास इनका 500 वर्ष तक के लिये स्टॉक है। अतः इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं थी।

कोयला खानों में आवश्यकता से अधिक मजदूरों के बारे में सरकार को जानकारी है। हमारा इरादा उनकी छंटनी करने का नहीं। भविष्य में विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन श्रमिकों का उपयोग करना सम्भव होगा।

खानों का पूरा प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बाद हम बड़े बड़े 'पहलवानों' का भी मुकाबला कर सकेंगे। पम्पिंग सैटों और अन्य उपकरणों को खरीद के लिये 50 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। अनियमित बिजली सप्लाई के बारे में हमें भारी चिन्ता है। आशा है राज्य सरकारों के सहयोग से हम इस समस्या को हल कर लेंगे (अन्तर्भावार्थ)।

भारत कोकिंग कोल कम्पनी द्वारा कोयले के मूल्य बढ़ाने की मांग असाधारण नहीं है।

अकोकर कोयले का मूल्य 3.50 रुपये प्रति टन बढ़ाने के लिये रेलवे दो वर्ष पूर्व सहमत हो गई थी।

कलकत्ते से मुख्यालय को धनबाद ले जाने के बारे में कुछ सदस्य चिंतित हैं। सदन को विदित है कि 214 अकोकर कोयला खानों में से 211 अकोकर कोयला खानें बिहार में हैं। उन पर उचित नियंत्रण और उनमें उचित तालमेल के लिये मुख्य कार्यालय को धनबाद ले जाना लाभप्रद होगा।

हम ऐसी खानों को फिर से खोलेंगे जिनमें अभी भी भारी मात्रा में अकोकर कोयला उपलब्ध है।

बिहार और बंगाल में बन्द हुई 14 कोयला खानों को यथाशीघ्र खोलने के लिये कार्यवाही की जायेगी। भारतीय तांबा निगम को, जिसके प्रबन्ध को हाल ही में अधिकार में लिया गया है, बिहार सरकार को सौंप देने का उल्लेख किया गया है। इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि तांबे का उत्पादन करने वाली यह देश की एक मात्र कम्पनी है। इस कम्पनी को इस लाइन का व्यापक अनुभव है। तांबे की भारी कमी के कारण हम उनके अनुभव द्वारा इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। यदि इसका प्रबन्ध किसी एक राज्य को सौंप दिया जाता है तो इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी।

खेतरा परियोजना में कुछ विलम्ब हुआ है। किन्तु नये अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद काम की गति में वृद्धि हुई है।

80 प्रतिशत निखनन पूरी पूरे हो गये हैं। हमने 1 42 000 टन तांबे का स्टॉक जमा कर लिया है। इस वर्ष के अन्त तक खेतरा में सात निखनन तैयार हो जायेंगे।

कोलिहन की स्थिति बहुत अच्छी है। 4 निखननों में से 2 निखनन तैयार हैं।

लागत में वृद्धि होने के बारे में उल्लेख किया गया है। उर्वरक संयंत्र के अतिरिक्त अन्य संयंत्र की आरम्भिक लागत का 70 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया था। अब इसकी लागत 93 करोड़ रुपये हो गई है। अतः लागत में वृद्धि का उचित कारण है।

खेतरा परियोजना की प्रगति बहुत अच्छी है और आशा है हम निर्धारित तिथि तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

यह भी आशा की जाती है कि हम अग्निगुन्तला अयस्क का पूरा उपयोग कर सकेंगे। बालघाट जिले में मलाजखंड में भी अनेक निक्षेप हैं। हमें आशा है कि हम इनका यथाशीघ्र उपयोग कर सकेंगे। हमारा वर्तमान उत्पादन 9 से 10 हजार टन है। हमारी वर्तमान आवश्यकता 1,13,000 टन है। हमें आशा है कि हम अन्य स्थानों के अतिरिक्त खेतरा में 30,000 टन, सिंहभूज में 30,000 टन और मलाजखंड में 30,000 टन उत्पादन करने में सफल होंगे। हमें इस बात की जानकारी है कि देश में तांबा, ऐल्यूमिनियम, सीसा आदि के विकास की बड़ी संभावना है।

आशा है आगामी कुछ वर्षों में हम ऐल्यूमिनियम के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

भारत ऐल्यूमिनियम कारपोरेशन में एक लाख टन ऐल्यूमिनियम का उत्पादन होगा। रत्नगिरि में भी एक लाख टन ऐल्यूमिनियम का उत्पादन होने लगेगा।

देवारी में जिंक की उत्पादन क्षमता दुगनी हो गई है। मैसर्स कोमिन्को बिनग्रानी जिंक

लिमिटेड भी अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। अब तक हमें देश में 10,000 टन लोह-अयस्क का पता लगा है। हम अपने संसाधनों के अनुसार इस्पात उद्योग का यथा संभव विकास कर रहे हैं। गत वर्ष हमने 200 लाख टन लोह-अयस्क का निर्यात किया। लोह अयस्क के निर्यात के नये तरीके से हम एक टेंकर द्वारा 2½ से 3 लाख टन लोह-अयस्क निर्यात करने में सफल होंगे। छोटे जहाजों के माध्यम से लोह-अयस्क भेजना बहुत लाभप्रद होगा। परिवहन व्यय को कम करने के लिए हम आधुनिक उपाय काम में ला रहे हैं।

हम मंगलौर पत्तन का तेजी से विकास करना चाहते हैं जिससे इसकी वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 2,25,000 टन किया जा सके। मंगलौर पत्तन के यथा शीघ्र विकास करने से हम इस पत्तन के माध्यम से अधिक अयस्क का निर्यात कर सकेंगे।

लोह अयस्क का निर्यात एक साधारण मामला नहीं है। हमें इसके लिये मंडियों का पता लगाना पड़ता है। हम इसके लिये एक नई कम्पनी स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। नई कम्पनी में भारत सरकार के 51 प्रतिशत शेयर होंगे अमरीका की मारकोना कम्पनी, जिसे लोह-अयस्क को 'सलेरी फार्म' में भेजने का अनुभव है, 25 प्रतिशत निवेश करेगी। जापान की तीन सबसे बड़ी फर्मों के भी इसमें शेयर होंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम जापान में लोह अयस्क की नियमित मंडी प्राप्त करने में सफल होंगे।

बोकारो इस्पात कारखाने में विकास बिये जाने के बाद कोयले का पूरा उपयोग किया जा सकेगा।

निवेली संयंत्र को 600 लाख टन लिगनाइट और 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था। लेकिन कुछ कारणों से इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। इसका एक मुख्य कारण औद्योगिक सम्बन्धों का अच्छा न होना है। आशा है औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा और हम इसकी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में सफल होंगे। तमिलनाडु सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने और अतिरिक्त मशीन के आयात किये जाने के परिणामस्वरूप निवेली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा।

मैं श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य की इस मांग से सहमत हूँ कि अभ्रक के व्यापार का राष्ट्रीय-करण कर छोटे उत्पादकों को संरक्षण दिया जाना चाहिये।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : मलाजखंड खानों में काम को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई है। खेतरी खानें 1957 से काम कर रही हैं लेकिन वे अभी तक तांबे का उत्पादन करने में सफल नहीं हुई हैं। जहां तक मुझे जानकारी है मालाखंड खानें पांच वर्ष के अन्दर तांबे का उत्पादन करना आरम्भ कर देंगी और खेतरी खानों की तुलना में उसकी किरम और मात्रा अधिक होगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह खान को स्वयं जा कर देखें और उसके कार्य के परिणामों की जांच करें।

इस धातु के लिये देश की मांग लगभग एक लाख मीट्रिक टन है और हमारा उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन है। यदि मजलखंड खान में उत्पादन आरम्भ हो जाये तो उससे लगभग 30,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने लगेगा।

मजलखंड में एक प्रदावक स्थापित किया जाना चाहिये ताकि सल्फर डायोक्साइड तथा सल्फ्युरिक एसिड जैसे उद्योग धंधे पनप सकें। वहां जिप्सम तथा कार्ड-बोर्ड के उद्योग भी स्थापित किये जा सकते हैं।

मजलखंड से बालाघाट तक रेलवे लाइन भी होनी चाहिये।

स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दिया जाना चाहिये। सूपकार के निकट बोक्साइट के निक्षेप हैं।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : प्रतिवेदन में नौ उपक्रमों का उल्लेख किया गया है। जिनमें से सात उपक्रम तो पहले से ही चल रहे हैं और शेष दो उपक्रमों को अभी स्थापित किया जाना है। इन सात उपक्रमों में से पांच उपक्रमों को आज तक ६९२ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। सरकार ने कृत्तिक बल योजना जैसी कार्यवाही की है परन्तु इससे भी सुधार नहीं हुआ अतः सरकार को इस गंभीर मामले की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इस्पात उपभोक्ताओं को इस्पात के विवरण के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुल उत्पादन का ९० प्रतिशत सीधा उपभोक्ताओं के पास जाता है और बड़े उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांश इस्पात जे० पी० सी० अथवा इस्पात नियंत्रक से सीधा खरीद लिया जाता है जबकि छोटे उपभोक्ताओं को लघु उद्योग निगम के माध्यम से मिलता है अतः लघु उद्योगों के लिये इस्पात का कुछ भाग निर्धारित किया जाना चाहिये।

इस्पात उद्योग में २ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है परन्तु यह सामान्य शिकायत है कि स्थानीय लोगों को विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को, रोजगार नहीं मिलता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

पुरुलिया में मिश्रित इस्पात संयंत्र करने की स्थापना करने का प्रस्ताव था। इस परियोजना की लागत ४२ करोड़ रुपये है। सुना है कि इसे अन्यत्र स्थापित किया जायेगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसे पुरुलिया में ही स्थापित किया जाना चाहिये।

Sbri Shivanath Singh (Jhunjhunu) : Steel is most essential for the development of a country but when we compare the production of steel in our country with that in other countries of the world, we find that it is 1 per cent as against the production of other countries and our per capita consumption is 11 kg.

The export of iron-ore should be stopped because it is essential for our steel industry. If foreign exchange has to be earned, it can be earned through other items.

Our demand of steel is going to be of the order of 7.6 million tonnes in 1975. If this speed of production continues, we would not be able to meet the demand. The Government should look into it.

Regarding Khetri Project our planning has been a failure. We spent huge amount in consulting foreign experts but we could not utilize their consultation.

According to original plan we imported more machinery which has become obsolete now, because did not make use of it. These points should be looked into.

The Head Office of the Hindustan Copper Ltd. was located at Khetri. Now that office is being shifted to Calcutta. I strongly oppose it.

The plan that the Head Office should be located at a central place. Is Calcutta a central place? The Head Office should be located at Khetri.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : आज हम आत्म निर्भरता पर अधिक बल दे रहे हैं परन्तु जो चुनौती हमारे समक्ष है वह वास्तव में बहुत बड़ी है। हमने अपने इस्पात उद्योग में 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया है तथा गत तीन वर्षों में इस्पात उत्पादन से हमें पूंजी परिव्यय पर कम से कम 10 प्रतिशत लाभांश मिलना चाहिये था परन्तु स्थिति यह है कि हमें 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जबकि 500 करोड़ रुपये का लाभ होना चाहिये था। यह एक गम्भीर समस्या है तथा इसके लिये केवल मन्त्री महोदय को ही नहीं अपितु समूचे देश को चिन्ता करनी चाहिये तथा यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिये कि दोष कहां है तथा उसे दूर कैसे किया जा सकता है।

उन्होंने एक बार कहा है कि कोककर कोयला, लौह अयस्क, मैगनीज आदि की देखभाल करने वाली एक 'हाल्टिंग कम्पनी' होगी परन्तु जब तक प्रत्येक कारखाने में कार्य कुशलतापूर्वक नहीं होगा तब तक इन सब बातों में कोई लाभ नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में बहुत असमानता है। मन्त्री महोदय को एक सरकारी क्षेत्र सेवा आयोग का गठन करना चाहिये जो इस मामले की जांच करें।

इन विकट समस्याओं से निपटने के लिये हमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा।

आज भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में क्या हो रहा है? इस निगम ने आस-पास के क्षेत्र की 3,767 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी तथा वहां के लोगों को शरणार्थी बना दिया। अब वह इस जमीन पर सहकारी समिति बनाना चाहता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक को तुरन्त निदेश दे कि वह ऐसी कार्यवाही करने से बाज आये।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : गत तीन वर्षों में जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था वे प्राप्य नहीं किये गये हैं तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

गत वर्ष वास्तव में क्या हुआ? हमने भिलाई में पिण्ड इस्पात का 2,200,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था परन्तु हमारा उत्पादन 1,953,000 मीट्रिक टन था। दुर्गापुर में भी 1,150,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य में से 700,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। स्पष्ट है कि हम अपने उत्पादन लक्ष्यों से पीछे रह गए।

इसका एक प्रमुख कारण रूरकेला में इस्पात 'मेल्टिंग शाफ एफ' का गिर जाना था। काम करने के सामान्य महीनों में रूरकेला में जिसका उत्पादन होता था यदि उतना उत्पादन होता हो शायद 1,200,000 मीट्रिक टन उत्पादन हो जाता। उससे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भी लाभ होता।

इस छूट को समय पर ठीक करवाने के लिए जैसप बन्धु में को बुलाया गया फिर भी उस में 4½ महीने लग गए।

दूसरा प्रमुख कारण भिलाई में कोक भट्टी की गंभीर समस्या था। इसके बावजूद भी 1,553,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। यदि ऐसा नहीं होता तो निस्संदेह इस वर्ष इससे दुगुने से अधिक उत्पादन हो जाता। इसमें सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तीसरा कारण यह है कि औद्योगिक सम्बन्ध भी खराब रहे। दुर्गापुर क्षेत्र में 1971-72 में इस कारण दस लाख काम के घंटों का नुकसान हुआ। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वे दुर्गापुर जो कुछ हो रहा है उसके कारण 65 प्रतिशत वित्तीय घाटा हुआ है।

चौथा कारण अकार्य कुशल रख रखाव है।

कोक भट्टियों के कार्यकरण में तुरन्त सुधार के लिए हमने विशेषज्ञों के दो विशेष दल नियुक्त किये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सरकारी क्षेत्र के तीन संयंत्रों की कोक भट्टियों के कार्य को देखेगा तथा हम गैर सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात संयंत्रों को देखेंगे। इसमें रूस के उच्च-कोटि के विशेषज्ञ की सेवा ली गई थी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नियुक्त किये गये इन दो दलों के अतिरिक्त सरकार ने एक विशेष दल गठित किया था और कोक उत्पादन बढ़ाने के लिये उसके सुभाव क्रियान्वयन किये जा रहे हैं। इसी प्रकार कोक भट्टियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कई अन्य दल गठित किये गये। हमने पुर्जो, कच्चे माल आदि के लिये त्रिवर्षीय रोलिंग संगंत्र की योजना बनाई है जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमें सस्ता माल कहाँ से मिल सकता है।

21 अप्रैल को एक ई० आई० एम० सी० और आपरेटर ने काम करने से इन्कार कर दिया तो उसे उस अवधि में काम पर नहीं माना गया तो दूसरे ई० आई० एस० सी० ओ० ओपरेटर्स ने अचानक हड़ताल कर दी थी। जिसके परिणाम स्वरूप इस्पात पिघलाने वाले शाप में काम ठप्प हो गया था। तीन दिन तक वे कई मजदूर संघों आदि का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते रहे परन्तु उन्हें किसी का समर्थन न मिलने पर चौथे दिन काम पर आना पड़ा परन्तु इन 15 ई० आई० एस० सी० ओ० आपरेटर्स के कारण 4000 मीट्रिक टन इस्पात का नुकसान हो गया।

दुर्गापुर में सभी महत्वपूर्ण संघों से परामर्श के बाद हमने विवाद को निपटाने के लिये इस प्रकार व्यवस्था की है कि पहले संयंत्र स्तर पर बैसला हो जाये, उसके बाद प्रबन्धकों के साल तथा सबसे बाद में श्रम मंत्री के साथ बातचीत करके फैसला किया जाये और हमें आशा है कि उससे सुधार होगा।

दुर्गापुर में औद्योगिक विवाद के लिए केवल श्रमिक ही उत्तरदायी नहीं हैं। इसके लिए सरकार तथा प्रबन्धक दोनों उत्तरदायी हैं परन्तु प्रबन्धक अधिक उत्तरदायी हैं। अब दुर्गापुर में हमने जो नया तरीका निकाला है। उससे हमें आशा है कि स्थिति में सुधार होगा। एक माननीय सदस्य ने उत्पादन प्रोत्साहन का उल्लेख किया है। भिलाई में उत्पादन प्रोत्साहन पहले लागू कर दिया गया। और रूरकेला तथा दुर्गापुर में भी हम उन्हें लागू करने जा रहे हैं।

यह आरोप लगाये गये हैं कि हमारे देश में इस्पात का उत्पादन बहुत कम होता है तथा मूल्य बहुत अधिक है। हमारे देश में इस्पात का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में काफी कुछ

समान है। यदि हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा तो विश्व में सबसे सस्ता इस्पात हमारे देश में मिलेगा।

हमें यह घाटा इसलिये हुआ है कि मजूरी करार के अन्तर्गत लगभग 6 करोड़ रुपये की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा है। रख-रखाव के कारण स्टोर तथा पुर्जों की खपत 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपये तक हो गई है। जर्मनी के ड्यूचमार्क का पुनर्मूल्यन के निर्णय तथा युद्ध की जोखिम और अतिरिक्त बोनस की 1.5 करोड़ रुपये की देयता के कारण कुल 20 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी हम इस्पात के मूल्य पर नियंत्रण कर रहे हैं। यदि हम इस्पात का मूल्य बढ़ाये तो उसका तात्पर्य यह है कि हम गैर-सरकारी क्षेत्र का मुनाफा बढ़ा रहे हैं तथा दूसरी और हम सरकारी क्षेत्र में केवल सुधार ही करेंगे। अतः हमने यह सोचा है और इस वर्ष सरकार ने जो कुछ किया है वह यह है कि उत्पादन शुल्क लगाने से उपभोक्ता का जो अतिरिक्त राशि अदा करनी पड़े उसे अन्यत्र लगाया जाये।

यदि उत्पादन शुल्क में वृद्धि को मूल्य में जोड़ दिया जाता तो हिन्दुस्तान स्टील सहित सभी इस्पात संयंत्रों की वित्तीय स्थिति अच्छी होती। जहां तक बोकारो संयंत्र के कार्यकर्ता का सम्बन्ध है, इसके गत वर्ष महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

वर्ष 1971 के दौरान 71,000 मीट्रिक टन से भी अधिक इस्पात ढाचों का निर्माण किया गया जोकि गतवर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है। मशीनी उपकरणों को खड़ा करने के बारे में भी वर्ष 1971 में अच्छी प्रगति हुई है। उष्ण सह कार्य के बारे में भी 6 गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 में इसका उत्पादन 5568 टन था और 1971 में यह उत्पादन 34,000 टन हो गया। उपकरणों को खड़ा करने की दर में भी गत वर्ष की अपेक्षा दुगुनी वृद्धि ही हुई। गत वर्ष की अपेक्षा इसके उत्पादन में 12,000 टन प्रति मास की दर से वृद्धि हो गई है। बोकारों इस्पात संयंत्र के बारे में हमें कुछ कठिनाईयों का सामना अवश्य करना पड़ रहा है। माननीय सदस्यों को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि जब एक ही क्षेत्र में 50,000 से लेकर 60,000 श्रमिक काम करते हों तो वहां कुछ अत्याधिक वस्तुओं या कच्चे माल की सप्लाई में कमी आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि आजकल हमारे बोकारों में विस्फोट भट्टी कोयला भट्टी और रीफ़ाक्ट्री क्षेत्र में ताला बन्दी चल रही है। कर्मचारी सम्भवतः यह सोच रहे हैं कि विस्फोट भट्टी के चालू हो जाने से निकट भविष्य अर्थात् जून के अन्त अथवा जुलाई के आरम्भ में बोकारों इस्पात संयंत्र पर दबाव डालने के लिए वह सर्वोत्तम स्थिति में होंगे। परन्तु हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम उन्हें और कुछ नहीं दे सकते, अतः हमने बिहार के मुख्य मंत्री और स्थानीय अधिकारियों के पूरे अनुमोदन के साथ बोकारों इस्पात संयंत्र के एक छोटे से क्षेत्र में ताला बन्दी कर दी है। अपनी इस कार्यवाही के फलस्वरूप हम कर्मचारियों के उस वर्ग को अपने दायित्व का अहसास करवाने में सफल हो सकेंगे, जो कि इस कठिन स्थिति का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए करना चाहते हैं।

अभी तक, निर्माण सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम-जिसे 1969 के मध्य में अन्तिम रूप दे दिया गया था, में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। हमें आशा है कि हम अपने समक्ष रखे गये कार्यक्रमों के अनुसार ही कार्य करने में समर्थ होंगे। व्यय के अनुमानों के बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उनमें जो 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसका प्रमुख कारण

देशी उपकरणों और विशेषतया भारी इंजीनियरी निगम और अन्य संस्थानों की लागत में हुई वृद्धि ही है।

भारी इंजीनियरी निगम में गत एक वर्ष के भीतर हमने वास्तविक सुधार किया है। सरकारी उपकरणों सम्बन्धी समिति ने भी इस निगम की उपलब्धियों की सराहना की है। 1968-69 में यदि उपकरणों का उत्पादन 23,852 टन का और 1971-72 में यह उत्पादन बढ़ कर 30,000 टन हो गया था। मूल्य की दृष्टि से भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1968-69 यह 10 करोड़ 1 रुपये था और 1971-72 में यह 28 करोड़ रुपये हो गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि इस निगम में बहुत कुछ सुधार होगा। इसके प्रबन्धकीय ढाँचे में कई परिवर्तन कर दिये गये हैं। हमने प्रयत्न का एकीकरण करने और कार्य-भार का विभाजन करने तथा साथ ही क्रयादेश प्राप्त करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया है। इस कारखाने में जिस किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है वह अपने आप में दूसरी से भिन्न होती है। इसीलिए इसके फाउन्डरी फोरेज संयंत्र में सुधार कर दिया गया है। योजना और उत्पादन के तरीकों और प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जा रहा है। इन सभी प्रयत्नों के फल-स्वरूप भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण में सुधार होना स्वाभाविक ही है।

जहां तक खनन और सम्बद्ध मशीनों का सम्बन्ध है, इसमें भी मीट्रिक टन और मूल्य की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है 1970-71 में 7,742 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था और 1971-72 में यह उत्पादन बढ़कर 12,000 मीट्रिक टन हो गया। मूल्य की दृष्टि से भी उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1969-70 में यह 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 5 करोड़ रुपये हो गया है और 1971-72 में यह दो गुणा होकर 10 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही हमें यह भी आशा है कि अगामी वर्षों में खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम का आधार सुदृढ़ आधार हो जायेगा।

मेरे लिए निर्धारित समय समाप्त होने को है इसीलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के दौरान उठाये गये केवल प्रमुख प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहता हूँ।

माननीय श्री दीनेन भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया था कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जो हानि हुई है उसका कारण दोषपूर्ण रखरखाव ही है। मैं यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि दुर्गापुर संयंत्र की तकनीकी स्थिति में सुधार करने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। इस के साथ ही श्री सोखी ने दुर्गापुर संयंत्र के अधिकारियों से भ्रष्टाचार की जो बात कहीं है, वह भी पूर्णतया निराधार है क्योंकि मैं स्वयं इस मामले की जांच कर चुका हूँ। यह आरोप भी गलत है कि पांडेय समिति की सिफारिशों की क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम एक के बाद एक सिफारिश क्रियान्वित करते चले जा रहे हैं।

मेरे मित्र श्री भट्टाचार्य ने एक व्यक्ति विशेष की छः घंटों के समय में ही दो बार हुई पदोन्नति का समाचार दिया था। मैंने उस समय भी इस समाचार की सचाई के बारे में संदेह व्यक्त किया था फिर अब तो मैं इस स्थिति में हूँ कि इसे विश्वास के साथ असत्य कह सकता हूँ इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था। वैसे गैर सरकारी क्षेत्र के उपकरणों में इस प्रकार की हजारों घटनाएँ होती रहती हैं। परन्तु यदि सरकारी उपकरणों में कोई इस

प्रकार की बात हो जाये तो उसका बतंगड़ बना दिया जाता है। दुर्भाग्य वश इस प्रकार के व्यवहार से अधिकारियों में कुछ दीनता की भावना आ जाती है।

श्री भट्टाचार्य द्वारा यह भी कहा गया है कि इस्पात के कोठे के आवंटन की प्रक्रिया वास्तविक आधार पर नहीं अपितु व्यक्तिगत सिफारिशों के आधार पर चल रही है। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों की माँगों पर अधिकारियों के उत्तर दायित्व के आधार पर इस्पात का आवंटन कड़ाई से किया जाता है।

जहाँ तक एशियन रिफ्रेक्टरीज को अपने अधिकार में लेने का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे यही कहना है कि यह विलम्ब केवल न्यायालय में विलम्ब के कारण हुआ है।

श्री विश्वनाथन ने संयंत्रों में कर्मचारियों की अधिक भर्ती के प्रश्न को उठाया है। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी विशेष संयंत्र निर्माण क्षेत्र के भीतर आ जाता है, तो वह यह सोचने लगता है कि संयंत्र की नौकरी पर अब उसका पूरा अधिकार हो गया है।

जहाँ तक खाडिलकर सूत्र का सम्बन्ध है। उसका पालन किया जाना अनिवार्य है क्योंकि एक एक एकक को ले रहे हैं। यदि इसे हिन्दुस्तान के साथ लिया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 प्रतिशत मिल जाता उर्वरक संयंत्र के लोगों के साथ किसी प्रकार पूरा व्यवहार नहीं किया गया है परन्तु यह अलग बात है कि अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। हम इसमें अन्य किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि खाडिलकर सूत्र के सिद्धान्तों को लागू करने के बाद वह इसके अधिकारी नहीं हो सकते। भिलाई के ठेकेदार की 50 रुपये पर रद्दी माल बेचने का जो प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है।

श्री गौतम ने ठीक ही कहा है कि मध्य प्रदेश में तांबा के अच्छे निक्षेप हैं। यह निश्चित है कि वहाँ पर हम एक सकेन्द्रक स्थापित करने वाले हैं और सम्भवतः वहाँ एक प्रदावक भी लगा दिया जायें। इसके सम्बन्ध में अभी हमने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री शिवनाथ सिंह ने यह सुझाव दिया है कि हमें लौह अयस्क का निर्यात नहीं करना चाहिये। मुझे खेद है कि उनका यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने कम से कम 10,000 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क लिया है। यह पता नहीं कि हम किस प्रकार जापानी उत्पादन की दर तक पहुँचे हैं। हमें कुछ ऐसा पता लगा है कि इसके कई भण्डार हैं। जिन भण्डारों को हम खोज रहे हैं उनके बारे में हमारा अनुमान है कि पश्चिम तट पर कुह मुख से गोवा क्षेत्र तक 35 प्रतिशत मेगनेटाइट अयस्क है और इससे हमें 60,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क प्राप्त होगा। अतः अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि लोहे अयस्क के भण्डारों की समाप्ति के बारे में हम चिन्तित हो।

अन्ततः मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस्पात और खान दोनों के विभागों के कार्य संचालन को अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुख्य कम्पनी पहले की अपेक्षा अधिक कारगर ढंग से लोहे अयस्क और इस्पात उद्योग के विकास का समन्वय और

नियंत्रण कर पायेगी। मुझे आशा है कि मुख्य कम्पनी कुछ ही महीनों में कार्य करना आरम्भ कर देगी। यह कम्पनी सरकारी और गैर सरकार द्वारा कारगर नेतृत्व दिलवाने के लिए कारगर कदम उठायेगी और देश में मुख्य धातु लौह अपस्क आदि के उत्पादन के क्षेत्र में भी विशिष्ट कार्य करेगी। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब हम अगले वर्ष मिलेंगे, तो उन्हें बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। मुझे खेद है कि समय के अभाव के कारण मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये लगभग 75 प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आप से सीधे बात कर लेंगे (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्म) : चूंकि मुझे चर्चा में बोलने का अवसर नहीं मिला। इसीलिए मैं केवल दो तीन प्रश्न ही पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है क्या खान और रेलवे मन्त्रालय के बीच परिवहन के बारे में किसी प्रकार का समन्वय है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कोटागुडम में छोटा इस्पात संयंत्र लगाने का जो प्रश्न उठाया गया था, उसके बारे में ताजा स्थिति क्या है? तीसरा प्रश्न आन्ध्र प्रदेश की हीरे की खानों को बन्द करने के बारे में है; मैंने यह निवेदन किया था हीरा खाने बन्द कर दी जानी चाहिये। उस पर क्या निर्णय किया गया है? मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि इस्पात उद्योग में भर्ती के बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : खान विभाग तथा रेल मन्त्रालय द्वारा सामूहिक रूप से कोयले के परिवहन संबंधी कठिनाइयों की जांच की जाती है। मेरे विचार में दोनों विभागों के विचारों में कोई अन्तर नहीं है। कई बार आयोजन में दूरदर्शिता न होने पर भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

कोटागुदाम में निजि इस्पात संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रश्न नहीं है। स्पोंज लोहा संयंत्र लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान कापर के मुख्यालय को जहां तक कलकत्ता ले जाने का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को खेतड़ी से कलकत्ता नहीं भेजा जायेगा। मुख्यालय के लिये कर्मचारी कलकत्ता से ही भर्ती किए जायेंगे। यह निर्णय संगठन के कार्यकरण को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इस मुख्यालय को न केवल खेतड़ी बल्कि राखा परियोजना आंध्र प्रदेश में अग्नीकुण्डम परियोजना तथा अनेक अन्य ऐसी ही परियोजनाओं का कार्य देखना होता है। यह बड़े खेद की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य में स्थापित होने वाले संयंत्र में अपने ही राज्य के व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में सोचता है। भारत सरकार ने यह किया है कि 500 रुपया महीने से कम के पदों पर सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों को ही नियुक्त किया जायेगा परन्तु हमें इस प्रकृति को बढ़ाना नहीं चाहिए। भारत एक है। हमें गुणों के आधार पर ही नियुक्तियां करनी चाहिए। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए हम यही नीति अपना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये

तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demand in respect of ministry steel and Mines were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
75	इस्पात विभाग	95,63,000
76	खान विभाग	14,92,63 000
77	भूगर्भ सर्वेक्षण	14,04,14 000
129	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	55,85,20.000

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

उपाध्यक्ष महोदय : अब पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांग संख्या 66 और 125 पर चर्चा की जायेगी। इसके लिए चार घण्टे का समय रखा गया है।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं वे पन्द्रह मिनट के भीतर अपनी अपनी पश्चियां सभा पटल पर भेज दें।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की वर्ष 1972-73 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
66	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	64,73,000
125	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	69,12,61 000

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
Shri K. N. Tiwari in the Chair

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरायपुर) : पेट्रोलियम और औषध निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ब्रिटिश तथा अमरीकी कम्पनियों का नियंत्रण है।

हम लगभग 140 लाख टन अशोधित तेल का आयात करते हैं। विदेशी तेल कम्पनियां तेल का आयात अपने साधनों से ही करती हैं। हमारी सरकार इस बारे में उनको निर्देश नहीं दे सकती कि वे किस साधन से तेल आयात करें। इन कम्पनियों ने सरकार द्वारा किसी देश से मंगाये गये तेल को साफ करने से इन्कार कर दिया था। यह बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियां अपनी

इच्छानुसार अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि करती रहती हैं। 1970-71 में अशोधित तेल का मूल्य 1.81 से 1.85 डालर प्रति बैरल हो गया था। अब फिर डालर के अवमूल्यन के कारण अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि यह विदेश कम्पनियाँ निरन्तर भारत के लोगों को लूटती रहेंगी।

बर्मिशेल को 0 लाख टन एसो को दस लाख टन तथा कालटेक्स को साढ़े सात लाख टन तेल 1फ करने के लिए तीन तेल संशोधन कारखाने लगाने की अनुमति दी गई थी। अब इन कम्पनियों की शोधन क्षमता लगभग दुगनी हो गई है।

7 अप्रैल को श्री गोखले ने यह घोषणा की थी कि इन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु बाद में उन्होंने बताया कि कुछ समझौते ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत सरकार उनको उनकी विदेशी मुद्रा बाहर भेजने से नहीं रोक सकती। मेरी मांग है कि इन विदेशी तेल कम्पनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

गत दस वर्षों से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गत दस वर्षों में क्या कार्य हुआ है? इसके विपरीत उसमें हुए अनेक अष्टाचारों पर प्रकाश पड़ा है। पाइप लाइन की जांच के बारे में ढाकारू समिति नियुक्त की गई थी परन्तु यह समिति समय बढ़ाने की मांग ही करती रहती है।

हमें बहुत अधिक लागत पर औषधियों का आयात करना पड़ता है, मि० गेलाई नेलसन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसने बताया था कि अमरीकी औषध निर्माण फर्म यूरोप में विद्यमान कीमतों से 11000% प्रतिशत अधिक मूल्य ले रही हैं। यह भी बताया गया था अनेक औषधियों की किस्म के बारे में उचित जांच भी नहीं की जाती। हम हेक्सा-क्लोराइड का भी आयात कर रहे हैं हालांकि अमरीका में इसको हानिकारक पाया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसको प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

[श्री अर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए ।]
Shri R. D. Bhandare in the Chair

विदेशी एकाधिकारपति फर्म भारी मुनाफा कमा रही हैं। स्थिति यह है कि जब किसी औषधि का मूल्य कम कर दिया जाता है तो वह बाजार में उपलब्ध ही नहीं होती। सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में भी निर्धारित अथवा नियंत्रित मूल्य पर औषधियां उपलब्ध नहीं होतीं।

उनके मंत्रालय के कुछ उच्चाधिकारी विदेशी एकाधिकार समितियां तथा विदेशी तेल कम्पनियों से मिले हुए हैं। वित्त विभाग में भी ऐसे अनेक व्यक्ति उच्च पदों पर हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री गोखले को विदेशी फर्मों द्वारा बाहर भेजे जा रहे धन को रोकने नहीं दिया। 1972 में इनको 144 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इससे ही सही स्थिति का पता लगता है।

मैं श्री गोखले से अनुरोध करूंगा कि वह औषधियों की सप्लाई को सुनिश्चित करें। यदि किसी औषधि का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उद्योगपति उसका नाम बदल देते हैं और इस

प्रकार औषध नियंत्रण विनियम के क्षेत्राधिकारी बाहर निकल जाते हैं और वे जनता से और अधिक मूल्य वसूल करते हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में... बारामूला के स्थान पर ड्रिलिंग रोक देने के क्या कारण हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच की है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं इस मन्त्रालय से और विशेषकर इसके तेल शोषण विभाग के कार्यकरण से प्रसन्न नहीं हूँ। अलाहाबाद होते हुए हल्दिया में बरौनी तक पाइप लाइन बिछाई गई थी। इस समय लोगों को इसकी क्रिस्म के बारे में शिकायत थी। मैंने स्वयं हल्दिया में देखा था कि 99 प्रतिशत पाइप खराब थी। अब टामस आयोग द्वारा इस मामले की जाँच अभी की जा रही है। आयोग को प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें और सारे सम्बन्धित दस्तावेज तथा जानकारी सप्लई जानी चाहिए।

सरकारी उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए एक सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसको 1967 में निर्देश दिये गये थे। हल्दिया परियोजना को 1969 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए परन्तु इसमें तीन वर्ष का विलम्ब हो गया है। 1974 तक इसके बनकर तैयार हो जाने की कोई सम्भावना नहीं है। यह कार्य बिना उचित परियोजना प्रतिवेदन के ही हो रहा है।

विशेष पेट्रोलियम मन्त्रालय के सचिव ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में साक्ष्य देते समय इस बात को स्वीकार किया है कि पाइपलाइन की समूची योजना का डिजाइन पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 1956 से लेकर मितम्बर 1971 तक मि० नायक का एक रिश्तेदार (ब्रदर इन ला) तेल शोधक कारखानों तथा पाइप लाइनों का वित्तीय नियंत्रक था।

सभापति महोदय : यह मामला आयोग के विचाराधीन है। अतः इन तथ्यों का उल्लेख यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रियों के बार बार बदलने से भी इस मन्त्रालय पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। आशा है वर्तमान मन्त्री हमारी शिकायतों पर ध्यान देंगे।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह टामस आयोग के सभी सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराये।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
66	26.	श्री आर० बी० बड़	विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाली सभी औषध निर्माण शालाओं को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये

	27.	„	श्रीषधियों की कीमतों में स्थिरता लाने की आवश्यकता ।	„
	28.	„	श्रीषधियों में मिलावट को रोकने की आवश्यकता ।	„
	29.	„	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को भारतीय तेल निगम द्वारा पैट्रोल पम्पों का न दिया जाना ।	
125	30.	„	भारत में कार्य कर रही सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता	„
	31.	„	भारतीय तेल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने में असफलता ।	„
166	39.	श्री दीनेन मट्टाचार्य	अमरीका तथा इंग्लैंड की तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें
	40.	„	मिट्टी के तेल की कीमत कम करने की आवश्यकता ।	„
	41.	„	पैट्रोल पम्पों से सप्लाई किये जाने वाले पैट्रोल में मिलावट को रोकने की आवश्यकता ।	„
	42.	„	लोगों द्वारा आम तौर से प्रयोग में लाई जाने वाली श्रीषधियों की कीमतें कम करने की आवश्यकता ।	„
	43.	„	वीरभद्र, ऋषिकेश स्थित एन्टीबायो-टिक कारखाने के 12 कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता ।	„
	44.	„	वीरभद्र, ऋषिकेश स्थित एन्टीबायो-टिक के कर्मचारियों के वेतनमान को उसी मन्त्रालय के अन्तर्गत पिम्परी कारखाने के वेतनमान के बराबर लाने की आवश्यकता ।	„
	45.	„	इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्युटिकल्स	„

- लिमिटेड में कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में बातचीत करके उन्हें निपटाने के लिये एक स्थायी संयुक्त समिति स्थापित करने की आवश्यकता।
46. " ऋषिकेश स्थित एन्टीवायोटिक कारखाने में बिगड़ते हुए औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता। "
47. " गैर-सरकारी तथा सरकारी, दोनों, फार्मेस्युटिकल्स कारखाने में मजदूरी की दरों में भली-भांति संशोधन करने की आवश्यकता। "
48. " बाजार में बनावटी औषधियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता। "

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारे देश की आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि हम पेट्रोलियम और तेल के क्षेत्र में अपनी योजनाओं का निष्पादन किस प्रकार करते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के बजाये हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और सप्लाई में अन्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

हमें अशोधित तेल के आयात पर शीघ्र ही प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। आशा है कि 1974 में 26.50 मिलियन टन अशोधित तेल की आवश्यकता होगी। परन्तु देश में निर्मित उत्पादों में 1970 में 36.9 प्रतिशत से गिर कर 1974 में 33.2 प्रतिशत रह जायेगी?

यह बड़े खेद की बात है कि रूस्तम तेल के अपने भाग के 62.2 प्रतिशत भाग को हम वहां से नहीं हटा सके और न ही हम उसका प्रयोग कर सके हैं। इससे देश को 15 59 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यदि इस तेल को प्रयोग में लाया जाता तो देश को गत चार वर्षों में 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी। बरौली तेल शोधक कारखाने में बेकार पड़ी क्षमता को भी प्रयोग में लाया जा सकता था। मि० कायम ने दो वर्ष बर्बाद कर दिए क्योंकि उन्होंने इसके 'लेब' तत्वों की जांच कराने के लिए रूस्तम तेल के नमूने को देहरादून भेज दिया था। बाद में पता लगा यह तेल बिल्कुल ठीक है और इसको भारत में साफ किया जा सकता है। परन्तु अब भी यह कहा जा रहा है कि बरौली तेल शोधक कारखाने में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री सभा को बतायें कि इसके कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं।

रूस्तम अशोधित तेल को क्यों नहीं उठाया जा रहा है और उसे उपयोग में क्यों नहीं

लाया जा रहा है। इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में अधिकारियों का तबादला होना चाहिए। ताकि वहाँ पर इस प्रकार की धोखाघड़ी को रोका जा सके इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में सचिव पद पर इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी को नियुक्त न करके किसी पेट्रोलियम विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाये। तेल के तट दूर अन्वेषण के सम्बन्ध में भारत बंगला देश और रूस के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होना चाहिए जिससे विशाखापत्तनम से लेकर कौक्स बाजार तक के क्षेत्र में तटदूर तेल के अन्वेषण का कार्य सफलता पूर्वक हो सकेगा। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि उन युवा पेट्रोलियम भूविज्ञानवेत्ताओं को और युवा तथा अच्छे वैज्ञानिकों के तेल के तटदूर अन्वेषण का कार्य सौंपा जाना चाहिए, जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में इस समय कार्य कर रहे हैं। इसी सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि गोधरा (पश्चिम बंगाल) में जो छिद्राण कार्य बन्द कर दिया गया था, वह कब पुनः शुरु किया जायेगा।

मैं श्री भट्टाचार्य के इस प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हूँ कि सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मुझे इन कम्पनियों के विरुद्ध चार शिकायतें हैं। पहली यह है कि वे आयातित अशोधित तेल के लिए अधिकाधिक मूल्य मांगती जा रही हैं। दूसरे वे न केवल अपने लाभांश को बल्कि रिजर्व राशि को भी विदेश भेज रही हैं। तीसरे वे कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और संगणक लगाकर रोजगार के अवसर कम कर रही हैं। अन्तिम बात यह है कि राष्ट्रीय आयात काल में उन्होंने धोखा दिया।

पाइपलाइन जांच आयोग के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि श्री पी० आर० नायक जिसे मुख्य रूप से दोषी ठहराया गया था, का पहले सरकार ने सेवाकाल बढ़ाया और फिर उसे मुअत्तिल किया। यह बात तो मेरी समझ में आती है किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि उसे मुअत्तिली का ऐसा आदेश क्यों दिया गया जिसे उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी दृष्टि से अवैध ठहराया। यह आदेश एक बड़े आई० सी० एस० अधिकारी श्री बी० बी० लाल ने तैयार किया था। प्रश्न यह है कि उन्होंने मुअत्तिली का आदेश दोषपूर्ण क्यों बनाया? क्या श्री लाल को अनुभवहीन, नवसिखुआ माना जाये या यह माना जाये कि उन्होंने अपने भाई आई० सी० एस० को ऐसा करके सहायता की? श्री नायक के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा क्यों न जांच कराई जाये।

टकरन आयोग के निर्देश-पदों में विस्तार का मंत्रालय विरोध क्यों कर रहा है। ऐसी जांच के दौरान मंत्रालय का कार्य रहता है मुझे बताया गया है कि मंत्रालय ने आयोग के कुछ ऐसी फाइलें देने से इन्कार कर दिया है। जिन्हें आयोग ने मांगा था मेरा निवेदन है कि पाइपलाइन जांच का मामला गम्भीरता से लिया जाये।

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या हमारे देश में 97 हैं जिनमें से 55 में लाभ हो रहा है और 33 में घाटा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पूंजीपतियों की यह आदत बन गई है कि वे इन सरकारी उपक्रमों को

बदनाम करने के लिए उनकी उचित अनुचित आलोचना करते रहते हैं। मैं गत दो वर्षों से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। और मैं उनका गम्भीरता से अध्ययन किया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक सरकारी उपक्रम है। इसके बारे में मेरा विचार है कि अध्यक्ष के पास शक्तियों बिल्कुल भी नहीं हैं। यद्यपि उसका पद बड़े दायित्व का है। इसलिए हमने फिर यह सिफारिश की है कि उसकी शक्तियों में वृद्धि की जाये और मुख्य प्रशासक बनाया जाये। इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाये, जिसका व्यक्तित्व उस पद के अनुरूप हो। व्यक्तित्व लगन और विचारों की दृढ़ता से कार्य कुशलता बढ़ती है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में प्रबन्धक श्रमिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छे हैं। हमने स्वयं देखा है कि श्रमिक संघ ने आने वाले वार्षिक उत्सव में उक्त आयोग के चेयरमैन को बुलाया था। आयोग के द्वारा स्थिति मुख्य कार्यालय में भी प्रबन्धक श्रमिक सम्बन्ध मधुर आयोग ने पिछले चार-पाच वर्ष में बहुत बढ़िया काम किया है। वर्ष 1967-68 में उसे 12.8 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और 1968-69 में 12.93 करोड़ रुपये का

हमसे यह शिकायत की गई थी कि भारतीय तेल निगम के श्रमिकों का कार्यक्रम परिश्रम वाला और अपेक्षाकृत कम खतरनाक है किन्तु उन्हें 16 प्रतिशत बोनस दिया जाता है जबकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों का केवल 8 प्रतिशत बोनस मिलता है। मेरा सुझाव है कि एक नियंत्रक कम्पनी बना दी जाये जो इन दोनों पर नियंत्रण करे और लाभ को भी दोनों में विभक्त कर दे। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का इस समय उत्पादन 40 लाख टन प्रतिवर्ष है। गैस का वर्तमान उत्पादन 3330 लाख घन मीटर प्रतिवर्ष है। वर्ष 1973-74 तक गैस का उत्पादन 9120 लाख घन मीटर और 67 लाख टन तेल का उत्पादन प्रतिवर्ष होने लगेगा। वर्ष 1970 में तेल का प्राकृतिक गैस आयोग को एक बड़ी भारी सफलता मिली है और वह है खम्भात की खाड़ी में विषम परिस्थितियों में पहले तट-दूर प्लेट फार्म का निर्माण कर लेना। यह और भी गर्व की बात है कि इसका निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों ने ही किया है।

भड़ोच जिले में लगभग 1 लाख एकड़ खार भूमि पड़ी है जबकि तेलशोधक कारखाना अहमदाबाद में लगाया जा रहा है। दूसरा तेल शोधक कारखाना भड़ोच में लगाया जाना चाहिए।

* श्री एस० एस० शिवस्वामी (तिरुवेंडूर) : सभापति महोदय, हमारे राज्य के चार दक्षिणी जिलों—केप कामोरिन, तिरुनलवेली, मदुराई और राम नाथपुरम में पेट्रोल, डिजल, तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद लगभग 500 मील दूर से आते हैं। इसलिए हमें 5 से 8 पैसे प्रति लिटर अधिक देना पड़ता है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार वहां पर एक तेलशोधक कारखाना लगाये जाने के लिए अनुरोध कर रही है। तूतीकोरन बन्दरगाह का 35 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जा रहा है। इस दृष्टि से भी तूतीकोरन में एक तेलशोधक कारखाना लगाया जाना चाहिए

यह बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्त हुए 25 वर्ष हो गये हैं किन्तु अब भी हमें प्रतिवर्ष 135 करोड़ रुपये का अशोधित तेल और 21 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पाद मंगाने

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

पड़ते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1973—74 तक 350 करोड़ रुपये का यह तेल और सामान मंगाना पड़ेगा। आयात कम करने के लिए हमें अपने देश में ही तेल निकालने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। आसाम में उपलब्ध तेल को अधिक मात्रा में निकाला जाना चाहिए इसके लिए बरौनी गौहाटी पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही मेरा यह अनुरोध भी है कि गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन में तेल की खोज का कार्य चालू रखा जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अलियाबेट में तट-दूर क्षेत्र में यदि तेल की खोज करके तेल निकाला जाये तो उससे देश की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। वहाँ अब काम बन्द हो गया है और यह कहा जा रहा है कि तैरने वाली क्रैन और 'पावर टग' न होने के कारण वहाँ काम बन्द करना पड़ा। इन उपकरणों को तथा शीघ्र तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

जहाँ तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, सरकार अपने देश की कम्पनियों का तो आसानी से राष्ट्रीयकरण कर लेती है किन्तु विदेशी तेल कम्पनियों और औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण करने में वह संकोच कर रही है या डर रही है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण में अब और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

शन्तिलाल शाह समिति ने यह सिफारिश की थी कि अशोधित तेल के आयात, भंडार और वितरण के लिए एक क्रम संगठन बनाया जाना चाहिए। तेल के विक्रय के लिए भारतीय तेल निगम है। इसी प्रकार से तेल के विक्रय के लिए एक पृथक संगठन सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं बनाया गया है। औषध, इंजिनियरिंग और हैवी इंजिनियरिंग के क्षेत्र में बहुत से सरकारी उपक्रम हैं इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स भी उनमें से एक है। इसमें कुल 83.85 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। किन्तु पिछले पांच वर्षों से इसे लगातार घाटा हो रहा है। वर्ष 1968—69 में इसे 4.59 करोड़ रुपये की हानि हुई और वर्ष 1971-72 में यह घाटा बढ़कर 4.72 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रशासनिक कमी है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में जाँच करनी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी उपक्रमों में लाभ होने लगे।

दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : समापति महोदय, भारतीय तेल निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और संतुलन पत्र देखने से पता चलता है कि 1970—71 में भारतीय तेल निगम की लगभग 100 करोड़ रुपये की अधिक बिक्री हुई किन्तु उसे लाभ 5 करोड़ रुपये कम का हुआ। बम्बई और महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़कर भारतीय तेल निगम को कहीं भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। अतः यह स्पष्ट है कि लाभ की दृष्टि से भारतीय तेल निगम असफल रहा है। संसद सदस्यों ने और संमदीय समितियों ने भारतीय तेल निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिये हैं किन्तु उनकी उपेक्षा कर दी गई है। स्वदेशी तेल का मूल्य आयात समता मूल्य (इम्पोर्टेड पेरिटी प्राइस) के आधार पर निर्धारित करके भी मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम के हितों की रक्षा नहीं की है।

श्री मंगतराम आई० सी० एस० ने उसके बारे में अत्यंत पक्षपातपूर्ण मध्यस्थ निर्णय दिया है। उसने इस भय से हाल ही में त्यागपत्र भी दे दिया है कि दोषी आई० सी० एस० अधिकारियों

को बचाने के अपराध में कहीं उसके विरुद्ध विभागीय जांच आरम्भ न हो जाए। उसे मध्यस्थ बनाने में आई० सी० एस० अधिकारियों तथा भारतीय तेल निगम के चैयरमैन का हाथ था। अतः योजना आयोग को इस समय आयात में समता लाने के प्रश्न पर सावधानी से विचार करना चाहिये तथा राष्ट्रीय हितों पर अवश्य ध्यान रखकर इसका कोई समाधान खोजना चाहिये। भारतीय तेल निगम को लेखा परीक्षा नियंत्रण तथा महा लेखा परीक्षक के अधीन किया जाना चाहिये। निदेशक मण्डल का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

ब्रिटिश तेल उद्योग तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के नौकरशाहों में पूरा गठबंधन है तथा यह गठबंधन 20 वर्ष पहले बर्मा-शैल बी० ओ० सी० और ए० ओ० सी० के साथ हुए करार के समय हुआ था। आइल इण्डिया करार, विशेषकर 1961 का अनुपूरक करार जाली है। इस मामले में सम्बद्ध संयुक्त सचिव ने मंत्रिमण्डलीय सचिव से लिखित रूप में अनुरोध किया गया था कि इस मामले की जांच कराई जाये। तत्कालीन वित्तीय सलाहकार ने भी इस प्रस्ताव का पमर्थन किया था। किन्तु उन दोनों अधिकारियों को यह मंत्रालय छोड़ना पड़ा तथा जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गये थे उनको कई प्रकार से लाभान्वित किया गया। उदाहरण के लिये श्री एस० डी० भाम्बरी को कई प्रकार का लाम दिया गया। उसे भारतीय तेल निगम से पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया तथा अब वह आइल इंडिया बोर्ड में सरकारी निदेशक है। सरकारी क्षेत्र का पूर्ण समर्थन होने के नाते मैंने ये आरोप लगाए हैं कि आइल इण्डिया का अनुपूरक करार जाली है। आशा है मंत्री महोदय इसका उपयुक्त उत्तर देंगे। टकरा आयोग श्री भाम्बरी के आचरण की जांच कर रहा है।

इस सम्बन्ध में लगभग 50 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में यह अनुरोध किया है कि जिन अधिकारियों के बारे में संदेह है उनका कम से कम स्थानांतरण कर दिया जाये। इस ज्ञापन को अक्टूबर 1970 में पेट्रोलियम मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। आश्चर्य की बात है कि जिन अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की गई थी, उन्हीं को हम ज्ञापन पर कार्यवाही करने को कहा गया। परिणाम यह हुआ कि श्री मंगत राय ने अपने 4-11-70 के नोट में यह सलाह दी कि प्रधान मंत्री को यह उत्तर दिया जाये कि संसद सदस्यों का रवैया पक्षपात पूर्ण है तथा सूची में जिन अधिकारियों के नाम हैं उनमें से अधिकतर अधिकारियों का पाइपलाइन के मामले में गोलमाल की घटना में कोई सम्बन्ध नहीं है। नोट में उसने यह भी कहा कि श्री एम० वी राजवाड़े का इस मामले में कोई सम्बन्ध नहीं है तथा श्री एस० डी० भाम्बरी श्री कश्यप, दौलत सिंह आदि के विरुद्ध ऐसे कोई प्रमाण पाना कठिन है जिनसे ज्ञात हो सके कि वे दोषी हैं।

इस मंत्रालय के सचिव श्री बी० मुखर्जी इन सभी बातों को जानते थे फिर भी उन्होंने 6-11-70 को इस नोट का अनुमोदन कर दिया। साथ ही तत्कालीन मंत्री महोदय को यह सलाह दी गई कि प्रधान मंत्री को इस प्रकार का उत्तर दिया जाये। किन्तु दिनांक 15 अप्रैल 1972 को पाइपलाइन जांच आयोग ने अन्य व्यक्तियों के साथ सी० बी० गुप्ता, भाम्बरी राजवाड़े, कश्यप और दौलत सिंह को भी यह नोटिस दिये कि वे आयोग के समक्ष अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें।

इस घटना से ज्ञात होता है कि नौकरशाह किस प्रकार संसद-सदस्यों को गलत जानकारी

देते हैं। आशा है मंत्री महोदय स्वतंत्र रूप से इस मामले पर विचार करेंगे तथा इन आरोपों का संतोषजनक उत्तर देंगे :

खेद का विषय है कि इस मंत्रालय में अभी वही सचिव विद्यमान है जिसने 6-11-70 को अनुमोदित किया था। ज्ञात हुआ है कि श्री मंगत राय ने आई० सी० एस० से त्याग पत्र दे दिया है। दुःख है कि ठकरू आयोग को समस्त सामग्री उचित रूप में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे आयोग अब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर सका है। फाइलों की जांच पड़ताल के बारे में आयोग द्वारा दिये गये समन का भी मंत्रालय ने पालन नहीं किया है। इसलिए हमारी मांग है कि जिन अधिकारियों के आचरण के बारे में शिकायत है उन्हें वहाँ से शीघ्र निकाला जाये अन्यथा ये अधिकारी सम्पूर्ण मामले पर पानी फेर देंगे।

जहाँ तक बोंगाईगम में पेट्रो रसायन सप्लाइ स्थापित किये जाने की बात है हमें इससे प्रसन्नता है तथा हम इस मंत्रालय के आभारी हैं। किन्तु हमें ज्ञात हुआ है कि यह परियोजना में गुजरात इन्डो पेट्रोलियम कैमिकल्स के अधीन कार्य करेगा। मेरा निवेदन है कि परियोजना को भारतीय तेल निगम के अधीन रखा जाये अन्यथा वहाँ की स्थानीय जनता के असंतोष की भावना उभर जायेगी।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आसाम सरकार के इस अनुरोध की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि अशोधित तेल पर स्वामिस्व की दर में वृद्धि की जाये। यह माँग बहुत दिनों से की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वह इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दे जिससे हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. chairman, Sir. The Ministry of Petroleum and Chemical have demanded a sum of Rs. 100 crores for fertilizers, a sum of Rs. 50 crores for oil and a sum of Rs. 200 two crores for pharmaceuticals.

It has been observed that Patent Bill passed in the Fourth Lok Sabha has not been implemented as yet due to the influence of some American Firms. It should be now effectively implemented. I want to know the extent to which the prices of medicines have declined after the enactment of Drugs Price Control Act, 1970 and due to which medicines are available to commonmen now. Shri Gokhle has himself admitted that per capita consumption of drugs is too low in our country, as compared to that in other developed countries and today it is of the order of about Rs. 5 in India as compared to Rs. 145 in Germany, Rs. 170 in Japan and Rs. 190 in U.S.A.

After 25 years of independence the commonmen in our country are unable to get medicines on reasonable rates. The main reason of high prices of medicines is that most of the firms manufacturing drugs are under American control. It is quite strange that Bayer and Baker Co. is allowed to sell F lagyl at 60 paise per tablet whereas the Indian manufacturers of the same drug are not allowed to charge even 16 paise per tablet.

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए ।]
Shri N. K. P. Salve in the Chair

According to the criticism in a newspaper the American drugs firms have got control over Indian drug industry. They are responsible for the huge losses to the I.D.P.L. and they want I.D.P.L. to die a natural death. M/s John Wyth entered into a fishy deal with H.A.L. for manufacturing Ampicilin, when Mr. T. R. Subramanyam was the managing

Director of H.A.L. He is now an employee of the firm on a very high salary and with other benefits. The company, which was given licence to manufacture vitamin C is engaged in manufacturing antibiotics. Government should stop this practice of foreign firms of pasting 'made in India' labels on medicines which are not actually made in India.

Secondly, I suggest that foreign firms should not be allowed to collaborate with I.D.P.L. because such collaboration would be harmful.

So far as the fertilizers are concerned I am sorry to observe that Government have not so far decided that the production of fertilizers should be based on coal, power, ammonia or Naphtha. Due to the lack of proper planning they have to import fertilizers from abroad. Government should look into this problem of fertilizer shortage in the country.

Serious allegations have been made against the working of I.O.C. in a paper, published in Sindhi and English. According to this paper I.O.C. favoured private shipping companies. They are not dealing with the shipping corporation of India because the shipping corporation is unable to satisfy their illegal demand. The officers of I.O.C. get the percentage of 5 to 10 as commission from private shipping companies through one Mr. Ramkrishna who is arranging all these things. It has also been stated that Shri Dedhia who was bankrupt in the trade at some time, has been secretly helped to become agent of several foreign oil companies and is getting more and more encouragement from I.O.C. Charges have also been made against the Managing Director of I.O.C. for having in a league with Mr. Reshmwala. It has been stated that long before the tender for freight was issued in Bombay, I.O.C. entered into a league with him. Due to this, conspiracy Shri Reshmwala flew to London and came to an understanding with some of the Greek ship-owners whose ships are to be used for transportation. It is understood that the unofficial commission earned by Managing Director of I.O.C. and its associates will be 20 per cent of Rs. 2½ crores.

In these circumstances I suggest that if these allegations are baseless Government should file a suit for defamation in order to remove apprehensions created among the people of country.

Government should take effective steps to check the sale of adulterated drugs and to decrease the prices of drugs so that medicines could be available to poor people also. I also demand that foreign firms manufacturing drugs should be closed.

श्री पी० वेकट सुब्बया (नंदयाल) : इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं इस मंत्रालय के अन्तर्गत कुछ संस्थानों के कार्यकरण के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

आयल इण्डिया जो एक विदेशी कम्पनी थी, में भारत सरकार का आधा हिस्सा है। सरकार ने इस कम्पनी के नाम कुछ करार किये श्री गोस्वामी ने उन करारों के बारे में बताया है। दूसरे अनुपूरक करार में सरकार ने उस कम्पनी को कुछ रियायतें दी जिनसे कम्पनी को भारी लाभ हुआ तथा स्वयं सरकार को घाटा रहा।

प्राक्कलन समिति ने इस पूरे मामले की सावधानी से जांच की तथा बताया कि इस करार में मंत्रालय ने भारी गलतियाँ की हैं। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिये। समिति ने टिप्पणी की है कि 1958 के करार के खण्ड 13 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य सूत्र व्यापक था तथा सरकार के हित में था। उसके अनुसार सरकार को कोई

राज सहायता नहीं देनी थी। किन्तु इस करार के कारण सरकार को 18 करोड़ रुपये की भारी राशि राज सहायता के रूप में देनी पड़ी तथा सरकार को विक्री कर के रूप में भी हर वर्ष 3 करोड़ रुपये देने होंगे अतः दूसरे अनुपूरक करार पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

इस करार के अन्तर्गत यह कम्पनी तेल का अधिक उत्पादन करने के लिये बाधा नहीं है। इसी लिये उसने इस क्षेत्र में तेल निकालने के कार्य को धीमा कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप बरौनी तेल शोधक कारखाने को विदेशों से तेल मंगाना पड़ता है। अतः इस बारे में मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय समिति की सिफारिशों के अनुसार इस मामले की पूरी जांच कराएँ।

भारतीय तेल निगम के कार्यकरण की मैं सहायता करता हूँ। यद्यपि निगम ने हमारी आशाओं के अनुसार तो प्रगति नहीं की है फिर भी इसका कार्य संतोषजनक है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उन क्षेत्रों से तेल निकालने में जुटा हुआ है जहाँ से वह निकल सकता है। मेरा सुझाव है कि तेल का पता लगाने के लिये व्यापक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये। कावेरी और गोदावरी नदियों के बेसिन में तेल का पता लगाया गया था किन्तु सरकार को अभी यह निश्चय करना है कि व्यापारिक दृष्टि से वहाँ से तेल निकालना लाभप्रद होगा अथवा नहीं। अतः सरकार को इन गति विधियों में तेजी लानी चाहिये तथा अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिये।

भारतीय तेल निगम द्वारा तेल की खरीद-फरोख्त के बारे में निगम की कटु आलोचना की गई है। व्यापारियों को लाइसेंस देने के मामले में निगम का रवैया पक्षपात पूर्ण बताया गया है। इस मंत्रालय ने यह योजना बनाई थी कि बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों को इस बारे में प्राथमिकता दी जायेगी किन्तु इन बारे में मुझे भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि उक्त योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। अतः सरकार को इस मामले पर भी विचार करना चाहिए।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि नंगल उर्वरक कारखाने में बिजली की भारी कमी है जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रामगुडम उर्वरक कारखाने को, जिसपर 90 करोड़ रुपये खर्च करने हैं शीघ्र चालू किया जाना चाहिये अन्यथा इस कार्य में जितनी देरी होगी उतनी ही उसकी लागत बढ़ती जायेगी।

हमें अब भी मिट्टी का तेल आयात करना पड़ता है। अतः तेल शोधक कारखानों में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में तालमेल बनानी चाहिये जिससे देश इन सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो सके।

उर्वरकों के अधिक उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिये क्योंकि खाद्यान्न के उत्पादन के लिये इसका महत्व अधिक है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सरकार ने विदेशी फर्मों को औषधि निर्माता भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी है जिससे देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। किन्तु विदेशी कम्पनियों ने भारतीय औषधि निर्माण उद्योग पर ऐसा प्रभुत्व जमाया है कि इस

उद्योग के आत्मा निर्भरता की ओर बढ़ते चरण रुक गये हैं। भारत सरकार ने भी विदेशी कम्पनियों के हितों की ही रक्षा की है तथा देशों में 2050 करोड़ रुपये के इस व्यापार में 200 करोड़ रुपये का व्यापार इस विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। विदेशी फर्मों की संख्या लगभग 15 है तथा वे केवल सूत्र बनाती हैं अथवा अन्य छोटा-मोटा कार्य करते हैं। औषधियों के विकास के लिये अनुसंधान कार्य पर उन्होंने कोई पूंजी नहीं लगाई फिर भी यह कम्पनियां 20 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात करती हैं जबकि कुल आयात 27 करोड़ रुपये के मूल्य का होता है।

इन विदेशी फर्मों ने केवल 5 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर 15 वर्षों में अब उके 150 करोड़ कर लिया है। कोर्लिस ने केवल 1 लाख रुपये की पूंजी लगाई थी और अब एक लाख रुपये प्रति वर्ष का व्यापार तो उसका सूत्र बनाने का ही है। स बात से इन्कर नहीं किया जा सकता कि अब हमारे उद्योग ने कैपसूल, गोली, इंजेक्शन आदि के बारे में काफी तकनीकी जानकारी प्राप्त करली है।

विदेशी कम्पनियों को अधिक रियायत दी जाती है। उदाहरणार्थ एम० एह० डी० को 144 किलोग्राम विटामिन बी-12 बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है। विटामिन बी-12 की यह मात्रा देश की 1974 तक की आवश्यकता से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस कम्पनी का पक्ष लिया गया है।

इसके अतिरिक्त मैसर्स एबट को आठ टन एरीथ्रोमीसिन आयात करने के लिये एक वर्ष में 85 लाख रुपये के मूल्य का लाइसेंस दिया गया है जबकि उसी कार्य में लगी भारतीय कम्पनी के 5 लाख का लाइसेंस दिया गया है। लगातार एक वर्ष तक इस भारतीय फर्म द्वारा प्रयास किये जाने के बाद डी० जी० टी० डी० ने यह माना कि एरीथ्रोमिनिन के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है जिससे दो वर्ष में 80 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। किन्तु उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

होइचसर तथा एम० एस० डी० को 3,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से फ्रूसेमाइड जैसी औषधि खरीदने की अनुमति दी गई है जबकि इन वस्तुओं का मूल्य विश्व में 300 रुपया प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है इसके अतिरिक्त भारतीय फर्मों के प्रस्तावों पर महीनो तक निर्णय नहीं किया जाता।

90 से 95 प्रतिशत औषधियों के फारमूले विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाये जाने के कारण आई० डी० पी० एल न तो कोई प्रगति कर सकता है और न ही समाप्त हो सकता है। साथ ही विदेशी फर्मों नई औषधियों तथा जीवन दायिनी औषधियों के नाम पर लाइसेंस प्राप्त कर लेती हैं। उन्होंने गत एक वर्ष में विभिन्न कार्यों के लिये 44 लाइसेंस प्राप्त किये हैं जबकि भारतीय कम्पनियों के प्रार्थना पत्र से दो वर्ष तक अनिर्णीत पडे रहते हैं।

प्रायः यह देखने में आता है कि औषध मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अनुसार विदेशी फर्मों को नई औषधियों का निर्माण करने के लिए, किसी न किसी कारण से भारतीय फर्मों की तुलना में विदेशी फर्मों की सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मैं इस सम्बन्ध में केवल दो ही सुझाव देना चाहता हूं। मेरा प्रथम सुझाव यह है कि फर्मों का अध्ययन

करने के बारे में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। दूसरे मन्त्री महोदय को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि जिन विदेशी फर्मों के पास 20 प्रतिशत से अधिक के इन्विटी शेयर हैं उन्हें गोलियों, ग्रैनुला, तरल अथवा इन्ज्यक्टक जा सकने वाली दवाईयों के निर्माण में वृद्धि करने या निर्माण को नियमित करने या काम जारी रखने के लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे।

पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय द्वारा गुजरात राज्य को गैस बेचने तथा गुजरात में शक्ति के प्रजनन हेतु आर० एफ० ओ देने के बारे में सौतेला व्यवहार किया गया है। गुजरात को यह गैस मन्त्रालय द्वारा 106 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक मीटर की दर से बेची जाती है जबकि यही गैस आसाम को 5 95 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से बेची जाती है। हमें आशा है कि न्यायाधीश हिदायतुल्ला जी इस मामले की मध्यस्थता कर रहे हैं, गुजरात के साथ न्याय करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है। सदस्य महोदय अपना स्थान ग्रहण करें... अब गणपूर्ति हो गई है। सदस्य महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : यह खेद की बात है कि तेल के बारे में कोई दृढ़ राष्ट्रीय नीति नहीं है। बजट के बारे में 1967 से हो रहे विभिन्न वाद-विवादों में इस विषय के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल शोधक कारखानों पर विदेशियों का अधिकार है। गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों की शोधन क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, जबकि हमारी राष्ट्रीय नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि उनमें धीरे धीरे कमी हो। केवल सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को ही कच्चे माल के अधिकाधिक शोधन की अनुमति होनी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है... अब गणपूर्ति हो गई है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान् जी, मैं यह बात भी रिकार्ड करवाना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए दो दलों का होना अपेक्षित है। यद्यपि हम यहां बहुसंख्या में हैं फिर भी चर्चा को सजीव बनाए रखने के लिए विरोधी सदस्यों का उपस्थित होना भी उतना ही आवश्यक है जितना बहुसंख्यक दल के सदस्यों का।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री शास्त्री आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मैं कह रहा था कि तेल के बारे में कोई दृढ़ राष्ट्रीय नीति नहीं है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह कहूँगा कि उन्हें इसके बारे में राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में एक अन्य कम्पनी से असामान्य कीमत पर सम्पत्ति अर्जित की है, वह पार्टी की मांग से अधिक है। यह मामला संसद में भी उठाया गया था और तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने का आश्वासन भी दिया था। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस जांच का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखें।

पाइप लाइन के मामले के बारे में 1970 में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था जिसे 6 महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। यद्यपि इसका समय 6 महीने बढ़ाया जा चुका है फिर भी अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार भारतीय तेल निगम के कुछ उच्च नौकरशाहों ने अपने वैयक्तिक के लिए साँठ-गाँठ करके राष्ट्र को अपने देय से वंचित रखा है। मन्त्री महोदय को इस साँठ गाँठ से भी सतर्क रहना चाहिए।

कच्चे तेल के शोधन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में बरौनी तथा अन्य तेल शोधक कारखानों का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया था कि 7.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले नुनमाती तेल शोधन का विस्तार कर उसे 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाला बनाया जायेगा, परन्तु प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

कच्चे तेल की रायल्टी के बारे में मुझे यह अनुरोध करना है कि इसे 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही मैं एक अन्य बात यह कहना चाहता हूँ कि आसाम की जनता की यह आम शिकायत है कि 00 रुपये या 200 रुपये से कम वेतन प्राप्त करने रोजगारों के लिए, आसाम के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चौकीदारों, दफ्तरियों और ड्राइवरो आदि की भर्ती के लिए, स्थानीय लोगों को अवसर दिया जाना चाहिये।

अन्तिम बात मैं पेट्रोलियम तथा अन्य वस्तुओं की कीमत के बारे में कहना चाहता हूँ। पेट्रोलियम तथा एल० पी० जी० की कीमत आसाम में समूचे भारत की अपेक्षा अधिक है। मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें, समूचे भारत के लिए एक समान कीमत निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माँगों का समर्थन करता हूँ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairan, Sir, with the little time at my disposal, I wish to take up only a few points. Firstly, the price of fertilisers is very high. We should try to increase the production of fertilisers. At present we are utilising only 50 percent of the installed capacity of fertiliser factories. Another 20 percent of the installed capacity should also be utilised. There is acute shortage of pesticides and insecticides. Their prices should also be fixed.

So far as the question of gas reserrrs is concerned, Russia has obtained 565 billion cubic feet of gas which is double the that of U.S.A. Some time back a Russian team came to India and offened certain suggestions. If we act on these suggestions, we can increase our gas reservs considerably.

The pipe-line should be extended to facilitate transport. We should decide our requirements in regard to the pip e-line keeping in view the shortage capacity required for

the purpose. Lastly I want to request that the case of misappropriation of 50 lakhs rupees by Nazaryo Tea Estate should also be enquired into.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : 1961 से 1971 तक गत दशबदी के दौरान भारतीय तेल नीति के बारे में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, देशी संसाधनों को बढ़ाने का आदेश दिया जाता रहा है। तेल सम्बन्धी नीति ने पेट्रोलियम उत्पादकों और परिशोधक उत्पादों के विपणन में अपना भाग बढ़ाने के लिए, अपनी मशीनरी, परिशोधक और विपणन क्षमता पैदा करने का उद्देश्य रखा गया था। इन सीमित उद्देश्यों के बारे में निश्चय ही हमने सफलता प्राप्त की है।

वर्ष 1971 से तेल जगत में परिवर्तन आने प्रारम्भ हो गये हैं। अब यह समझा जाने लगा है, कि हमारी तेल सम्बन्धी नीति की सफलता तेल शोधक कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई करने पर ही निर्भर करती है। परन्तु तेज के रूप अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 1971 के दौरान हुए परिवर्तनों से यह स्पष्ट हो गया है कि हम अधिकाधिक आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा फारस की खाड़ी के देशों पर अधिकाधिक निर्भर हो जा रहे हैं। वर्ष 1969-70 में हमारे आयात का बिल 94 करोड़ रुपये था और 1974 तक इसके 184 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की संभावना है। 1970-71 में सभी तेल शोधक कारखानों के लिए हमारी कच्चे माल की आवश्यकता 184.6 लाख मीट्रिक टन थी। इसमें से केवल 70-80 लाख मीट्रिक टन ही देशी था। 1974 तक हमें 120 से 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक का आयात करना पड़ेगा। अतः इससे यह स्पष्ट होता है आगामी तीन चार वर्षों के दौरान हमें इस पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी।

देशी उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ, सातवे दशक में हमें वाणिज्यिक शक्ति के वैकल्पिक साधन भी निकालने पड़ेंगे। अन्ततोगत्वा कुल मिलाकर हमारी तेल सम्बन्धी नीति राष्ट्रीय ईंधन नीति आयोग के साथ मिली हुई है। अतः इसके लिए हमें बिजली जैसे वैकल्पिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यद्यपि हमें यह बात बताई गई है कि राष्ट्रीय ईंधन नीति पर विचार किया जा रहा है परन्तु फिर भी हमें यह पता चल रहा है कि इसके बारे में सरकार की कोई समन्वित नीति नहीं है। ऐसी समुचित योजना के बिना देश को इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाना बहुत कठिन है।

इसके बाद हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि विदेशी कम्पनियों के साथ हमारे सम्बन्ध किस प्रकार के होने चाहिये। उनके राष्ट्रीयकरण की माँग भी की गई है और यदि इन कम्पनियों के अतीत के कार्य-निष्पादन को देखा जाये, तो यह माँग अनुचित नहीं है। परन्तु इसके साथ ही हमें राष्ट्रीयकरण के ढाँचे के बारे में भी पता लगाना चाहिये। सरकार देश में स्थित तीन विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय करने से हिचकिचा रही है। यदि इसके बारे में उन्हें कोई कठिनाई है तो उन्हें सस्ती दर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्राप्त करने के लिए फारस की खाड़ी के देशों के साथ अपने वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिये। गत वर्ष, मन्त्रालय द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में एक समिति निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। इस समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस आयोग के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी कुछ विवादपूर्ण सिफारिशें की, इनकी ओर भी सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ। भारतीय तेल निगम के कार्यकरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

सभापति महोदय : आप अपना वक्तव्य कल जारी रखियेगा।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 5 मई 1972/15 वैशाख 1894 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, May 5, 1972/
Vaisakha 15, 1894 (Saka)